अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश

वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http;//updes.up.nic.in

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http;//updes.up.nic.in

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उत्तर प्रदेश।

प्राक्कथन

संतुलित विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं का नियोजित अनुप्रयोग आवश्यक व अपरिहार्य है और इस प्रक्रिया में सम्बन्धित सांख्यिकीय आँकड़ों की उपादेयता निर्विवादित है। इस क्रम में प्रदेश में अर्थ एवं संख्या प्रभाग सतत् प्रयत्नशील है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI), भारत सरकार के दिशा–निर्देश में अर्थ एवं संख्या प्रभाग स्तर पर विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी कार्य, सर्वेक्षण व अनुमान इत्यादि तैयार किये जाते हैं। प्रभाग स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों की स्थिति व उद्देश्य के सन्दर्भ में वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास वर्ष 2011 में किया गया था। इसी श्रृंखला में वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रस्तुत अंक में कुल 15 अध्याय हैं, जिसमें प्रभाग का परिचय, प्रभाग पर अनुभागवार सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण एवं क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकाशन को अल्प अवधि में तैयार किये जाने हेतु सम्पादक मण्डल के साथ प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का योगदान प्रशंसनीय है।

दिनांकः 29.07.2020

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)

सम्पादक मण्डल

अध्यक्ष

श्री ए0के0 पाण्डेय, निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उ0प्र0

सदस्य

1. डा. श्रीमती दिव्या सरीन मेहरोत्रा, संयुक्त निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।
2. श्रीमती रश्मि, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।
3. श्रीमती शालू गोयल, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।

सदस्य सचिव

श्री विनोद कुमार, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

विषय–वस्तु

अध्याय		पृष्ठ–संख्या
1.	अर्थ एवं संख्या प्रभाग–एक परिचय	1– 10
2.	राज्य आय अनुभाग	11–22
3.	क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं विश्लेषण अनुभाग	23–30
4.	डेटा बैंक अनुभाग	31–39
5.	भाव अनुभाग	40–46
6.	औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग	47–55
7.	आवास सांख्यिकी अनुभाग	56–58
8.	संगणक अनुभाग	59–60
9.	ग्राफ अनुभाग	61–62
10.	वाह्य सहायतित कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण अनुभाग	63–68
11.	प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग	69–70
12.	समन्वय प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग	71–72
13.	स्थापना अनुभाग	73–74
14.	लेखा अनुभाग	75–77
15.	क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य	78–83
16.	फोटो सेक्शन	84–85

अध्याय–1
अर्थ एवं संख्या प्रभाग – एक परिचय

उत्तर प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गठित राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत 09 प्रभाग कार्यरत हैं, जिनमें से एक अर्थ एवं संख्या प्रभाग है। संस्थान का अर्थ एवं संख्या प्रभाग ही एक मात्र ऐसा प्रभाग है जिसके कार्यालय राज्य मुख्यालय के अतिरिक्त सभी मण्डलों एवं जनपदों में भी स्थित हैं। मण्डल स्तर पर श्रेणी–1 के उप निदेशक तथा सभी जनपदों में श्रेणी–2 के अर्थ एवं संख्याधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इस प्रभाग का एक कार्मिक–सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) तैनात रहता है, जो खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में पद–स्थित होता है।

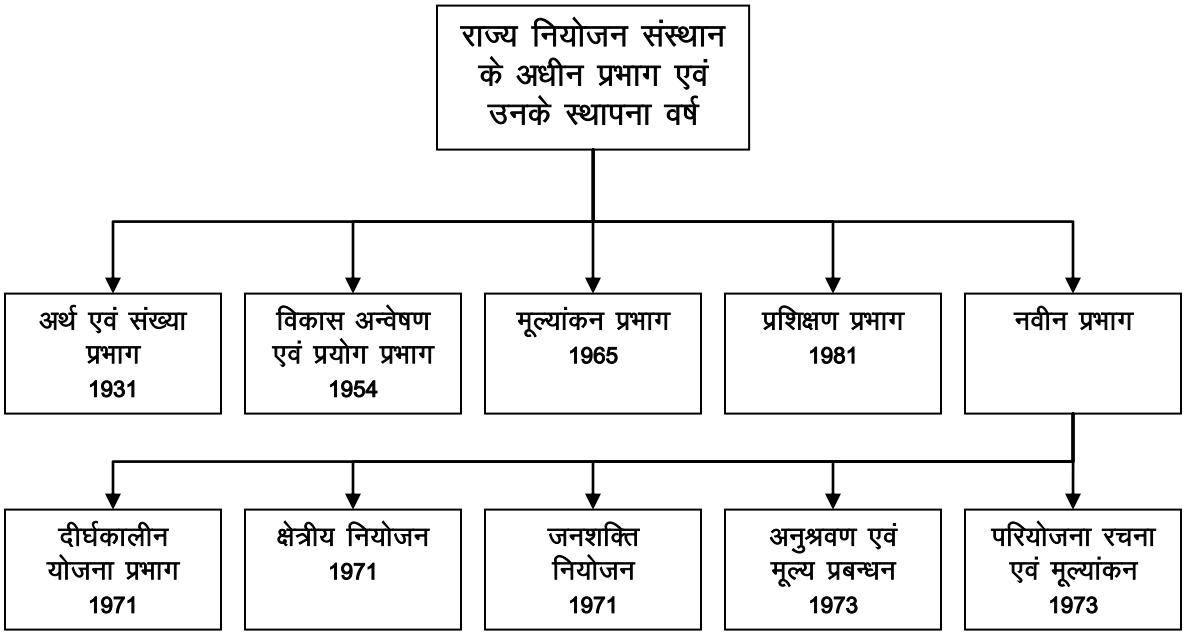

1.0 संक्षिप्त पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित व संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने के दायित्व की पूर्ति हेतु इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में Bureau of Statistics and Economic Research नाम से की गई थी। वर्ष 1938 में इस Bureau को पुनर्गठित कर पहले उद्योग निदेशालय, तत्पश्चात् मूल्य नियंत्रण विभाग में संविलीन किया गया। वर्ष 1942 मे मूल्य नियंत्रण विभाग को समाप्त कर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा अर्थ एवं संख्या विभाग बनाए गए। अर्थ एवं संख्या विभाग को आर्थिक सलाहकार के अधीन रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त वर्ष 1947 में राज्य सचिवालय के अन्तर्गत आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित करके उसके अधीन अर्थ एवं संख्या विभाग को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो0 एस0के0 रूद्रा (1942–1947) को इसका प्रथम आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक बनाया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1971 में नियोजन विभाग के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ ही यह विभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग के रूप में जाना जाने लगा।

वर्ष 1951 तक अर्थ एवं संख्या निदेशालय का दायित्व राज्य मुख्यालय तक ही सीमित रहा। वर्ष 1952 में प्रत्येक जनपद में Economic Intelligence Inspector के पद का सृजन किया गया। तत्पश्चात् विभागीय कार्य सम्पादन एवं विभिन्न ग्राम्य विकास योजनाओं की प्रगति के विवरण के संकलन, भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 1958 में प्रत्येक जनपद में जिला सांख्यिकीय अधिकारी के पद सृजित करते हुए उनके

कार्यालयों की स्थापना की गई। विकास कार्यों से सम्बन्धित आँकड़ों के रखरखाव तथा प्रगति के अनुश्रवण, सत्यापन एवं मूल्यांकन कार्य के सम्पादन हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक–एक प्रगति सहायक (वर्तमान पदनाम सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय)) के पद का सृजन वर्ष 1959 में किया गया। विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला स्तर पर योजनाएं तैयार करने हेतु वर्ष 1973 में प्रत्येक जिला सांख्यिकीय कार्यालय में अर्थ अधिकारी के पद एवं अन्य अधीनस्थ पद सृजित किए गए। वर्ष 1988 में जनपद स्तरीय कार्यालय में पदस्थित श्रेणी–2 के पदों को अर्थ एवं संख्याधिकारी के पुनः पदाभिहीत संवर्ग में सम्मिलित और संविलीन किया गया।

मण्डल स्तर पर सांख्यिकीय कार्यों के सम्पादन, विकास कार्यों के नियोजन एवं अनुश्रवण में मण्डलायुक्त के सहायतार्थ तथा प्रभागीय जनपद कार्यालय के पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 1979 में उप निदेशक कार्यालय की स्थापना की गयी।

1.1

प्रभाग का संगठनात्मक ढांचा

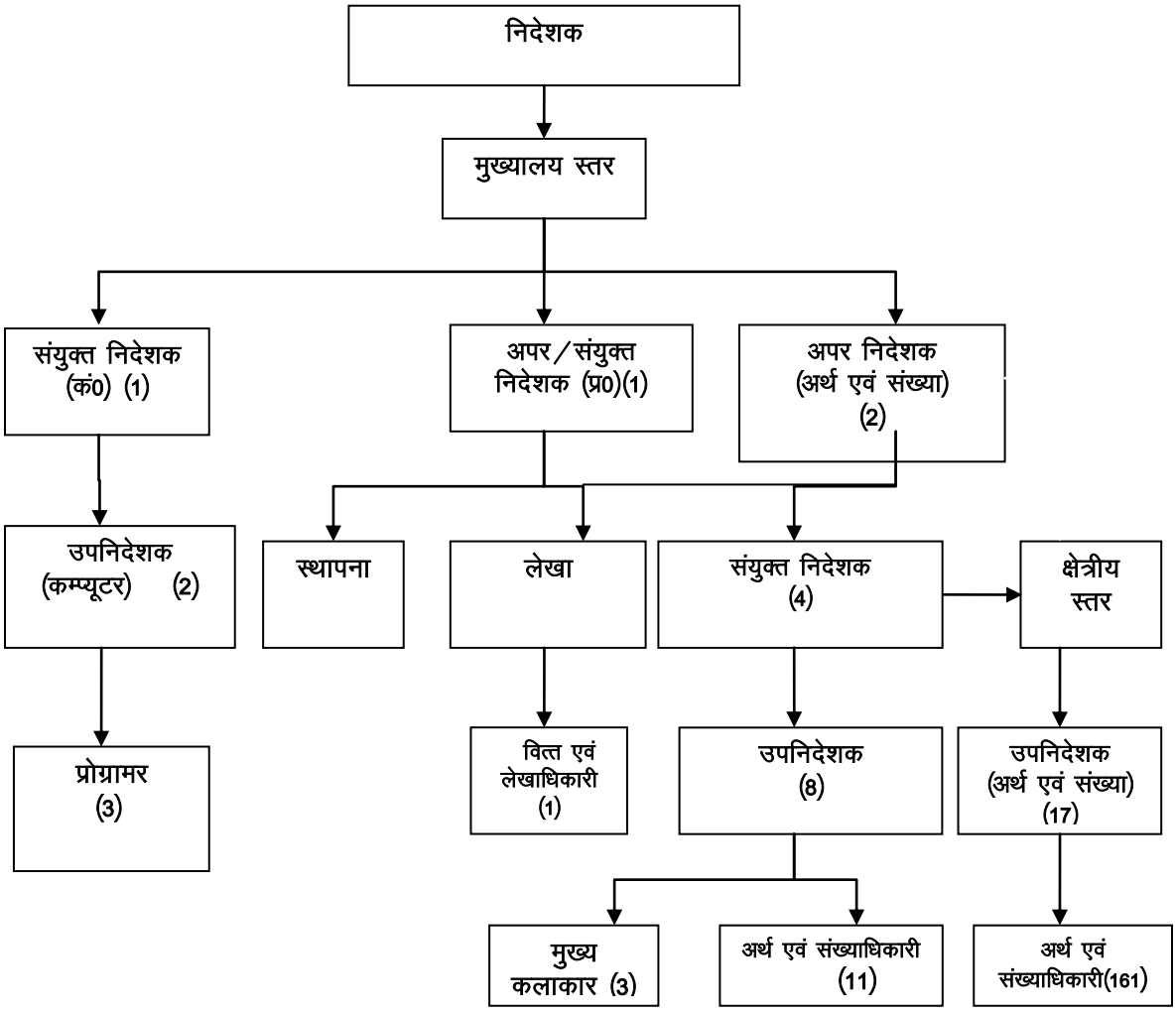

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में दिनांक 31–03–2020 को स्वीकृत एवं भरे पदों की संकलित स्थिति निम्नवत् रही–

राजपत्रित			अराजपत्रित			योग		
कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	
	कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
913	802	200 / 18	1937	794	188 / 11	2850	**1596**	**388** / 29

1.2 प्रभाग की प्रमुख गतिविधियाँ

I. प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की नियमित समीक्षा करना।

II. प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार करना।

III. राज्य में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं के संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग प्रदान करना।

IV. जिला योजना को तैयार करना तथा उसका अनुश्रवण करना।

1.2.1 गतिविधि–I के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम, त्वरित, संशोधित और तिमाही अनुमान तैयार करना।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमानों को तैयार करना।
- जनपदीय घरेलू उत्पाद के अनुमान को तैयार करना।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का निर्माण।
- थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण और नगरीय मजदूरी सूचकांक का निर्माण।

1.2.2 गतिविधि–II के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श का सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित रिपोर्ट का प्रकाशन करना।
- 47 आवश्यक वस्तुओं का भाव संग्रह एवं संकलन करना।
- सांख्यिकीय डायरी, जिला और मण्डलीय सांख्यिकीय पत्रिका, जिलेवार विकास संकेतांकों, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक सांख्यिकी आदि का प्रकाशन करना।
- ग्राम वार आधारभूत आँकड़ों का संग्रह करना।
- आवास साँख्यिकी के आँकड़ों का संग्रह करना।
- भवन निर्माण लागत का निर्माण सूचकांक तैयार करना।

  उक्त से सम्बन्धित प्राथमिक आँकड़ों का एकत्रण जनपदीय कार्यालय के माध्यम से कराया जाता है।

1.2.3 गतिविधि–III एवं IV के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य–

- नियमित रूप से प्रभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का संकलन तथा जिला एवं मण्डलीय प्रशासन को योजनाओं के सही क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- जनपद / मण्डल में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं का भौतिक सत्यापन करना।
- उ०प्र०सरकार के नियोजन विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं यथा–राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यूनिक आइडेन्टिफिकेशन, त्वरित आर्थिक विकास योजना, नवाचार निधि इत्यादि के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
- जिला योजना को तैयार करना और उसकी जिला योजना समिति से मंजूरी प्राप्त करना।

1.3 प्रभाग मुख्यालय पर अनुभागीय संरचना

प्रभाग मुख्यालय पर प्रशासनिक प्रबन्धन एवं कार्य सम्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित अनुभागों के अन्तर्गत कार्य संचालित किये जा रहे हैं :–

1. राज्य आय अनुभाग
2. क्षेत्राधीक्षण रा0प्र0स0–1, अनुभाग
3. विश्लेषण रा0प्र0स0–2, अनुभाग
4. डेटा बैंक अनुभाग
5. भाव अनुभाग
6. औद्योगिक सांख्यिकी, अनुभाग
7. आवास सांख्यिकी, अनुभाग
8. संगणक, अनुभाग
9. ग्राफ एवं पुस्तकालय, अनुभाग
10. बाहय सहायतीत कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण, अनुभाग
11. समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग
12. स्थापना अनुभाग
13. लेखा अनुभाग–1
14. लेखा अनुभाग–2

1.4 प्रभाग में स्वीकृत पद

1.4.1 प्रभाग मुख्यालय पर स्वीकृत पदों की स्थिति (31.03.2020)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
	समूह 'क'		
1	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	37400–67000, 8900 लेवल 13क – 131100	1
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	37400–67000, 8700 लेवल 13 – 118500	1
3	अपर निदेशक	37400–67000, 8700 लेवल 13 – 118500	2
4	संयुक्त निदेशक	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	4
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	1
6	उप निदेशक	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	8
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	2
योग			19

समूह 'ख'			
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	11
9	प्रोग्रामर	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	3
10	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	88
11	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	4
12	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	1
13	सहायक लेखाधिकारी	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा स्जित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1
14	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	1
योग			109
	योग राजपत्रित क+ख		128
समूह 'ग'			
15	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	2
16	वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	3
17	कलाकार	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
18	लेखाकार	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा स्जित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1
19	सहायक लेखाकार	तदैव	1
20	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	50
21	प्रधान सहायक	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	10
22	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	5
23	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	12
24	आशुलिपिक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
25	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	13

26	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200–20200,2000 लेवल 3– 21700	28
27	पंच सुपरवाइजर	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
28	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–1	5200–20200,2400 लेवल 4– 25500	9
29	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–2	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	1
30	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	3
योग			**141**
समूह 'घ'			
30	मशीन आपरेटर	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	1
31	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	3
32	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	33
	योग		**37**
	महायोग		**306**

1.4.2 प्रभाग के प्रत्येक मण्डल स्तरीय कार्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति (31.03.2020)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप निदेशक	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	1#
2	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	1
3	मुख्य कलाकार/वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	1
5	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	3
6	आशुलिपिक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
7	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
8	कनिष्ठ सहायक	5200–20200,2000 लेवल 3– 21700	1–2*
9	उर्दू अनुवादक/सह वरि0 सहायक	5200–20200,2400 लेवल 4– 25500	1*
10	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	1**
11	चपरासी	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	1–3

अलीगढ मण्डल पर उप निदेशक का पद सृजित नहीं है।

* मात्र 7 मण्डलीय कार्यालयों यथा बरेली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ तथा फैजाबाद में ही उर्दू अनुवादक के पद सृजित है। इन कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक का एक ही पद स्वीकृत है।

** देवीपाटन, बस्ती तथा चित्रकूटधाम मण्डल कार्यालय में पद सृजित नहीं है।

1.4.3 प्रभाग के जनपद स्तरीय कार्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2019)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	2*
2	वरिष्ठ कलाकार/कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400 / 5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
3	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	4–9**
4	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	1–7**
5	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1–2**
6	कनिष्ठ सहायक	5200–20200,2000 लेवल 3– 21700	2#
7	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक	–	1##
8	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	1
9	चपरासी	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	1–3**

*12 जनपदों–कन्नौज, बागपत, औरैय्या, कानपुर नगर, संतकबीर नगर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, श्रावस्ती, भदोही, अमरोहा एवं रामपुर में अर्थ एवं संख्याधिकारी के 1–1 पद सृजित हैं।

** जनपद में कार्य की आवश्यकतानुसार पद सृजित हैं।

जनपद कानपुर नगर में एक ही पद सृजित है।

4 जनपदों–कन्नौज, बागपत, औरैय्या व संतकबीर नगर में ही पद सृजित।

1.4.4 दिनांक 31–03–2020 को प्रभाग में कुल स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद (संख्या)			
				सामान्य	अनु0जाति	अनु0जनजाति	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
समूह 'क'							
1	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	37400–67000, 8900 लेवल 13क– 131100	1	1	–	–	1
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	37400–67000, 8700 लेवल 13– 118500	1	–	–	–	–
3	अपर निदेशक	37400–67000, 8700 लेवल 13– 118500	2	–	–	–	–
4	संयुक्त निदेशक	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	4	4	–	–	4

5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	1	–	1	–	1
6	उप निदेशक	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	28	21	5	–	26
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	2	–	1	–	1
योग			**39**	**26**	**7**	**–**	**33**
समूह 'ख'							
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	172	72	30	–	102
9	प्रोग्रामर	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	3	–	–	–	–
10	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	692	482	163	18	663
11	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	4	1	–	–	1
12	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	1	1	–	–	1
13	सहायक लेखाधिकारी	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1	1	–	–	1
14	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	1	1	–	–	1
योग			**874**	**558**	**193**	**18**	**769**
	योग राजपत्रित क+ख		**913**	**584**	**200**	**18**	**802**
समूह 'ग'							
15	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	13	1	–	–	1
16	वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	33	21	8	1	30
17	कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	52	–	1	–	1
18	लेखाकार	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1	–	–	–	–
19	सहायक लेखाकार	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1	1	–	–	1

20	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	1041	110	31	–	141
21	प्रधान सहायक	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	10	9	1	–	10
22	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	5	4	–	–	4
23	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	12	7	2	–	9
24	आशुलिपिक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	18	7	6	–	13
25	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	171	126	40	3	169
26	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200–20200,2000 लेवल 3– 21700	202	122	59	3	184
27	उर्दू अनुवादक/ सह वरि0 सहायक	5200–20200,2400 लेवल 4– 25500	7	7	–	–	7
28	पंच सुपरवाइजर	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1	–	–	–	–
29	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–1	5200–20200,2400 लेवल 4– 25500	9	1	–	–	1
30	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–2	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	1	–	–	–	–
31	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	83	43	11	1	55
32	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक		4	–	–	–	–
			1664	459	159	8	626

समूह 'घ'

33	मशीन आपरेटर	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	1	–	–	–	–
34	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	3	2	–	–	2
35	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	269	134	29	3	166
योग			**273**	**136**	**29**	**3**	**168**
महायोग			**2850**	**1179**	**388**	**29**	**1596**

1.5 प्रभाग मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के भवनों की स्थिति

वर्तमान में प्रभाग मुख्यालय का कार्यालय 9, सरोजिनी नायडू मार्ग, योजना भवन परिसर, लखनऊ स्थित अर्थ एवं संख्या भवन में स्थापित है। मण्डलीय उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या) के 8 कार्यालय – आजमगढ़, फैजाबाद, चित्रकूटधाम, अलीगढ़, झॉसी, बस्ती, कानपुर एवं लखनऊ मण्डल शासकीय भवन में स्थित हैं। शेष 10 मण्डल कार्यालय निजी भवन में स्थापित हैं। 68 जनपदो के अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय विकास भवन में स्थित है। शेष **7** जनपदों के कार्यालय निजी भवनों में स्थापित है।

******

अध्याय–2
राज्य आय अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के राज्य आय अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं:–

1. राज्य आय अनुमान
2. जिला आय अनुमान
3. उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण
4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा
5. सकल स्थायी पूँजी निर्माण
6. उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े
7. स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य

1.1 राज्य आय अनुमान (State Income Estimates)

1.1.1 सामान्य परिचय

- राज्य आय अनुमान एक वर्ष की अवधि में राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण का मापक है।
- राज्य आय अनुमान स्थायी एवं प्रचलित भावों पर तैयार किये जाते हैं। स्थायी भावों पर तैयार अनुमान भाव परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त होने के कारण अर्थव्यवस्था में हुई वास्तविक वृद्धि को दर्शाते हैं।
- सकल राज्य आय से स्थायी पूँजी के उपयोग/ह्रास को घटाने पर निवल राज्य अनुमान प्राप्त होते हैं।
- अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्तर के बोध के लिए, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति ज्ञात करने, समय के साथ अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना में हुए परिवर्तन का संज्ञान करने एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु इन अनुमानों का प्रयोग किया जाता है।

1.1.2 राज्य स्तरीय अनुमानों की पृष्ठभूमि व आधार वर्ष

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा राज्य आय के अनुमान वर्ष 1950–51 से निरन्तर तैयार किये जा रहे हैं।
- सर्वप्रथम आधार वर्ष 1948–49 पर राज्य आय अनुमान तैयार किये गये। तद्पोरान्त आधार वर्ष 1960–61, 1970–71, 1980–81, 1993–94 व 1999–2000 व 2004–05 पर अनुमान तैयार किये गये। वर्ष 2019–20 में आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2019–20(अग्रिम) तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

1.1.3 खण्डीय संरचना व आँकड़ों के स्रोत

- अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों को 11 खण्डों में विभाजित कर खण्डवार आय अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- उक्त क्रिया–कलापों/खण्डों को 3 प्रमुख खण्डों यथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक खण्डों में वर्गीकृत किया गया है।
- आय अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा कृषि, उद्यान, राजस्व, पशुपालन, वन, मत्स्य, खनिज, विद्युत, परिवहन, भण्डारण आदि, प्रदेश के स्थानीय निकायों, स्वयत्तशासी संस्थानों, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, राज्य सरकार के बजट अभिलेख, जनगणना 2011 तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्रीय अंश के उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के अनुमान तैयार करने हेतु नवीनतम् सर्वेक्षणों/अध्ययनों के उपलब्ध परिणामों का प्रयोग किया जाता है।

1.1.4 रीति विधायन

- राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीति विधायन एवं दिशा–निर्देशन का अनुसरण करके अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- राज्य आय अनुमान के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों का मापन निहित है। अतः विभिन्न खण्डों के लिये आय मापन हेतु अलग–अलग विधि यथा प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच एवं एक्सपेंडिचर अप्रोच का प्रयोग किया जाता है।
- राज्य आय के वार्षिक अनुमानों को प्रदेश की सांख्यिकीय समन्वय समिति की गठित उपसमिति ''क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की बैठक आयोजित कराकर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त आँकड़ों की पुष्टि कराकर अंतिम रूप दिया जाता है।
- वार्षिक आय अनुमानों को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ प्रत्येक वर्ष तुलनात्मक विचार–विमर्श एवं अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों के क्रम में संशोधित कर परिष्कृत किया जाता है।

1.1.5 वार्षिक कैलेन्डर

वर्षान्तर्गत राज्य आय के त्वरित, अग्रिम व संशोधित अनुमान तथा त्रैमासिक अनुमान निर्गत किये जाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अपेक्षानुसार उक्त तैयार अनुमानों को जारी करने हेतु कैलेन्डर का निर्धारण किया गया जो निम्नवत् हैः–

Revised Advance Release Calendar For Releasing Estimates of GSDP

क्रम0 सं0	आय अनुमान	निर्धारित तिथि
1.	राज्य आय के अग्रिम अनुमान	15 फरवरी
2.	राज्य आय के संशोधित अनुमान	30 जून
3.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q1 (अप्रैल–जून)	30 सितम्बर
4.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q2 (जुलाई–सितम्बर)	15 जनवरी
5.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q3 (अक्टूबर–दिसम्बर)	31 मार्च
6.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q4 (जनवरी–मार्च)	15 जुलाई
7.	राज्य आय के त्वरित अनुमान *	31 दिसम्बर

* राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश (वार्षिक प्रकाशन) जारी किये गये राज्य के त्वरित अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है जो विधान मण्डल में वितरित किया जाता है।

1.1.6 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2018–19 तक के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेश की सांख्यिकीय समन्वय समिति की गठित उपसमिति ''क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में विभिन्न खण्डों के ऑकड़ों की पुष्टि करायी गयी।
- उक्त अनुमानों से सम्बन्धित विषयवस्तु, विभिन्न परिणामों की तालिकायें/ग्राफ/चार्ट तैयार करके एवं विश्लेषण कर प्रभाग का वार्षिक प्रकाशन ''राज्य आय अनुमान वर्ष 2011–12 से वर्ष 2018–19'' तैयार कर प्रकाशित कराया गया, जो कि नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है।

- प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 2019–2020 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अग्रिम अनुमान तैयार किये गये।
- वर्षान्तर्गत निम्न 4 त्रैमासों के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान निर्धारित कैलेन्डर के अनुरूप तैयार किये गये–
- माह जनवरी 2019 से मार्च 2019–चतुर्थ त्रैमास (वर्ष 2018–19)
- माह अप्रैल 2019 से जून 2019–प्रथम त्रैमास (वर्ष 2019–20)
- माह जुलाई 2019 से सितम्बर 2019–द्वितीय त्रैमास (वर्ष 2019–20)
- माह अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019–तृतीय त्रैमास (वर्ष 2019–20)

1.1.7 प्रशिक्षण / सेमिनार / वर्कशाप

आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किए गए वर्ष 2011–12 से वर्ष 2017–18 तक के प्रदेश के आय अनुमानों पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 13 से 17 मई 2019 की अवधि में तुलनात्मक विचार–विमर्श आयोजित किया गया जिसमें संबन्धित कार्य को देख रहे उप निदेशक तथा पॉच अपर सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 16 से 20 दिसम्बर, 2019 की अवधि में "State Income And Related Aggregates" पर जयपुर (राजस्थान) में किया गया, जिसमें प्रभाग से संयुक्त निदेशक, उप निदेशक व दो अपर सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1.1.8 मुख्य परिणाम

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद *								
वर्ष	प्रचलित भावों पर सकल आय (करोड़ रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय (करोड़ रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2011-12	8736329	724050	8.3	8736329	724050	8.3		
2012-13	9944013	822393	8.3	9213017	758205	8.2	5.5	4.7
2013-14	11233522	940356	8.4	9801370	802070	8.2	6.4	5.8
2014-15	12467959	1011790	8.1	10527674	834432	7.9	7.4	4.0
2015-16	13771874	1137808	8.3	11369493	908241	8.0	8.0	8.8
2016-17	15391669	1290289	8.4	12308193	1007010	8.2	8.3	10.9
2017-18	17098304	1460443	8.5	13175160	1079879	8.2	7.0	7.2
2018-19	18971273	1668229	8.8	13981426	1137469	8.1	6.1	5.3
2019-20	20384759	1794508	8.8	14683835	1187277	8.1	5.0	4.4

भारत तथा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय*								
वर्ष	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011-12	63462	32002	50.4	63462	32002	50.4		
2012-13	70983	35812	50.5	65538	32908	50.2	3.3	2.8
2013-14	79118	40124	50.7	68572	34044	49.6	4.6	3.5
2014-15	86647	42267	48.8	72805	34583	47.5	6.2	1.6
2015-16	94797	47118	49.7	77659	36973	47.6	6.7	6.9
2016-17	104880	52744	50.3	83003	40641	49.0	6.9	9.9
2017-18	115293	58821	51.0	87828	42798	48.7	5.8	5.3
2018-19	126521	66512	52.6	92085	44421	48.2	4.8	3.8
2019-20	134432	70419	52.4	95706	45648	47.7	3.9	2.8

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण (प्रचलित भावों पर) *

खण्ड	2011–12		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19		2019–20	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	18.5	26.9	18.6	26.9	18.2	25.8	17.7	25.8	18.0	24.9	18.0	24.4	17.1	24.6	17.8	23.9
प्राथमिक	21.7	27.8	21.4	27.9	20.9	26.9	20.1	26.8	20.4	25.9	20.3	26.1	19.3	25.8	19.9	25.2
विनिर्माण	17.4	12.9	16.5	12.8	16.3	11.1	17.1	12.4	16.7	15.1	16.4	14.6	16.1	14.5	15.1	13.5
माध्यमिक	29.3	26.7	27.9	26.1	27.3	25.1	27.6	25.5	27.0	27.9	26.9	27.4	26.6	27.0	25.3	25.8
तृतीयक	49.0	45.5	50.6	46.0	51.8	48.1	52.3	47.7	52.6	46.2	52.8	46.5	54.0	47.2	54.8	49.0
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि (2011–12 भावों पर) *

खण्ड	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19		2019–20	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	1.5	4.6	5.6	–0.5	–0.2	–2.0	0.6	4.2	6.8	7.0	5..9	4.0	2.4	5.4	4.0	2.1
प्राथमिक	1.4	4.4	4.8	–0.1	1.2	–0.9	2.1	5.6	7.3	7.1	5..8	9.1	1.0	2.1	3.9	2.2
विनिर्माण	5.5	4.1	5.0	13.7	7.9	–10.0	13.1	26.4	7.9	47.0	6.6	2.9	5.7	3.9	.03	–1.5
माध्यमिक	3.6	2.8	4.2	7.9	6.7	–2.0	9.5	15.3	7.5	27.9	6..5	4.2	6.0	4.5	0.7	1.1
तृतीयक	8.3	6.8	7.7	7.1	9.8	9.2	9.4	7.6	8..5	4.2	6.9	8.3	7.7	7.6	5.5	7.5
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	5.4	5.1	6.1	5.3	7.2	3.5	8.0	9.0	8.0	11.3	6.9	7.2	6.0	5.4	3.9	4.4
सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)	5.5	4.7	6.4	5.8	7.4	4.0	8.0	8.8	8.3	10.9	7.0	7.2	6.1	5.3	4.2	4.4

नोट *:1. उ0प्र0 के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2017–18 के अनन्तिम, 2018–19 के त्वरित अनुमान व 2019–20 के अग्रिम अनुमान।

2. भारत के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमान व वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमान व वर्ष 2019–20 के अनन्तिम अनुमान।

1.2 जिला आय अनुमान (District Income Estimates)

1.2.1 सामान्य परिचय

राज्य के संतुलित एवं समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं अन्तर्जनपदीय आय वैभिन्नताओं (disparities) को कम किया जाये। अतः सुनियोजित विकास हेतु जनपद स्तरीय आर्थिक संकेतक अति आवश्यक हैं। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में इन संकेतकों का महत्व एवं आवश्यकता और अधिक हो जाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जिला आय अनुमान तैयार किये जाते है। मानव विकास सूचकांक/प्रतिवेदन तैयार करने में इन अनुमानों का विशेष महत्व है।

1.2.2 पृष्ठभूमि व रीति विधायन

सर्व प्रथम नेशलन काउंसिल ऑफ अपलाईड इकनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1963 में वर्ष 1955–56 के प्रचलित भावों पर जिला आय अनुमान अपने प्रकाशन ''इंटर डिस्ट्रिक्ट एण्ड इंटर स्टेट डिफरेन्सियल्स 1955–56'' में प्रकाशित किए गए। वर्ष 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय के स्व. प्रोफेसर बलजीत सिंह द्वारा मोनोग्राम ''इंटर डिस्ट्रिक्ट इन्कम एण्ड इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश'' प्रस्तुत किया गया।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सर्वप्रथम प्रचलित भावों पर वर्ष 1968–69 में जनपदवार 5 वस्तु उत्पादन खण्डों यथा–कृषि एवं पशुपालन, वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन् तथा पत्थर निकालना एवं विनिर्माण के अनुमान तैयार किये गये। इन अनुमानों में अपनायी गयी पद्धति पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से विचार–विमर्श किया गया। वर्ष 1978 में उक्त 5 वस्तु उत्पादन खण्डों के अनुमान प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 1960–61, 1968–69 और 1970–71 से 1973–74 तक के लिए तैयार किये गये जो वर्ष 1996–97 तक बनाये गये।

अगस्त 1996 में उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के अर्थ एवं संख्या विभाग ने संयुक्त रूप से अर्थ व्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के जिला आय अनुमान तैयार करने के लिए मेथोडोलॉजी निर्धारित की जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुमोदनोपरान्त समस्त राज्यों में लागू की गयी। इस रीति विधायन का अनुसरण करके राज्य आय की ही भांति जिला आय अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के लिए वर्ष 1993–94 तथा 1997–98 के लिए तैयार किये गये। तत्पश्चात् आगामी वर्षों में इसी प्रकार समस्त 13 खण्डों के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

1.2.3 आधार वर्ष

जिला आय अनुमान तैयार करने हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान के आधार वर्ष के अनुसार ही रखा जाता है। जिला आय अनुमान हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान की ही भांति वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

1.2.4 कैलेन्डर

जिला आय अनुमान दो वर्ष के टाइम लैग से माह फरवरी के अन्त तक जारी किये जाते हैं। उदाहरणतः वर्ष 2017–18 के जिला आय अनुमान फरवरी 2020 के अन्त में निर्गत किये गये।

1.2.5 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- विभिन्न विभागों से आँकड़ें एकत्र कर उनका संकलन एंव संगणन करके खण्डवार संकलित करके आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के जिला आय अनुमान तैयार किये गये।
- जिला आय अनुमान अर्थ एवं संख्या प्रभाग की वेबसाइट **http://updes.up.nic.in** पर उपलब्ध हैं।

1.2.6 मुख्य परिणाम

आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 से 2018–19(अनन्तिम) तक जिला आय अुनमान के मुख्य परिणाम निम्नवत् हैं। उच्चतम् प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले प्रथम 5 जनपदों की स्थिति निम्नवत् है–**(रू. में)**

क्र.सं.	वर्ष 2011–12 (संशोधित)		वर्ष 2014–15 (संशोधित)		वर्ष 2015–16 (संशोधित)		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18 (संशोधित)		वर्ष 2018–19 (अनन्तिम)	
1.	गौतमबुद्ध नगर	242249	गौतमबुद्ध नगर	353181	गौतमबुद्ध नगर	118055.78	गौतमबुद्ध नगर	136855.23	गौतमबुद्ध नगर	380926	गौतमबुद्ध नगर	415062
2.	मेरठ	60014	मेरठ	83607	लखनऊ	47943.97	लखनऊ	55337.67	मेरठ	89533	मेरठ	97589
3.	लखनऊ	55349	आगरा	67207	आगरा	45605.77	आगरा	50020.18	आगरा	73963	महोबा	78079
4.	गाजियाबाद	51789	लखनऊ	65328	प्रयागराज	41853.98	प्रयागराज	48019.42	हापुड	72931	आगरा	77870
5.	आगरा	47579	हापुड़	62429	मेरठ	41694.88	मेरठ	47937.71	लखनऊ	72646	एटा	77528

न्यूनतम् प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले 5 जनपदों की स्थिति निम्नवत् है–

(रू. में)

क्र. सं.	वर्ष 2011–12 (संशोधित)		वर्ष 2014–15 (संशोधित)		वर्ष 2015–16 (संशोधित)		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19 (अनन्तिम)	
1.	प्रतापगढ़	16405	बलरामपुर	19642	श्रावस्ती	3546.51	श्रावस्ती	3992.39	संत कबीर नगर	21814	बहराइच	24953
2.	संत कबीर नगर	16815	संत कबीर नगर	20786	संत कबीर नगर	5013.67	चित्रकूट संत कबीर नगर	4550.96	बहराइच	22994	बलरामपुर	25302
3.	बहराइच	17670	बलिया	21905	चित्रकूट	6477.23	संत कबीर नगर	7035.74	बलरामपुर	23277	संत कबीर नगर	25865
4.	देवरिया	17847	प्रतापगढ़	22289	हमीरपुर	6507.16	महोबा	7572.16	चित्रकूट	24399	सिद्धार्थ नगर	26668
5.	सिद्धार्थ नगर	18436	बहराइच	22422	औरैया	6759.41	औरैया	8082.12	सिद्धार्थ नगर	25289	प्रतापगढ़	26890

1.3. उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

1.3.1 सामान्य परिचय

आय–व्ययक (बजट) राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियंत्रण की आवश्यकता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन देनों के लेखा संपरीक्षा संबंधी उद्देश्यों के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत रहता है।

- आय–व्ययक संबंधी लेन देनों के आर्थिक एवं प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक (बजट) अनुमानों के विभिन्न मदों को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा उपलब्ध कराई गई रीति विधान के अनुसार पुनः वर्गीकरण एवं पुनः समूहीकृत करके अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यह प्रतिवेदन नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया जाता है।
- आर्थिक वर्गीकरण में सरकारी ब्यौरेवार व्यय को पृथक करके उनको अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूँजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्यात्मक वर्गीकरण में व्ययों को सम्बन्धित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि सेवाओं में बांटकर दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक के उक्तानुसार समीक्षात्मक विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक प्रशासन का विभिन्न सेक्टरों यथा राज्य आय, पूंजी निर्माण आदि में अंश का आंकलन किया जाता है।

1.3.2 पृष्ठभूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वर्ष 1965–66 से आर्थिक वर्गीकरण तथा वर्ष 1966–67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ–साथ कार्यात्मक वर्गीकरण किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग केन्द्रीय सरकार के आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957–58 से तथा आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 1967–68 से कर रहा है।

1.3.3 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के बजट वर्ष 2019–20 से प्राप्तियों तथा व्यय की 11 पुस्तिकाओं के कोडिंग का कार्य कराने के उपरान्त वर्ष 2017–18 (वास्तविक), वर्ष 2018–19 (पुनरीक्षित अनुमान) तथा वर्ष 2019–20 (आय–व्ययक) के संकलन का कार्य पूर्ण कराया गया।
- वर्ष 2017–18 (वास्तविक) एवं वर्ष 2018–19 (पुनरीक्षित) एवं 2019–20 (आय–व्ययक) की लेखा तालिकायें तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयीं।
- वार्षिक प्रतिवेदन ''उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 2019–20'' तैयार करने के उपरान्त प्रकाशित कराकर नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया गया।

1.3.4 मुख्य परिणाम

आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(लाख रु० में)

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2018–19	आय–व्ययक अनुमान 2019–20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**चालू व्यय**	24326370	28856865	31779381
1.1	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	9344408	11654368	13698420
1.2	साधारण ऋण पर ब्याज	2806932	3110837	3425183
1.3	राज सहायतायें	1714511	2407467	2563265
1.4	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	9083622	10223225	10328893

1.5	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	1376897	1460968	1763620
2	**पूँजीगत व्यय**	5871862	12609127	13009927
2.1	कुल स्थिर पूँजी निर्माण	2825654	6683350	6652487
2.2	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	185266	1	14702
2.3	पूँजीगत अन्तरण	369464	874912	1391905
2.4	पूँजी शेयरों में निवेश	840339	2223755	1140540
2.5	ऋण एवं अग्रिम	150929	772435	272845
2.6	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	1500210	2054674	3537448
योग		**30198232**	**41465992**	**44789308**

आय–व्ययक का कार्यात्मक वर्गीकरण

(लाख रु० में)

क्र.सं.	**मद**	**वास्तविक** 2017–18	**पुनरीक्षित अनुमान** 2018–19	**आय–व्ययक अनुमान** 2019–20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सामान्य सेवायें	6900854	8944444	10029937
2.	सुरक्षा	10390	12033	12868
3.	शिक्षा	5432574	6733534	7392371
4.	स्वास्थ्य	1874158	2328316	2619087
5.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	1867418	2986810	3229239
6.	आवास एवं सामुदायिक सेवायें	1827035	3411679	3538732
7.	सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	144060	228650	236429
8.	आर्थिक सेवायें	7829777	11616932	10757780
9.	अन्य सेवायें	4311966	5203594	6972865
योग		**30198232**	**41465992**	**44789308**

1.4 उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

1.4.1 सामान्य परिचय–

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा'' नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है जो कि बजट सत्र के अन्तर्गत नियोजन विभाग के बजट साहित्य के रूप में विधान मण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है। उक्त प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य–कलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। प्रादेशिक आर्थिक समीक्षा में विशेष रूप से राज्य की अर्थ व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय, पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, सेवाक्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रमशक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम, खनिज एवं विद्युत तथा सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) आदि से सम्बन्धित विश्लेषण किया जाता है, साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाती है।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा–चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन, उद्योग, वन, खनिज, समाज कल्याण, विद्युत आदि एवं केन्द्र सरकार के अनके महत्वपूर्ण प्रकाशनों से

प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। पत्रिका को **www.updes.up.nic.in** पर अवलोकित किया जा सकता है।

1.4.2 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य–

1–''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2018–19 एवं 2019–20'' हेतु विभिन्न विभागों से आंकड़े/रिपोर्ट प्राप्त कर उन्हें अध्यायवार संकलित किया गया।
2–प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तालिकाएं/ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
3–उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2019–20 के 16 अध्यायों को तैयार किया गया।
4–तैयार पाण्डुलिपि को अपर मुख्य सचिव महोदय के अनुमोदनोपरान्त प्रकाशित कराया गया।
5–वर्तमान में उ0प्र0 की आगामी आर्थिक समीक्षा हेतु आंकड़े/सूचनाएं प्राप्त करने एवं आर्थिक समीक्षा के विभिन्न अध्यायों के ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2019–20 की आर्थिक समीक्षा में निम्नलिखित 16 अध्यायों में प्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों की समीक्षा की गयी है।

- राज्य की अर्थ व्यवस्था
- प्रदेश के विकास की चुनौतियां तथा रणनीति
- वित्त एवं बैंकिंग सेवाएं
- कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा
- पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
- ग्राम्य विकास के कार्यक्रम
- औद्योगिक प्रगति
- सेवा क्षेत्र
- अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार
- पर्यटन
- शिक्षा
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- समाज कल्याण
- श्रमशक्ति एवं सेवा योजन
- सतत् विकास

1.5 सकल स्थायी पूँजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation(GFCF))

1.5.1 सामान्य परिचय

- अर्थ व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से पूँजी निवेश (investment) की दर पर निर्भर करता है जिसका आगणन सकल पूँजी निर्माण से किया जाता है। सकल पूँजी निर्माण के अनुमान में सकल स्थायी पूँजी निर्माण तथा स्टाक में परिवर्तन सम्मिलित होता है। राज्य स्तर पर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के ही अनुमान तैयार किये जाते हैं। सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थ व्यवस्था के विकास की योजना के निर्माण हेतु एक आवश्यक संकेतक है।

1.5.2 पृष्ठभूमि एवं कार्यविधि

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने का कार्य वर्ष 1999–2000 से प्रारम्भ किया गया।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीति विधान के अनुसार तैयार कराये जा रहे हैं।

- राज्य आय अनुमानों की ही भांति सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 11 खण्डों हेतु तैयार किये जाते हैं।
- यह अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के लिए तैयार किये जाते हैं। अधिक्षेत्रीय (Supra regional) क्षेत्र के अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग, विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं स्थानीय निकाय के लिए अलग–अलग अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- प्रशासनिक विभाग व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान आय–व्ययक अभिलेखों से आंकलित किये जाते हैं।
- गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान तैयार करने हेतु सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से प्रत्येक वर्ष प्रदेश में कार्यरत प्रतिष्ठानों की सूची प्राप्त की जाती है। तदोपरान्त् प्रत्येक प्रतिष्ठान से उनकी बैलेन्स सीट प्राप्त करके उसका विश्लेषण कर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- स्थानीय निकायों के पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगम, समस्त नगर पालिका परिषद, समस्त छावनी परिषद, समस्त जल संस्थान, समस्त विकास प्राधिकरण, समस्त जिला पंचायत एवं प्रत्येक जिले से चयनित एक नगर पंचायत व प्रत्येक विकास खण्ड से चयनित एक ग्राम पंचायत के आय–व्ययकों का वर्गीकरण करके स्थायी पूँजी निर्माण के आँकड़े तैयार किये जाते हैं।
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के अनुमान विभिन्न समाजार्थिक एवं उद्यम सर्वेक्षणों के अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों/परिणामों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों हेतु अलग–अलग तैयार किये जाते हैं।

1.5.3 कैलेन्डर

प्रदेश के आय–व्ययक(बजट) में दिये गये वास्तविक व्यय के अनुक्रम में उस वर्ष के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान 31 मार्च तक तैयार किये जाते हैं। मार्च 2020 तक वर्ष 2017–18 के अनुमान तैयार करने का कार्य किया गया।

1.5.4 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के ब्यौरेवार अनुमान वर्ष 2019–20 खण्ड 5 के सभी 10 भागों से वर्ष 2017–18 के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत पूँजी निर्माण से सम्बन्धित मदों में हुए खर्चों का संकलन किया गया।
- वर्ष 2017–18 में प्रदेश में कार्यरत कुल 40 में से 34 गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उनकी बैलेन्स शीट प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर संकलन कार्य किया गया।
- स्थानीय निकायों के वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक का विश्लेषण कर संकलन किया गया।

1.6 उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण सम्बन्धी आँकड़ेः–

स्थानीय निकायों से प्राप्त आंकड़ों का दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है–

1.6.1 स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य–

प्राप्त आंकड़ों से लेखा तालिकाऐं तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

1.6.2 स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकड़ें–

प्राप्त आंकड़ों से ''उ0प्र0 के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकडें'' प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

1.6.1.1 स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य–

1.6.1.1.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय आय व राज्य आय में स्थानीय निकायों के अंश के आंकलन के लिये स्थानीय निकायों के वार्षिक आय–व्यय के आर्थिक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है।

1.6.1.1.2 पृष्ठ भूमि

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरुप स्थानीय निकायों के आय–व्ययक (बजट) वर्गीकरण सम्बंधी कार्य वर्ष 1976 में प्रारम्भ किया गया था।

1.6.1.1.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य हेतु प्रदेश की समस्त नगर निगमों (17), नगर पालिका परिषदों (196), जिला पंचायतों (75) एवं जल संस्थानों (12) छावनी परिषदों (13) नगर पंचायत (437), समस्त जनपदों से चयनित ग्राम पंचायतों (4623) के आँकड़े एकत्रित कर उसका आर्थिक वर्गीकरण तैयार किया जाता है। कोष्ठक में वर्ष 2017–18 की विद्यमान संख्या दर्शायी गयी है।

1.6.1.1.4 कार्य विधि

स्थानीय निकायों से आय–व्ययक की सूचना प्राप्त करने हेतु प्रभाग स्तर पर अनुसूची निर्धारित की गयी हैं। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा स्थानीय निकायों से सूचना प्राप्त की जाती है। ग्रामीण व शहरी समस्त निकायों को सूचना एक ही अनुसूची पर प्राप्त कर डेटा इन्ट्री का कार्य किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों का प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य करके तालिकाओं को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है।

1.6.1.1.5 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2017–18 की समस्त राज्य स्तरीय तालिकायें तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी।
- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2018–19 हेतु आँकड़े समस्त 75 जनपदों से प्राप्त किये गये। उक्त आँकड़ों से तालिकाएं तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

1.6.2 स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकड़ें–

1.6.2..1 उद्देश्य

राज्य की अर्थ व्यवस्था के मूल्यांकन के सन्दर्भ में तैयार किये जाने वाले राज्य आय अनुमानों विशेष रुप से निर्माण, जल सम्पूर्ति, सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवा खण्डों के अनुमान तैयार करने हेतु स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी आँकड़ों की आवश्यकता होती है।

1.6.2.2 पृष्ठ भूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, रोजगार आदि से सम्बंधित सूचना/आंकड़े एकत्र करने का कार्य वर्ष 1967–68 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। तत्सम्बंधी वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन वर्ष 1983–84 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

1.6.2.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी आँकड़े प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों एवं छावनी परिषदों से एकत्र किए जाते है।

1.6.2.4 कार्य विधि

स्थानीय निकायों से सूचना/आँकड़े प्राप्त करने हेतु प्रभाग द्वारा एक अनुसूची निर्धारित की गई है। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त अनुसूची पर स्थानीय निकायों से आंकड़े प्राप्त कर प्रभाग द्वारा तैयार साफ्टवेयर पर डेटा इन्ट्री का कार्य किया जाता है।

प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य एवं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

1.6.2.5 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी वर्ष 2017–18 के आँकड़े प्रदेश के समस्त 75 जनपदों से प्राप्त कर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर पत्रिका का प्रकाशन किया गया।
- इसी क्रम में स्थानीय निकायों के वर्ष 2018–19 के आँकड़े समस्त 17 नगर निगमों, 196 नगर पालिका परिषदों, 437 नगर पंचायतों, 75 जिला पंचायतों, 12 जल संस्थानों (उपशाखा सहित) से एकत्र किये गये। उक्त आंकड़ों के संकलन का कार्य किया जा रहा है।

1.6.2.6 मुख्य परिणाम

- वर्ष 2017–18 में स्थानीय निकायों की कुल आय 1631207.99 लाख रु0 रही जबकि विगत वर्ष 2016–17 में कुल आय 1434995.76 लाख रु0 थी। इस प्रकार वर्ष 2017–18 में आय में लगभग 13.67 प्रतिशत अधिक रही।
- कुल आय में राजस्व कर से आय 177177.41 लाख रु0 रही। करेत्तर राजस्व का योगदान 285395.30 लाख रु0 तथा अनुदान अंशदान व ऋण से आय 1168635.28 लाख रु0 था। कुल आय में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा अनुदान का प्रतिशत अंश क्रमशः 10.86, 17.50 तथा 71.64 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2016–17 में स्थानीय निकायों का कुल व्यय 1425088.89 लाख रु0 था जो कि वर्ष 2017–18 में 2.35 प्रतिशत घटकर 1391601.27 लाख रु0 हो गया।
- कुल व्यय में सार्वजनिक निर्माण पर व्यय 51.89 प्रतिशत, विविध व्यय पर 51.89 प्रतिशत, सामान्य प्रशासन एवं राजस्व एकत्रीकरण पर व्यय 15.43 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य पर 4.37 प्रतिशत, सुरक्षा एवं सुविधा पर 1.67 प्रतिशत, तथा शिक्षा पर व्यय 1.51 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2017–18 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कुल 463630.98 लाख रु0 पूँजी निर्माण पर व्यय किया गया इस व्यय में प्रमुख रुप से नगर पालिका परिषद द्वारा 106131.62 लाख रु0 व्यय किये गये जो कि कुल पूँजी निर्माण पर व्यय का 22.89 प्रतिशत है।
- प्राप्त आँकड़ों के आधार पर 31 मार्च, 2018 को समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में कुल 130419 कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें सर्वाधिक 58749(45.05 प्रतिशत), कर्मचारी अन्य सेवा में 53090 (40.70 प्रतिशत) कर्मचारी स्वच्छता सेवा में एवं 18580 (14.24 प्रतिशत) कर्मचारी जल सम्पूर्ति सेवा में कार्यरत् थे।

1.7–स्वायत्तशासी संस्थाओं की बैलेंस शीट के विश्लेषण संबंधी कार्य–

राज्य आय अनुमान तैयार करने हेतु निर्माण खण्ड, अन्य सेवाएं व सार्वजनिक प्रशासन खण्ड के आगणन हेतु प्रभाग द्वारा यह कार्य वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वायत्तशासी संस्थाओं व 30 जनपदों के 32 विकास प्राधिकरण के आय–व्यय संबंधी आंकडों के विश्लेषण का कार्य किया जाता है। वर्ष 2017–18 की 70 स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेस शीट के परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर तथा उनकी अन्तिम लेखा तालिकाऐं तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित करने का कार्य किया गया। वर्ष 2018–19 की 79 स्वायत्तशासी व 32 विकास प्राधिकारण की बैलेंस शीट का परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर तथा उनकी अनन्तिम लेखा तालिकायें तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित करने का कार्य किया गया।

******

अध्याय–3
क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं विश्लेषण अनुभाग (रा.प्र.स)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0) का गठन वर्ष 1950 में सांख्यिकीय प्रतिचयन पद्धतियों का उपयोग करके असंगठित समाजार्थिक क्षेत्र के ऑकड़ों के एकत्रीकरण हेतु किया गया था। इन आंकड़ों की उपयोगिता विशेष कर नियोजन एवं नीति–निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए समतुल्य प्रतिदर्श आधार पर नवीं आवृत्ति (वर्ष 1955) से राज्य प्रतिदर्श के रूप में आंकड़े एकत्र करा रहा है।

3.1 क्षेत्राधीक्षण अनुभाग के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा राज्य प्रतिदर्श के रूप में सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी इकाईयों का क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सर्वेक्षण कार्य का सम्पादन कराया जाता है। इस कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त क्षेत्रीय एवं मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को आवृत्ति की विषयवस्तु सम्बन्धी पूर्ण प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया जाता है। क्षेत्र में आवृत्ति से सम्बन्धित परिभाषाओं, संकल्पना, परिनिरीक्षण एवं प्रक्रिया सम्बन्धी उठाई जाने वाली पृच्छाओं का समाधान किया जाता है। रा0प्र0स0 के अन्तर्गत एकत्रित किये जा रहे ऑकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य का नियमित पर्यवेक्षण एवं तदर्थ सर्वेक्षणों से सम्बन्धित कार्यो को क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा सम्पन्न कराया जाता है।

3.1.1 वर्षः 2019–20 में सम्पादित किये गये मुख्य कार्य–:

रा0प्र0स0–75वीं आवृत्ति

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0)–75वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01 जुलाई 2017 से 30 जून, 2018 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी। यह सर्वेक्षण तीन–तीन माह की 04 उपावृत्तियों में सम्पन्न कराया गया।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 75वीं आवृत्ति उपभोक्ता व्यय तथा सामाजिक उपभोग स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु समर्पित है। इस आवृत्ति में अनुसूची 0.0 (परिवारों की सूची), अनुसूची 1.0 : पारिवारिक उपभोक्ता व्यय, अनुसूची 25.0: पारिवारिक सामाजिक उपभोग : स्वास्थ्य तथा अनुसूची 25.2 : पारिवारिक सामाजिक उपभोग : शिक्षा से सम्बन्धित है।
- इस आवृत्ति के अन्तर्गत राज्य को आवंटित कुल 1376 प्रतिदर्श इकाईयों के सापेक्ष समस्त सर्वेक्षित प्रतिदर्श इकाईयों के संग्रहित आंकड़ों की डेटा–इन्ट्री एवं वैलीडेशन साफ्टवेयर के फेज–1, फेज–2 व फेज–3 से वैलीडेशन का कार्य पूर्ण कराते हुए वैलीडेट आंकड़ों को समंक विधायन हेतु सम्बन्धित अनुभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया गया हैं।

रा0प्र0स0–76वीं आवृत्ति

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण(रा0प्र0स0)–76वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 1 जुलाई, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक निर्धारित की गयी थी। इस सर्वेक्षण की अवधि 6 माह की थी। जिसे तीन–तीन माह की दो उपावृत्तियों में विभक्त किया गया था।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0)–76वीं आवृत्ति पेयजल, स्वच्छता, आरोग्यता, आवासीय स्थिति एवं दिव्यांगजन हेतु समर्पित है। इस आवृत्ति में **अनुसूची 0.0–परिवारों की सूची, अनुसूची 1.2–पेयजल, स्वच्छता, आरोग्यता और आवासीय स्थिति**, **अनुसूची 26– दिव्यांगजन (Persons with disabilities)** का सर्वेक्षण हेतु चयनित प्रतिदर्श परिवारो से आंकड़ों का संग्रहण किया गया है।
- रा0प्र0स0–76वीं आवृत्ति के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श के आवंटित कुल 1042 इकाइयों का सर्वेक्षण दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक निर्धारित समयावधि में सम्पन्न किया गया था। उक्त आवृत्ति में सर्वेक्षित 1042

इकाइयों के सापेक्ष समस्त 1042 इकाइयों के आँकड़ों को वैलीडेट कराकर समंक विधायन हेतु सम्बन्धित अनुभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया गया हैं।

- **''दिव्यांगजन के सर्वेक्षण''** द्वारा दिव्यांगजनो के शैक्षणिक, व विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर उनकी स्थिति की जानकारी को एकत्र किया जाना है। इस सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त सांख्यकीय संकेतकों की दिव्यांगजनों के लिए योजना बनाने और नीति निर्धारण में सहायक होगें। साथ ही **''पेयजल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की स्थिति और आवासीय स्थिति''** के बारे में इस सर्वेक्षण के परिणामों के मुख्य उपयोगकर्ता पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भारत के महापंजीयक (Registrar General) के कार्यालय होंगे। इस सर्वेक्षण के परिणाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास निगम, वॉटर एण्ड इण्डिया, यूनिसेफ, डब्ल्यू0एच0ओ0 आदि के ऑकड़ों की जरूरत को भी पूरा करेंगे। इन उपयोगकर्ता के अलावा सर्वेक्षण के परिणाम अन्य योजनाकर्ताओं/नीति निर्माताओं और अनुसन्धानकर्ताओं के लिए उपयोगी होंगे।

रा0प्र0स0–77वीं आवृत्ति

- रा0प्र0स0–77वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–77वीं आवृत्ति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित कुल 1181 प्रतिदर्श इकाईयों द्वारा **''परिवारों की भूसम्पत्ति एवं पशुधन धारिता''** तथा **''कृषक परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन''** एवं **''पारिवारिक ऋण एवं निवेश''** के विषयों से सम्बन्धित आँकड़े निम्नलिखित अनुसूचियों पर संकलित कर एकत्रित कराया जाना है :–
- अनुसूची 0.0 : परिवारो की सूची। (List of Households)
- अनुसूची 33.1 : भूसम्पत्ति एवं पशुधन धारिता तथा कृषक परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन (Land and Livestock Holdings of households and Situation Assessment of Agricultural Households)
- अनुसूची 18.2 : पारिवारिक ऋण एवं निवेश (Household Debt and Investment)

इस आवृत्ति में सर्वेक्षण दो उपावृत्तियों–प्रथम उपावृत्ति एवं द्वितीय उपावृत्ति में विभक्त किया गया है। आवृत्ति में प्रथम उपावृत्ति एवं द्वितीय उपावृत्ति हेतु चयनितं प्रतिदर्श इकाइयों का दो बार–प्रथम गमन एवं द्वितीय गमन के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जाना है। प्रथम गमन की अवधि 08 माह तथा द्वितीय गमन की अवधि 04 माह निर्धारित की गयी है–

- **प्रथम गमन**– (1) प्रथम उपावृत्ति (जनवरी, 2019 से अप्रैल, 2019)
  - (2) द्वितीय उपावृत्ति (मई, 2019 से अगस्त, 2019)
- **द्वितीय गमन**– (1) प्रथम उपावृत्ति (सितम्बर, 2019 से अक्टूबर, 2019)
  - (2) द्वितीय उपावृत्ति (नवम्बर, 2019 से दिसम्बर, 2019)
- रा0प्र0स0–77वीं आवृत्ति के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श को आवंटित कुल 1181 इकाइयों में से प्रथम गमन की प्रथम उपावृत्ति व द्वितीय उपावृत्ति की 591 प्रतिदर्श इकाइयों एवं द्वितीय गमन की प्रथम उपावृत्ति व द्वितीय उपावृत्ति की 590 प्रतिदर्श इकाइयों का सर्वेक्षण सम्पन्न कराया गया। उक्त आवृत्ति में प्रथम गमन की 591 एवं द्वितीय गमन की 590 सर्वेक्षित प्रतिदर्श इकाइयों कुल 1181 इकाइयों के आँकड़ों को वैलीडेट कराने का कार्य कराया गया।
- इस सर्वेक्षण द्वारा भूसम्पत्ति एवं पशुधन धारिता तथा कृषक परिवारों की स्थिति के सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र मे परिवारों के भूमि एवं पशुधन स्वामित्व सम्बन्धी विभिन्न सूचकों (Indicators) को तैयार किया जाना है। इसके द्वारा कृषक परिवारों की उपभोक्ता व्यय के आधार पर उनके आर्थिक भलाई, आमदनी, उत्पादक परिसम्पत्तियॉ व ऋणग्रस्तता का पता लगाने एवं उनके कृषि अभ्यासों तथा कृषि के क्षेत्र में उनके तकनीकी विकास के साथ आधुनिक तकनीक की पहुॅच के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त की जायेगीं। साथ ही ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों में ऋण एवं निवेश के सर्वेक्षण द्वारा परिसम्पत्ति

के स्टाक, ऋणग्रस्तता की स्थिति, पूँजी निर्माण एवं ग्रामीण/नगरीय अर्थव्यवस्था के सूचकों को तैयार किया जाना है। साख संरचना (Credit structure) के विकास तथा अन्य क्षेत्र में योजना एवं विकास के संबंध में निष्कर्षो का आँकलन किया जा सकेगा। इन सांख्यिकीय सूचकों का उपयोग योजना संरचना, सरकार और सरकार से बाहर अनेक स्तरों पर नीति निर्माण एव निर्णय करने हेतु सहायक होगें। सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग कृषि, सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी एवं मछली पालन विभाग आदि में किया जायेगा। इस सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Cost and Prices), राष्ट्रीय लेखा डिवीजन (National Account Division) द्वारा किया जायेगा। इसका विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा भी उपयोग किया जा सकेगा।

रा0प्र0स0–78वीं आवृत्ति

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0)–78वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। यह सर्वेक्षण तीन–तीन माह की 04 उपावृत्तियों में विभक्त है।

- प्रथम उपावृत्ति जनवरी 2020 से मार्च 2020,
- द्वितीय उपावृत्ति अप्रैल 2020 से जून 2020,
- तृतीय उपावृत्ति जुलाई 2020 से सितम्बर 2020,
- चतुर्थ उपावृत्ति अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020

इस राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–78वीं आवृत्ति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित कुल 1684 प्रतिदर्श इकाईयों द्वारा समाजार्थिक विषय–**घरेलू पर्यटन पर व्यय** (Domestic Tourism Expenditure) **एवं मल्टीपल इंडिकेटर्स सर्वे** (Multiple Indicator Survey) से सम्बन्धित आँकड़े निम्नलिखित अनुसूचियों पर संकलित कर एकत्रित कराया जाना है:–

- अनुसूची 0.0 : **परिवारो की सूची** (List of Households)
- अनुसूची 21.1 : **घरेलू पर्यटन पर व्यय** (Domestic Tourism Expenditure)
- अनुसूची 5.1 : **एकाधिक संकेतक सर्वेक्षण** (Multiple Indicator Survey)

रा0प्र0स0–78वीं आवृत्ति में सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराने हेतु रा.प्र.स. कार्यालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर, 2019 को आयोजित प्रशिक्षुकों की अखिल भारतीय कार्यशाला में उच्चाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है।

उक्त के क्रम में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन प्रभाग मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित किया जायेगा, जिसमें अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस आवृत्ति के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श की आवंटित इकाइयों का सर्वेक्षण कार्य 01 जनवरी, 2020 से प्रारम्भ किया जायेगा।

रा0प्र0स0–78वीं आवृत्ति के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श को आवंटित कुल 1684 इकाईयों में से प्रथम उपावृत्ति की 421 प्रतिदर्श इकाईयों के सापेक्ष 31 मार्च, 2020 तक 373 इकाईयों का सर्वेक्षण सम्पन्न कराया गया।

इस सर्वेक्षण हेतु निर्धारित विषय **''घरेलू पर्यटन पर व्यय''** (Domestic Tourism Expenditure) **एवं ''एकाधिक संकेतक सर्वेक्षण''** (Multiple Indicator Survey) है। इस सर्वेक्षण में ''घरेलू पर्यटन पर व्यय'' (Domestic Tourism Expenditure) के अन्तर्गत पर्यटन पर परिवार का उपभोग एवं खर्च, घरेलू ओवरनाइट ट्रिपों में परिवार की विशेषताओं, यात्री की विशेषताओं तथा ट्रिप की विशेषताओं पर सूचना एकत्र की जायेगी। साथ ही घरेलू एकल दिवस ट्रिपों, विशिष्ट घरेलू ट्रिपों से सम्बन्धित ट्रिपों एवं व्यय पर आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त ''एकाधिक संकेतक सर्वेक्षण'' (Multiple Indicator Survey) के अन्तर्गत सतत विकास लक्ष्य, 2030 के लिए परिवारों के प्रावसन एवं वर्ष 2014–15 से शहरी आवास के निर्माण पर सूचनाओं के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किया जाना है। इसके अतिरिक्त 07 वैश्विक सूचकांकों (Global Indicators) तथा 13 राष्ट्रीय सूचकांकों (National Indicators) पर भी इस सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आंकड़ें एकत्रित किये जायेंगे।

इस सर्वेक्षण द्वारा घरेलू पर्यटन पर संग्रहित सूचनाओं का उपयोग पर्यटन मंत्रालय के लिए तृतीय टूरिज्म सेटेलाइट एकाउंट बनाने में किया जायेगा तथा पर्यटन क्षेत्र में योजना एवं विकास के संबंध में निष्कर्षो का

आँकलन किया जाना है। साथ ही इस सर्वेक्षण में हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के लिए प्राप्त **"सतत विकास लक्ष्य–2030"** के सांख्यिकीय सूचकों का उपयोग योजना संरचना एवं अनेक स्तरों जैसे मॉस–मीडिया, जन्म प्रमाण–पत्र की उपलब्धता आदि पर नीति निर्माण एव निर्धारण करने हेतु सहायक होगें।

3.2 रा.प्र.स.–2–विश्लेषण अनुभाग

क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के पश्चात प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से सम्बन्धित कार्य इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

कार्य एवं दायित्व

प्रभाग मुख्यालय पर विश्लेषण अनुभाग को मुख्यतः रा.प्र.स. के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों का सारिणीयन पूर्व वैलीडेशन, समंक विधायन, सारिणीयन तथा रिपोर्ट आलेखन एवं प्रकाशन आदि का कार्य निर्धारित है।योजना आयोग, भारत सरकार से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के अनुमान निकालने हेतु निर्धारित कट–ऑफ–प्वाइन्ट्स के आधार पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय के राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का अनुमान निकालने का कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। पावर्टी एवं सोशल मॉनीटरिंग परियोजना के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों के विधायन, विश्लेषण व रिपोर्ट आलेखन का कार्य भी सम्पादित किया जाता है। रा.प्र.स. के आँकड़ों के आधार पर आवश्यकतानुसार अन्य स्टेटस पेपर भी समय–समय पर तैयार किया जाता है।

वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- रा.प्र.स. 71वीं आवृत्ति की अनुसूची 25.2 (सामाजिक उपभोग : शिक्षा) के केन्द्रीय एवं राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों की पूलिंग पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 72वीं आवृत्ति (घरेलू पर्यटन पर व्यय) के केन्द्र व राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों की पूलिंग पर आधारित रिपोर्ट आलेखन एवं प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 73वीं आवृत्ति–अनु. 2.34 'असमाविष्ट गैर–कृषि उद्यम(निर्माण को छोड़कर)' पर रिपोर्ट आलेखन एवं प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 73वीं आवृत्ति के केन्द्र व राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों की पूलिंग पर आधारित रिपोर्ट आलेखन एवं प्रकाशन।
- पंचम पी.एस.एम.एस की अनुसूची 99 'निर्धनता मापांक' पर आधारित रिपोर्ट आलेखन एवं प्रकाशन।
- पंचम पी.एस.एम.एस की अनुसूची–11 'पारिवारिक उपभोक्ता व्यय एवं रोजगार–बेरोजगारी' की तालिकाओं की जाँच एवं रिपोर्ट आलेखन कार्य।

उत्तर प्रदेश में असमाविष्ट गैर–कृषि (निर्माण को छोड़कर) उद्यमों की प्रचलनात्मक एवं आर्थिक विशिष्टताएँ : रा.प्र.स. 73वीं आवृत्ति की अनुसूची 2.35 पर आधारित (जुलाई 2015 से जून 2016)

- सर्वेक्षण में कुल आवंटित 1676 इकाइयों के सापेक्ष 1676 इकाइयों का सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की 864 इकाई और नगरीय क्षेत्र की 812 इकाई सम्मिलित थी।
- सर्वेक्षित इकाइयों में कुल 24348 प्रतिदर्श उद्यमों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें 14993 (61.58 प्रतिशत) स्वकार्यरत उद्यम तथा 9355 (38.42 प्रतिशत) अधिष्ठान उद्यम थे। जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के कुल 12123 (49.79 प्रतिशत) उद्यमों में से 8046 स्वकार्यरत उद्यम तथा 4077 अधिष्ठान उद्यम थे। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र की कुल 12225 (50.21 प्रतिशत) उद्यमों में से 6947 स्वकार्यरत उद्यम तथा 5278 अधिष्ठान उद्यम सर्वेक्षित किये गये।
- राज्य में असमाविष्ट गैर–कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) के कुल 63.19 लाख उद्यम अनुमानित पाये गये। ग्रामीण क्षेत्र में 39.16 लाख (61.97 प्रतिशत) उद्यम और नगरीय क्षेत्र में 24.04 लाख (38.03 प्रतिशत) उद्यम पाये गये।
- राज्य के कुल 63.19 लाख के सापेक्ष 52.48 लाख स्वकार्यरत उद्यम व 10.71 लाख अधिष्ठान उद्यम अनुमानित हुए।

- राज्य में असमाविष्ट गैर–कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) के कुल 63.19 लाख उद्यम अनुमानित पाये गये जिसमें 52.48 लाख (83.05 प्रतिशत) स्वकार्यरत उद्यम तथा 10.71 लाख (16.95 प्रतिशत) अधिष्ठान उद्यम थे।
- ग्रामीण क्षेत्र में 39.16 लाख (61.97 प्रतिशत) उद्यम पाये गये जिसमें से 33.87 लाख (86.50 प्रतिशत) स्वकार्यरत तथा 5.28 लाख (16.50 प्रतिशत) अधिष्ठान उद्यम थे।
- नगरीय क्षेत्र में 24.04 लाख (38.03 प्रतिशत) उद्यम पाये गये, जिसमें से 18.61 लाख (77.44 प्रतिशत) स्वकार्यरत तथा 5.42 लाख (22.56 प्रतिशत) अधिष्ठान उद्यम थे।
- राज्य में कुल 97.3 प्रतिशत उद्यम बारहमासी तथा 2.1 प्रतिशत मौसमी एवं 0.6 प्रतिशत आकस्मिक अनुमानित हुए।
- स्वामित्व की प्रकृति के अनुसार सर्वाधिक 98.8 प्रतिशत उद्यम एकल व्यवसाय में कार्यरत है, जिसमें 94.2 प्रतिशत पुरूष और 4.6 प्रतिशत महिला कार्यरत है। साझेदारी, स्वंय सहायता समूह व अन्य (ट्स्ट सहित) के अन्तर्गत 2 प्रतिशत से भी कम उद्यम अनुमानित हुए।
- राज्य में सामाजिक वर्ग एवं उद्यम के कार्यशील स्वामी/मुख्य साझेदार के अन्तर्गत सर्वाधिक अन्य पिछडा वर्ग के 58.1 प्रतिशत उद्यमी कार्यरत है, तत्पश्चात् अन्य वर्ग के 26.2 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के 12.8 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1.0 प्रतिशत उद्यमी कार्यरत है।
- राज्य के असमाविष्ट गैर–कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) के अन्तर्गत कुल 42.3 प्रतिशत उद्यम घरेलू परिसर के भीतर अवस्थित है जबकि अवशेष 57.7 प्रतिशत उद्यम निर्धारित परिसर एवं स्थायी संरचना के साथ अवस्थित है जिसमें स्थायी संरचना के 37.3 प्रतिशत उद्यम, अस्थायी संरचना के 6.0 प्रतिशत उद्यम, बिना संरचना के 2.4 प्रतिशत उद्यम, मोबाईल मार्केट के 7.7 प्रतिशत उद्यम और सडक विक्रेता के 4.3 प्रतिशत उद्यम सम्मिलित है।
- राज्य में गैर लाभकारी संस्थाएं 2.9 प्रतिशत पायी गयीं जिनकी मुख्य प्राप्तियाँ अन्य स्रोत में अनुमानित हुई तथा 97.1 प्रतिशत गैर लाभकारी संस्थाए नही पाये गये। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में भी क्रमशः 3.5 व 2.1 प्रतिशत गैर लाभकारी संस्थाए थी जिनकी मुख्य प्राप्तियाँ अन्य स्रोत में अनुमानित हुई तथा 96.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में व 97.9 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में गैर लाभकारी संस्थाएं नहीं अनुमानित हुईं।
- राज्य में उद्यमो के लेखाबही की अवस्थिति के अर्न्तगत कुल 91.6 प्रतिशत उद्यमों द्वारा लेखाबही का उपयोग नही किया जाना अनुमानित हुआ है, जिसमें 94.3 प्रतिशत स्वकार्यरत उद्यम में और 78.7 प्रतिशत अधिष्ठान उद्यम में लेखाबही का उपयोग नही किया जाना सम्मिलित है, जबकि 9.0 प्रतिशत से कम उद्यमों द्वारा लेखाबही का उपयोग मौखिक आधार पर उपयोग किया जाना अनुमानित हुआ।
- राज्य के असमाविष्ट गैर–कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) के अन्तर्गत कुल 17.6 प्रतिशत उद्यम पंजीकृत और 86.9 प्रतिशत उद्यम अपंजीकृत के रूप में अनुमानित हुए जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 9.0 प्रतिशत पंजीकृत तथा 92.8 प्रतिशत अपंजीकृत थे जबकि नगरीय क्षेत्र में 31.6 प्रतिशत पंजीकृत तथा 77.2 प्रतिशत अपंजीकृत उद्यम अनुमानित हुए।
- राज्य में उद्यमों के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम की स्थिति के क्रम में कुल 99.98 प्रतिशत उद्यम अनुमानित हुए जिसमें सर्वाधिक 99.31 प्रतिशत उद्यम सूक्ष्म प्रवृति के अनुमानित हुए।
- राज्य में कुल 64.60 प्रतिशत उद्यमोंमें कोई विशिष्ट समस्या नही पायी गयी जबकि विशिष्ट समस्या से ग्रसित उद्यमो के तहत सर्वाधिक मांग में संकुचन/गिरावट की समस्या 14.5 प्रतिशत उद्यम में अनुमानित हुए।
- राज्य में मिश्रित आर्थिक कार्यकलाप के अन्तर्गत बृहत कार्यकलाप क्षेत्र में राज्य एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्वकार्यरत उद्यम का प्रतिशत अधिष्ठान उद्यम से अधिक अनुमानित हुआ इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वकार्यरत उद्यम का प्रतिशत अधिष्ठान उद्यम के प्रतिशत से अधिक अनुमानित हुआ जबकि नगरीय क्षेत्र में इसके विपरीत अधिष्ठान उद्यम का प्रतिशत स्वकार्यरत उद्यम के प्रतिशत से अधिक अनुमानित हुआ।
- राज्य में वृहत कार्यकलाप क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक विद्युतीकरण क्षेत्र में 63.5 प्रतिशत उद्यमों द्वारा कम्प्यूटर व 59.7 प्रतिशत उद्यमों द्वारा इण्टरनेट का प्रयोग किया जाना अनुमानित हुआ। इसके उपरान्त

अन्य सेवा क्षेत्र में 5.6 प्रतिशत उद्यम द्वारा कम्प्यूटर व 4.9 प्रतिशत उद्यम द्वारा इण्टरनेट का प्रयोग किया जाना अनुमानित हुआ।

- राज्य में असमाविष्ट गैर–कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) के अन्तर्गत कुल 98.5 लाख कर्मकर अनुमानित हुए, जिसमें से 58.4 लाख (59.3 प्रतिशत) स्वकार्यरत उद्यमों में तथा 40.1 लाख (40.7 प्रतिशत) कर्मकर अधिष्ठानों में अनुमानित हुए। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में कुल 56.9 लाख (57.8 प्रतिशत) व नगरीय क्षेत्र में कुल 41.60 लाख (42.2 प्रतिशत) कर्मकर उद्यमों में अनुमानित हुए।
- राज्य के असमाविष्ट गैर–कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) में प्रति उद्यमों का वार्षिक सकल वर्धित मूल्य रू. 148143 अनुमानित हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्र के मामले में रू. 113510 तथा नगरीय क्षेत्र के मामले में रू. 204565 अनुमानित है।
- राज्य में प्रति कर्मकर कुल वार्षिक सकल वर्धित मूल्य रू. 94982 अनुमानित हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्र के मामले में रू. 78054 तथा नगरीय क्षेत्र के मामले में रू. 118144 अनुमानित हुआ।
- राज्य के असमाविष्ट गैर–कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) में स्थायी परिसम्पत्ति का प्रति उद्यम बाजार मूल्य रू0 467829 तथा रू0 4598 निवल आवर्द्धन (net addition) मूल्य अनुमानित हुआ।
- राज्य में किराये की परिसम्पत्ति पर वार्षिक किराया रू0 1830 तथा ऋण पर रू0 3344 मूल तथा रू0 949 वार्षिक ब्याज के रूप में अनुमानित हुआ।
- राज्य में प्रति उद्यम प्रचालन व्यय का वार्षिक मूल्य रू0 99203 अनुमानित हुआ। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों हेतु उक्त मूल्य क्रमशः रू0 77571 तथा रू0 134446 अनुमानित हुआ।
- राज्य में प्रति उद्यम प्राप्ति का वार्षिक मूल्य रू0 252009 अनुमानित हुआ। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों हेतु उक्त मूल्य क्रमशः रू0 194395 तथा रू0 345869 अनुमानित हुआ।

Monitoring Poverty in Uttar Pradesh
(A Report on the fifth Poverty & Social Monitoring Survey (PSMS-V): 2016)

POVERTY (TRENDS BETWEEN 2009-10 TO 2016)

- The average real MPCE (2016) of rural sector with respect to 2009-10 increased by 33.31% whereas average real MPCE (2016) of urban sector increased by 42.48%.
- The head count poverty rate for UP fell from 37.7 % to 22.6% in between 2009-10 to 2016.
- Poverty Gap Ratio (PGR) in state of Uttar Pradesh came down from 10.49 percent to 5.30 percent in rural sector from the year 2009-10 to 2016. Similarly it became 4.02 from 9.09 percent from year 2009-10 to 2016 in urban sector of the state.

INEQUALITIES OF LIVING STANDARD (TRENDS BETWEEN 2009-10 TO 2016)

- It was observed that inequalities among poorest and richest people decreased during the year 2009-10 to 2016 and wealth inequality has increased in 2016 as compare to 2009-10 for both rural and urban sector in UP.
- During the period 2016, the share of real total expenditure of the lowest (poorest) decile has found 2.74 % and the highest (richest) decile group has 32.07 % share of the real total expenditure.

BASIC EDUCATION

- Literacy rate in UP was estimated around 77% in 2016. Considering entire population, rural-urban gap was more glaring among males (16% points) than females (10% points) for 2016.
- Data of PSMS V (2016) show that boys enrolment rate was higher than of girls in almost all major education categories but particularly so in rural areas. Gross enrolment ratio of girls in primary level i.e. 92.0 % was 0.2 percentage points.

- The percentage never attended school was about 67% in 2002/03 and became 29% in 2016 for females. For males it was seen about half of the girls for year 2016.
- The annual dropout at primary level has come down by 2.0 percentage point (from 4.1% in 2002/2003 to 2.1% in 2016) for state.
- About 33 percent children found never **attended school** at age 5 years in 2016 in Uttar Pradesh.
- Among children in UP whom not currently attending school, the main reason cited for this were 'cannot afford' (39.7%) and 'child not interested' (15.8%).
- The three major reasons for never enrolled given are: Cannot afford (52.6%), Education not considered useful (8.8%) and School too far (8.3%).

HEALTH

- Infant Mortality Rate (IMR) has fallen from 84 to 43 deaths per thousand live births between 1999 and 2016 in UP.
- MMR in UP fallen from 539 in 1999-01 to 201 in 2014-16, but it remained considerably higher than the corresponding all India average.
- Among 1000 ever born children, 985 male and 978 female children found surviving on the date of survey in the year 2016.
- Almost 52 percent of deliveries occur at home and only 48 percent of these were attended by skilled birth attendants (doctors, nurses, and midwives).
- Almost 68 percent of all deliveries in UP were assisted by trained or traditional dai. Only 20 percent of all deliveries were reported under the category institutional delivery. Accordingly, almost 96 percent of all deliveries in the State could be considered safe deliveries.
- Between 2002–2003 and 2016Anganwadi attendance decreased from 10 percent attendance to 6 percent of all children eligible by age. But the attendance increased dramatically to 11 percent between the periods of 2009-10 to 2016.The Anganwadi attendance among the poor is higher than among the rich (12.8 percent vs. 9.2 percent).
- In rural area 88.7 percent children attending the Anganwadi reported receiving the food supplement ‘always’ however it is 90.1 percent in urban area which is high.

HOUSING AND ACCESS TO AMENITIES

- In 2016, 67 % of all dwellings were of *pucca* construction material which was 57 % and 65 % in 2004-05 and 2009-10 respectively.
- About 27 % dwelling structure of poor income group were still *katcha* in rural sector whereas it was about only 6 % in context of urban households in 2016.
- About 73 % of the rural households reported h*and pump* as their main source of drinking water. In urban sector, around 60 % households use *tap* as the main source of drinking water.
- In 2016, nearly 71% households in UP had access to drinking water within premises and still nearly 29% had to travel a certain distance outside the premises.
- In UP, 10.3 % households have no system of drainage. 71 % of households reported open drainage system while only 14.7 % households reported covered drains.
- Overall 23 % households in UP have access to flush latrines *within their premises*.
- In 2016, 65 % households in the state had access to electricity, reflecting much higher coverage rate of 94 % in urban areas, whereas only 57 % in rural areas. This represents a high rise from 2002-03 when only 35 % of the households in UP had access to electricity connection.

VULNERABILITY AND ASSET OWNERSHIP

- Overall about 54 % households of state owning livestock like cows/buffaloes. Mostly (64.4 %) these animals are owned by rural households. A very little number of urban (8.3 %) household also found owning cow/ buffaloes.
- About 97 % households neither mortgaged nor sold their any asset.
- Main Reason of selling/mortgaging the assets due to illness was reported by 1.6% household in the state.

POVERTY AND INEQUALITY PERCEPTION

- In 2016, about 33.7 percent households found themselves as 'about the same level between actual and requisite income required and 36.1% households considered their income as required below level whereas about 30.2% households considered their actual income as higher than that the required income to meet their livelihood.
- About 75% households experienced improvement in their standard of living while 23.5% households experienced reduction in their standard of living over last 3 years.

GOVERNMENT PROGRAMMES

- 37% households possessed APL card whereas BPL card holder in state were found 25%. Among BPL card holder about 11% were Antyodaya card holder in state, its distribution in Rural-Urban Sector was found as 11.3% and 6.2% respectively.
- The National old age pension scheme reaches to 3.4% of the elderly population (aged 65 and above) in UP, While state schemes for widow pension reaches about to 0.9% of the widow in V PSMS.
- Only 15.2% rural households had MNREGA job cards in 2016. there was a large variation across region in terms of the proportion of households with job cards, ranging from 7.7% in Southern, 25.2 % in Western, 27% in Central and 40.2% in Eastern region.
- Most of the households having MNREGA job cards, got job within 15 days, belong to category OBC and SC/ST, i.e. 48.1% and 44.6% percent respectively. Only 7.4 % of them were of the other category.

******

अध्याय–4
डेटा बैंक अनुभाग

डेटा बैंक अनुभाग द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रमों तथा विभिन्न एजेंसियों से विकासोन्मुख द्वितीयक आँकड़े प्राप्त कर महत्वपूर्ण प्रकाशनों यथा–उ0प्र0 एक झलक, सांख्यिकीय डायरी, सांख्यिकीय सारांश, जिलेवार विकास संकेतक, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े आदि प्रकाशित किये जाते हैं। यह सभी प्रकाशन प्रति वर्ष प्रकाशित किये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रभाग के जनपदीय कार्यालयों द्वारा ग्रामवार आधारभूत आँकड़े संग्रहित किये जाते है। इसके अन्तर्गत सुविधाओं से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित की जाती हैं जो एक महत्वपूर्ण सूचना है। यह सूचना प्रत्येक ग्रामों से सुविधा की दूरी के अनुसार एकत्रित कर विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर तैयार की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सांख्यिकीय पत्रिकाओं में उक्त आँकड़ों का उपयोग किया जाता है। जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिकाओं के आधारभूत पर प्रभाग स्तर पर अर्न्तजनपदीय आँकड़े (वार्षिक प्रकाशन) प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की जनपदवार/मण्डलवार/क्षेत्रवार/प्रदेश स्तर के आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं। समय–समय पर आवश्यकतानुसार तदर्थ प्रकाशन भी प्रकाशित किये जाते हैं। इस अनुभाग का मुख्य कार्य विकास सम्बन्धी द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण कर प्रकाशन के रूप में या सॉफ्टकापी में संरक्षित करना हैं। समय समय पर शासन, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों की माँग के अनुरूप उन्हें अपेक्षित आँकड़ें उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रकाशित प्रकाशनों में सांख्यिकीय डायरी एवं उ0प्र0 एक झलक प्रदेश को विधानमण्डल में माननीय सदस्यों को वितरित किया जाता है।

सांख्यिकीय कार्यो में समन्वय हेतु प्रदेश स्तर पर उ0प्र0 साँख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत 10 उपसमितियाँ हैं। इन उपसमितियों में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग सदस्य हैं। इन उपसमितियों का मुख्य कार्य सम्बन्धित विभागों से सांख्यिकीय आँकड़ें प्राप्त कर उनकी विभिन्न बैठकों में आम सहमति से पारित किया जाना है ताकि सभी स्तर पर आँकड़ों में भिन्नता न रहने पाये और सांख्यिकीय कार्यो में समन्वय बना रहे।

4.1 अनुभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले मुख्य प्रकाशनों का संक्षिप्त विवरण

4.1.1 सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश

सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक, सामाजिक एवं विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से सम्बन्धित आँकड़ों का वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1968 से प्रति वर्ष सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश का प्रकाशन किया जा रहा है । उक्त प्रकाशन में विभिन्न प्रमुख आँकड़ों को 24 अध्यायों के अन्तर्गत 148 तालिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में 12 ग्राफ/चार्ट् सभी दिये जाते हैं। इस प्रकाशन में अधुनान्त दो वर्षो के साथ ही तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से विगत पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तथा वार्षिक योजना की भी सूचनाऐं प्रकाशित की जाती हैं।

सांख्यिकीय डायरी का प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग–अलग किया जाता है।

4.1.2 उ0प्र0 एक झलक (आँकड़ों में)

यह प्रकाशन वर्ष 1991 से नियमित किया जा रहा है। इससे पूर्व इस प्रकाशन को फोल्डर के रूप में प्रकाशित किया जाता था। प्रदेश में विकास के महत्वपूर्ण मदों को एक दृष्टि में प्रदर्शित करने के लिये इसका प्रकाशन किया जाता है। यह प्रकाशन दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में उ0प्र0 के महत्वपूर्ण मदों के तीन वर्षों के आँकड़े होते हैं तथा द्वितीय खण्ड में भारत सरकार एवं उ0प्र0 के तुलनात्मक संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रथम खण्ड में 15 विभागों/सेक्टरों की सूचनाएं तथा द्वितीय खण्ड में 47 मदों के संकेतांक सम्मिलित हैं। उ0प्र0 एक झलक (आँकड़ों में) का अंग्रेजी भाषा में रूपान्तर वर्ष 2009 से प्रारम्भ किया गया है।

4.1.3 जिलेवार विकास संकेतक, उ0प्र0

''उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक'' नामक प्रकाशन वर्ष 1978 से प्रति वर्ष प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाशन से अर्न्तक्षेत्रीय विषमताओं का बोध होता है। वर्ष 2008 से इस प्रकाशन का नाम बदलकर ''जिलेवार विकास संकेतक उत्तर प्रदेश'' करते हुए प्रकाशन को द्विभाषी कर दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में उपलब्ध अधुनान्त संकेतकों के साथ ही आधार वर्ष के भी संकेतक दिये गये हैं। इस प्रकाशन को दो भागों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम भाग में कुल 125

संकेतकों को सम्मिलित किया गया है, जो मुख्यतया जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापना सुविधाओं, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, उद्योग, बैंकिंग, वित्त तथा सहकारिता, रोजगार एवं मानवशक्ति तथा आय पर आधारित हैं। इसके द्वितीय भाग में प्रथम भाग के मदों पर ही आधारित 46 महत्वपूर्ण मदों के संकेतकों पर आधारित उच्चतम एवं निम्नतम मान वाले पाँच–पाँच जनपदों को चिन्हित करते हुए उनके विकास संकेतकों को प्रकाशित किया जाता है, जो जनपदों एवं सम्भागों की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं उनमें विकास के स्तर को पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है।

4.1.4 सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश

''सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश'' नामक प्रकाशन वर्ष 1961 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह एक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1986 से इसे केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप पर आधारित, संशोधित कर प्रकाशित किया जा रहा है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु इस प्रकाशन की अधिकांश तालिकाओं में विगत वर्षों की राज्यस्तरीय सूचनाओं के साथ ही उपलब्ध अधुनान्त वर्ष की जनपदवार सूचनाएं दी जाती हैं। इस प्रकाशन में तीन खण्डों सामाजिक साँख्यिकी, आर्थिक साँख्यिकी एवं अन्य साँख्यिकी के अन्तर्गत कुल 35 अध्याय दिये जाते हैं। इसमें समाजार्थिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं यथा क्षेत्रफल, जनसंख्या, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य आय, कृषि, पशुपालन, परिवहन, पर्यटन, श्रम एवं रोजगार, वित्त तथा सार्वजनिक प्रशासन एवं निर्वाचन आदि सम्बन्धी आँकड़ों का समावेश किया जाता है।

4.1.5 अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े

अन्तर्राज्यीय विषमताओं का बोध कराने के उद्देश्य से ''अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े'' नामक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन तैयार किया जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1976 से प्रारम्भ किया गया। यह प्रकाशन दो भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में भारत के 29 प्रमुख व 7 केन्द्रशासित राज्यों के आँकड़ों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर के भी आँकड़ों का समावेश किया गया है, जिनसे प्रमुख राज्यों एवं राष्ट्रीय औसत से प्रदेश के विकास का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वितीय भाग में महत्वपूर्ण समाजार्थिक संकेतक दिये गये हैं।

इस प्रकाशन हेतु अपेक्षित आँकड़े भारत सरकार के सम्बन्धित विभिन्न विभागों, भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्यों के साँख्यिकीय ब्यूरो तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

4.1.6 अर्न्तजनपदीय ऑकड़े

प्रदेश के ग्रामों में उपलब्ध आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं एवं उनकी ग्रामों से दूरी के ऑकड़े जो प्रतिवर्ष जनपदीय सॉख्यिकीय पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं, उन्ही सूचनाओं के आधार पर प्रभाग द्वारा वर्ष 1996 से इस प्रकाशन को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 2015 से यह प्रकाशन प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाने लगा है तथा इसी वर्ष से इसमें भाग–2 सम्मिलित किया गया है जिसमें सम्भागवार रैंकिग प्रदर्शित की गयी है।

4.1.7 जनपद एवं मण्डल की साँख्यिकीय पत्रिका

यह प्रकाशन जनपद स्तर पर वर्ष 1976 एवं मण्डल स्तर पर वर्ष 1980 से प्रारम्भ किये गये। इस प्रकाशन में सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं के आँकड़ें प्रकाशित किये जाते हैं यथा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, कृषि, पशुगणना तथा कृषि गणना, पशुपालन तथा मत्स्य, सहकारिता, उद्योग, सामान्य शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्युत, परिवहन एवं संचार, संस्थागत वित्त, जल सम्पूर्ति, पेयजल, भाव तथा अन्य विविध विषयों के आँकड़ें एवं संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रारम्भ में यह प्रकाशन मैन्युअली प्रकाशित किये जाते थे। वर्ष 1995 से यह पत्रिका वेब बेस्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इस प्रकार 1995 से 2018 तक की सांख्यिकीय पत्रिकायें प्रभाग की वेबसाइट **Updes.up.nic.in** इण्टरनेट पर उपलब्ध है।

4.1.8 जनपद एवं मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा

मण्डल एवं जिला समाजार्थिक समीक्षा का प्रकाशन वर्ष 1980 से वर्षानुवर्ष तैयार करना प्रारम्भ किया गया है। इन प्रकाशनों में कुल 17 अध्याय निर्धारित हैं और प्रत्येक अध्याय के अर्न्तगत मदों का भी निर्धारण किया गया है। इस प्रकाशन में जनपद की अर्थ– व्यवस्था की विस्तृत विवेचना के साथ ही प्रमुख विषयों यथा कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, पर्यटन का तथ्यात्मक एवं समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। इन प्रकाशनों में प्रमुख विषयों को ग्राफ/चार्ट द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है।

4.1.9 विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका

विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ किया गया है। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें चार अध्यायों के अर्न्तगत प्रथम अध्याय में विकास खण्ड एक दृष्टि में, द्वितीय अध्याय में महत्वपूर्ण विकास खण्ड संकेतक, तृतीय अध्याय में विकास खण्ड का आर्थिक कार्य कलाप तथा चतुर्थ अध्याय में राजस्व ग्राम एक दृष्टि में से सम्बन्धित ऑकड़े प्रकाशित किये जाते हैं।

4.1.10 विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा

विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा का भी प्रकाशन वर्ष 2003–04 से कराया जा रहा है। यह प्रकाशन भी प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में भी 16 अध्याय है। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर के सामाजिक एवं आर्थिक कार्योकलापों पर प्रकाश डाला जाता है। अर्थ–व्यवस्था की विस्तृत विवेचना करने के एवं साथ ही प्रमुख विषयों, जनसंख्या आर्थिक स्थिति, कृषि, सिचाईं, पशुपालन, मत्स्य पालन विद्युत एवं खनिज, वित्तीय संस्थायें, सड़क परिवहन एवं संचार, शिक्षा, समाजिक सेवाये, स्वस्थ, पेयजल, पर्यटन एवं नियोजन के बारे में अधुनान्त सूचनायें दी जाती हैं। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर की प्रगति के बारे में पूर्ण जानकारी रहती है।

4.1.11 ग्रामवार आधार भूत आँकड़ों का संग्रहण

ग्राम स्तर पर विकास योजना संरचना हेतु उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं सम्बन्धी आँकड़े नितान्त आवश्यक है। इसी दृष्टि से वर्ष 1973 से प्रदेश के समस्त आबाद ग्रामों में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा उस ग्राम के महत्वपूर्ण आँकड़ों के संग्रहण एवं संकलन का कार्य विकास खण्डों में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के तैनात सहायक विकास अधिकारी (सॉं.) के पर्यवेक्षण में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा प्रारम्भ किया गयाा। इनके संग्रहण हेतु रूप पत्र निर्धारित है जिसके खण्ड–1, में परिचयात्मक विवरण तथा खण्ड–2 से 15 तक में जनगणना सम्बन्धी सूचनायें, पशुगणना, कृषि गणना, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल सुविधा, यातायात एवं संचार, विविध अवस्थापना सुविधा, विपणन भण्डार गृह, ऋण सुविधायें, पारिवारिक उद्योग, व्यवसाय, कृषि सॉंख्यिकी तथा मुख्य फसलों के अर्न्तगत क्षेत्रफल सम्मिलित है। ग्राम स्तरीय आँकड़े प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार संग्रह किये जाते हैं। इन आँकड़ों के आधार पर जिला सॉंख्यिकीय पत्रिका की तालिका–64, सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या तैयार की जाती हैं।

4.1.12 उ0प्र0 सांख्यिकीय समन्वय समिति

उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 2/39(3)–नियोजन विभाग (क) दिनांकः लखनऊ 8, अगस्त, 1969 द्वारा उ0प्र0 सांख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। शासनादेश के अनुसार इस समिति के अधीन विभिन्न विषयों पर 10 उपसमितियों का गठन किया गया है। समिति के संयोजक आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक तथा सदस्य विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं।

10 उपसमितियॉं निम्न हैं।

1–भूमि उपयोगिता, कृषि एवं वन
2–उद्योग, खनिज एवं श्रम व रोजगार
3–सड़क एवं परिवहन
4–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5–पशुपालन एवं मत्स्य
6–सिंचाई, लघु सिंचाई एवं विद्युत
7–बैकिंग, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी एवं सहकारिता
8–शिक्षा एवं प्रावैधिक शिक्षा
9–सांख्यिकीय डायरी
10–क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक

उक्त बिन्दुवार 10 उपसमितियों में से क्रम संख्या 1–9 तक डेटा बैंक अनुभाग द्वारा बैठक आहूत की जाती है तथा बिन्दु 10 से सम्बन्धित बैठक राज्य आय अनुभाग द्वारा आहूत की जाती है।

4.2 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

4.2.1 प्रभाग स्तर पर तैयार प्रकाशन

1– उत्तर प्रदेश एक झलक (ऑकड़ों में), 2019 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
2– साँख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2019 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
3– जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश, 2019
4– साँख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश, 2019
5– अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़ें 2018

4.2.2 मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर प्रकाशनाधीन प्रकाशन

1–मण्डलीय साँख्यिकीय पत्रिका, 2019
2–मण्डलीय समाजार्थिकसमीक्षा, 2019
3–जनपदीय साँख्यिकीय पत्रिका, 2019
4–जनपदीय समाजार्थिकसमीक्षा, 2019
5–विकास खण्ड की साँख्यिकीय पत्रिका, 2019
6–विकास खण्ड की समाजार्थिकसमीक्षा, 2019

4.3 ग्राम्य विकास आँकड़ा

4.3.1 पृष्ठभूमि

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अचंल के विकास हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में विभिन्न कार्यक्रम यथा– अवस्थापना सम्बन्धी, रोजगार परक एवं कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इनकी मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा करना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत प्रभाग स्तर पर **''सामुदायिक विकास अनुभाग''** गठित किया गया जिसे बाद में ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग कर दिया गया।

आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास के पत्र संख्या 7137/38–2–335/79 दिनांक 25.9. 1981 एवं पत्र संख्या–80/प्र0बो0–23/92 दिनांक 13–3–2000 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में संचालित विकास कार्यों की मासिक/त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा तैयार की जाती थी। वर्तमान में ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रतिवेदन में नई योजनाओं का समावेश करते हुए पुरानी बन्द हो चुकी योजनाओं को हटा दिया गया है तथा उपरोक्तानुसार ही नये डेटा इन्ट्री साफ्टवेयर को तैयार किया जा चुका है तथा ट्रायल के रूप में ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार की जा रही है तथा क्षेत्र से प्राप्त सॉफ्टवेयर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

कृषि विभाग –

1. भूमि संरक्षण
2. मृदा परीक्षण
3. गुणात्मक बीज वितरण
4. रासायनिक उर्वरक वितरण
5. जैव उर्वरक वितरण
6. सूक्ष्म पोषक तत्व
7. कृषि प्रदर्शन
8. कृषि रक्षा कार्यक्रम–रसायन वितरण
9. कृषि यंत्र वितरण

10–सोलर फोटो बोल्टाइक पम्प
11.स्प्रिंकलर सेट वितरण
12–फसली ऋण वितरण
13–प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

4.3.2 एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंन्ट प्रोग्राम (आई0डब्लू0 एम0पी0)

1. भूमि संरक्षण

4.3.4 वन

1. वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित कुल पौधे
2. अग्रिम मृदा कार्य (एडवांस स्वायल वर्क)
3. नर्सरी में पौध उत्पादन
4. सृजित रोजगार

4.3.5 उद्यान एवं फल उपयोग

1. पौधों का वितरण
2. आलू के उत्तम बीज का वितरण
3. सब्जी बीज वितरण
4. खाद्य प्रसंस्करण
5. मौन पालन

6–ग्रीन हाऊस निर्माण

4.3.6 पशुपालन

1. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर कृत्रिम रूप से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस)
2. नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों पर उन्नतिशील साड़ों से गर्भित किये गये पशु गाय/भैंस
3. रोगों की रोकथाम के लिए पशुओं/पक्षियों को लगाये गये टीके
4. रोगी पशुओं की चिकित्सा

4.3.7 दुग्ध विकास

1. आपरेशन फ्लड–2 योजना
2. नान आपरेशन फ्लड योजना
3. महिला डेरी परियोजना

4.3.8 मत्स्य

1. अंगुलिकाओं का विभागीय जलाशयों में संचय
2. अंगुलिकाओं का निजी मत्स्य पालकों एवं ग्राम पंचायतों को वितरण
3. ग्राम पंचायत के तालाबों को किये गये पट्टे
4. तालाबों का सुधार
5. विभागीय जलाशयों में मछली उत्पादन

4.3.9 निजी लघु सिंचाई

1. व्यक्तिगत कार्य
2. बोंरिग

4.3.10 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

1. भवन निर्माण
2. खडंजा निर्माण/इन्टरलाकिंग
3. पुलिया निर्माण
4. पक्का (लेपन स्तर तक) मार्ग निर्माण

5–सी.सी. रोड का निर्माण

4.3.11 ग्रामीण एवं लघु उद्योग

1. नई लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

3– अंन्य योजना

4.3.12 खादी एवं ग्रामोद्योग

1. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना
2. अन्य योजना

4.3.13 वस्त्रोद्योग (हथकरघा)

1. स्थापित नई इकाइयाँ
2. रोजगार सृजन

4.3.14 रेशम उद्योग

1. शहतूत/अर्जुन नर्सरी स्थापना
2. कुल पालित कीटाण्ड
3. कुल कोया उत्पादन
4. उत्पादित रेशम धागा की मात्रा
5. कीट पालकों की संख्या
6. कीट पालकों को वितरित ऋण

4.3.15 सहकारिता

1. सदस्यता में वृद्धि
2. अंशदान में वृद्धि
3. निक्षेप संचय
4. अल्प कालीन ऋण वितरण
5. मध्यकालीन ऋण वितरण
6. दीर्घकालीन ऋण वितरण
7. सरकारी देयों की वसूली (अल्प कालीन व मध्य कालीन)
8. दीर्घ कालीन ऋण वसूली
9. निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करना

4.3.16 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1. प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपचारित रोगी
2. प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या
3. नसबन्दी

4–कुल संस्थागत प्रसव

5–जननी सुरक्षा योजना के लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या

6–ड्राप बैंक सुविधा प्राप्त लाभार्थी ।

7–एम0सी0टी0एस0 पोर्टल के अनुशार वर्ष में जन्में बच्चों की संख्या (जिनका पूर्ण टीकाकरण किया गया)

4.3.17 शिक्षा

1. उच्च प्राथर्मिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण
2. विद्यालयों का विद्युतीकरण

3–मिड–डे मिल अन्तर्गत लाभान्वित छात्र/छात्रायें

4–पुस्तक वितरण किये गये छात्र/छात्रायें

5–ड्रेस वितरण किये गये छात्र/छात्रायें

4.3.18 पंचायत एवं ग्रामीण स्वच्छता

1. पंचायत उद्योग
2. पंचायत कर वसूली
3. पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्य
4. पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्यों पर कुल व्यय

5. शौचालयों का निर्माण
6. इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प की स्थापना
7. जल निगम द्वारा रिबोर किये गये हैण्ड पम्प
8. पाइप लाइन द्वारा लाभावित ग्राम
9–नई पाइप लाइन योजनाओं का निर्माण
10–गुणवक्ता प्रभावित वस्तियों का संतृप्तीकरण

4.3.19 समाज कल्याण

1. स्वतः रोजगार योजना
2. अनुगम द्वारा संचालित निःशुल्क बोंरिग
3. अनुगम द्वारा संचालित दुकान निर्माण
4. परिवारिक लाभ योजना
5. छात्रवृत्ति
6. पेंशन
7. पेंशन, वितरण धनराशि

4.3.20 बाल विकास एवं पुष्टाहार

1.समन्वित बाल विकास परियोजना (लाभान्वित व्यक्ति)
2. आंगनवाड़ी कन्द्रों का निर्माण

4.3.21 वैकल्पिक ऊर्जा

1. बायोगैस संयंत्र की स्थापना
2. सोलर लालटेन वितरण
3. सोलर कुकर वितरण
4. सोलर घरेलू बत्ती
5. सोलर पावर प्लांट
6. सोलर वाटर हीटर
7.सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना

4.3.22 ग्राम्य विकास

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)
2. महत्मागॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा)
3 ग्रामीण आवास योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना)
4. अन्य ग्रामीण आवास

4.3.23 प्रादेशिक विकास दल

1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता
2. ग्रामीण व्यायामशालाओं की स्थापना
3. युवक/महिला मंगलदलों को प्रोत्साहन
4. सेमिनार/संगोष्ठी का आयोजन

4.3.24 अल्प बचत

1. शुद्ध जमा धनराशि

4.3.25 प्रतिवेदन सम्प्रेषण समय सारिणी

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या 80/प्र0बो0–23/92 (अर्थ एवं संख्या) दिनांक 13.03.2000 द्वारा उक्त का सम्प्रेषण सुनिश्चित कराने हेतु निम्न समय सारणी बनायी गयी, जिसके अनुसार वर्तमान में कार्य हो रहा है।

1–	ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों (बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं) द्वारा खण्ड विकास अधिकारी की मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना।	सम्बन्धित मास का अन्तिम कार्य दिवस
2–	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 5 तारीख तक
3–	मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद का मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 10 तारीख तक
4–	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिवेदन कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव नियोजन विभाग तथा विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 20 तारीख तक
5–	विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त को आख्या	अगले मास की 30 तारीख तक

4.4 निरीक्षण/परिनिरीक्षण

प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विकास खण्डों का निरीक्षण एवं ग्रामों में जाकर कार्यक्रमों की प्रगति ज्ञात करने हेतु स्थलीय सत्यापन किया जाता है। आर्थिक बोध एवं सख्या निदेशक के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 96/प्र0बो0–30/81 दिनांक 17.01.1985 द्वारा ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम भाग में विकास खण्ड में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा द्वितीय भाग में सहायक विकास अधिकारी (सा.) द्वारा रखे जाने वाले साँख्यिकीय अभिलेखों के निरीक्षण तथा तृतीय भाग में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के निरीक्षण तथा ग्राम में हुये विकास कार्यों के स्थलीय सत्यापन का विस्तृत विवरण अंकित किया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणों के मानक निर्धारित करने हेतु आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के अर्द्धशा0 पत्र 182/प्र0बो0–31/92 दिनांक 09.08.2000 के अनुसार 6 से अधिक विकास खण्डों वाले जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रत्येक माह कम से कम दो विकास खण्डों के निरीक्षण तथा 6 विकास खण्डों तक के जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रति माह कम से कम एक विकास खण्ड के निरीक्षण (प्रत्येक विकास खण्ड के वर्ष में कम से कम दो निरीक्षण) निर्धारित है । इसी प्रकार मण्डलीय उप निदेशक हेतु प्रति माह 3 निरीक्षण का नार्म निर्धारित किया गया है एवं निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण तिथि से 15 दिन के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित किया जाना है।

उक्तानुसार प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों यथा सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय), अर्थ एवं संख्याधिकारी, उपनिदेशक (अर्थ एवं सख्या) द्वारा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाती है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपूर्ण/फर्जी रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं अपूर्ण/फर्जी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से पत्र व्यवहार तथा इसकी सूचना समीक्षा हेतु शासन को उपलब्ध करायी जाती है। इन समस्त निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग द्वारा की जाती है एवं समीक्षोपरान्त इनके निरीक्षणों का श्रेणीबद्ध भीं किया जाता है।

4.5 वर्ष 2019–20 तक ग्राम्य विकास ऑकड़ा अनुभाग में सम्पादित कार्य

- **क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणः–** वर्ष 2019–20 के मध्य विभिन्न मण्डलों से उपनिदेशकों एवं अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा प्रभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सामुदायिक विकास कार्यों के निरीक्षण पूर्ण

किये गये। जिन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम निरीक्षण किये गये उनको भविष्य में लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत निरीक्षण करने हेतु पत्र निर्गत किये गये।

- **ग्राम विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदनः–** वर्ष 2019–20 के मध्य प्रतिवर्ष निर्धारित 12 प्रगति प्रतिवेदन के सापेक्ष जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर नियमित रूप से मण्डलीय उपनिदेशको को प्रेषित की गयी तथा उनके द्वारा मण्डल की संकलित रिपोर्ट प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित की गयी। ग्राम्य विकास कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट के नये साफ्टवेयर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया गया है । ग्राम्य विकास कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट 2019–20 की सूचना सशोधित रूपपत्र पर एकत्र कर नये साफ्टवेयर पर ट्रायल के आधार पर तैयार की जा रही है।

4.6 ग्राम्य विकास कार्य

ग्राम्य विकास कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर नियमित रूप से मण्डलीय उपनिदेशको को प्रेषित की जाती है तथा उनके द्वारा मण्डल की संकलित रिपोर्ट प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित की जाती है ।

जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा 6 से अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रति माह 2 निरीक्षण, 6 विकास खण्ड तक के जनपदों शामली, रामपुर, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्व नगर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, तथा सन्तरविदास नगर में प्रति माह 1 निरीक्षण और प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाइयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है । इसी प्रकार उपनिदेशक द्वारा मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह 3 निरीक्षण एवं प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाईयो का स्थलीय सत्यापन किया जाता है ।

मण्डलीय उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी (सॉ0) द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या– 2019–20

क्र0सं0	वर्ष 2019–20 में निरीक्षणो की कुल संख्या	ग्राम्य स्तरीय कार्यकर्ता की रिर्पोट के अनुसार इकाई संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	फर्जी
1	2	3	4	5	6
1	2957	98832	98783	22	27

वर्ष 2019–20 में क्षेत्रीय अधिकारियां द्वारा ग्राम्य विकास कार्यो के किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या निम्नलिखित है :–

क्र0सं0	अधिकारी के पदनाम	माह मार्च 2019–20 में कार्यरत अधिकारियों की संख्या	वर्ष 2019–20 में लक्ष्य के सापेक्ष किये गये ग्राम्य विकास कार्यो के कुल निरीक्षणों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1–	उपनिदेशक	15	301/534
2–	अर्थ एवं संख्याधिकारी	90	949/1929
3–	सहायक विकास अधिकारी (सां0)	118	1707

1–अलीगढ़ मण्डल में उपनिदेशक का पद स्वीकृत नहीं है ।

2–आजमगढ़ मण्डल में उपनिदेशक का पद वर्ष 2019–20 में रिक्त है ।

3–विन्ध्यान्चल मण्डल में वर्ष 2019–20 में जुलाई 2019 से उपनिदेशक का पद रिक्त है ।

4–उक्त रिपोर्ट वर्तमान में जनपद/मण्डलीय अधिकारियों के भरे पदों के सापेक्ष तैयार की गयी है।

5–प्रभाग मुख्यालय पर सहा0 वि0 अधि0 के निरीक्षणों का संकलन नही किया जाता है तथा लक्ष्य का निर्धारण मुख्यालय स्तर से नहीं होता है।

******

अध्याय–5
भाव अनुभाग

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के भावों से सम्बन्धित आँकड़ों के एकत्रीकरण, परिनिरीक्षण, संग्रहण तथा भाव सम्बन्धी सांख्यिकी एवं नियमित सूचकांकों को तैयार करने और उनके रखरखाव का कार्य प्रभाग के भाव अनुभाग द्वारा किया जाता है।

भाव अनुभाग के कार्यों को समान्यतया दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1. **भाव व मजदूरी दरों के संकलन का कार्य**
2. **भाव व मजदूरी दरों के सूचकांक बनाने का कार्य**

यह दोनों ही कार्य प्रभाग के स्थापना काल से ही चले आ रहे हैं। इसमें से भावों एवं मजदूरी की दरों के संग्रह का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पन्न किया जाता है जबकि सभी जनपदों के भाव व मजदूरी दरों के संकलन एवं सूचकांक बनाने का कार्य मुख्यालय स्तर पर किया जाता है।

भाव संकलन का उद्देश्य भावों में हो रहे उतार–चढ़ाव का अध्ययन करना तथा शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराना होता है। सूचकांक का उद्देश्य वर्ष विशेष की तुलना में हुए भावों/दरों के परिवर्तन की माप करना है। सूचकांक के निर्माण के लिए आधार वर्ष के भाव के साथ साथ वर्तमान भाव/ दर का होना आवश्यक है ताकि भावों/दरों में हुए उतार–चढ़ाव की प्रतिशत वृद्धि एवं ह्रास की जानकारी सम्भव हो सके। भाव व मजदूरी की दरों के संग्रह व सूचकांक के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार हैः–

5.1 भावों/मजदूरी की दरों का एकत्रीकरणः–

5.1.1 ग्रामीण फुटकर भाव

यह भाव 99 चयनित मदों के लिये प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड से प्रत्येक माह प्रथम बाजार दिवस को एकत्र कराये जाते हैं। इनका उपयोग ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.1.2 नगरीय फुटकर भाव

यह भाव 101 चयनित मदों के लिये प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह कराये जाते हैं। इनका उपयोग नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.1.3 नगरीय अमानी मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक के मजदूरी की दरें संग्रहित की जाती हैं। यह जनपद के प्रत्येक नगरपालिका परिषद एवं नगर निगम में चयनित दो अड्डों से संग्रह करायी जाती हैं। इनका उपयोग नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार किये जाने में किया जाता है।

5.1.4 ग्रामीण मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक (पुरूष/महिला), दर्जी, नाई, तेल की पेराई, ईंट की पथाई व चरवाहा की मजदूरी की दरें संग्रहीत की जाती हैं। यह दरें प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह करायी जाती है। इनका उपयोग ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक तैयार करने में किया जाता है। यह दरें प्रत्येक माह कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती हैं। साथ ही साथ कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी उनकी मॉग के अनुरूप भेजी जाती हैं।

5.1.5 थोक भाव (कृषि व अकृषीय)

- प्रदेश की 65 मण्डियों से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार),
- 48 मण्डियों के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव ,
- 57 केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) संग्रह कराये जाते हैं।

कृषि मदों के थोक भाव प्रत्येक शुक्रवार को राज्य कृषि विपणन संगठन से एकत्र किये जाते हैं तथा अकृषीय मदों के थोक भाव फर्मो एवं वाणिज्यिक संस्थानों से संग्रह किये जाते हैं। इनका उपयोग थोक भाव

सूचकांक तैयार करने, राज्य व जिला आय अनुमान तैयार करने के साथ–साथ भारत सरकार को भी उनकी मॉग के अनुरूप भेजा जाता है।

5.1.6 47 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव

यह भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से माह के प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर ई–मेल द्वारा प्रभाग मुख्यालय पर मंगाये जाते हैं। इन भावों में से 47 वस्तुओं के भावों के आधार पर प्रत्येक सप्ताह की समीक्षा जिसमें गत सप्ताह, गत माह, गत त्रैमास एवं गत वर्ष के संगत सप्ताह के भावों से तुलनात्मक विवरण तैयार करके शासन के सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

5.1.7 भारत सरकार व अन्य विभागों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के भाव संग्रह का कार्य

- श्रम ब्यूरो शिमला के लिए पॉच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ) से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजा जाना । नये आधार वर्ष परिवर्तन हेतु गौतमबुद्धनगर को गाजियाबाद केन्द्र के साथ सम्मिलित करते हुए अन्य शेष केन्द्रों से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजा जाना ।
- अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, भारत सरकार को 20 केन्द्रों से भाव संग्रह कराकर सीधे प्रेषित किया जाना।
- हापुड़ मण्डी के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह कराकर कृषि विभाग को प्रेषित किया जाना।
- कानपुर नगर से बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर इलायची बोर्ड, गंगटोक को प्रेषित किया जाना।
- कच्चे ऊन के 05 केन्द्रों (इलाहाबाद, जौनपुर, संत रविदासनगर, झांसी, रायबरेली) के थोक भावों को संग्रह कराकर पशुपालन निदेशालय को प्रेषित किया जाना।

5.2 भाव/ मजदूरी की दरों के सूचकांक बनाने का कार्य

5.2.1 उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक नगरीय मध्यम वर्गीय उपभोक्ता भाव सूचकांक है। यह सर्वप्रथम 1948 को आधार वर्ष मानकर 1956 से तैयार कराया जा रहा था, जो उपभोग के स्वरूप में हुए परिवर्तन के कारण आधार वर्ष 1970–71 में परिवर्तित कर जुलाई 1981 से जून 2010 तक तैयार कराया गया । तदोपरान्त आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया। इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक प्रत्येक माह 101 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक त्रैमास हेतु तैयार कराया गया। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.2 ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक भी मध्यम वर्गीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक है। सर्व प्रथम यह सूचकांक आधार कृषि वर्ष 1954–55 के आधार पर जनवरी 1956 से तैयार कराया गया। पुनः आधार वर्ष को बदलकर 1957–58 व तत्पष्चात 1970–71 किया गया । उपभोग के स्वरूप में आये महत्पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया । इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक 99 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक त्रैमास हेतु तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर जुलाई 2016 से सूचकांक लगातार प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.3 थोक भाव सूचकांक

यह सूचकांक कृषि व अकृषीय वस्तुओं पर आधारित थोक भाव सूचकांक है। सर्व प्रथम कृषि थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष 1957–58 एवं औद्योगिक थोक भाव सूचकाकं का आधार वर्ष 1948 है । तत्पश्चात दोनों सूचकांकों को सम्मिलित करते हुए यह सूचकांक आधार वर्ष 1970–71 कर दिया गया है। पुनः इसे आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित कर दिया गया । आधार वर्ष 2004–05 पर 286 मदों के लिए राज्य

स्तरीय थोक भाव सूचकाँक तैयार कराये जाने का कार्य अप्रैल 2010 से मार्च 2016 तक किया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर अप्रैल 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.4 ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकाँक

ग्रामीण व नगरीय मजदूरों के लिए तैयार कराये जाने वाला यह सूचकांक आधार वर्ष 1970–71 पर त्रैमासान्त मार्च 1980 से तैयार कराया जाना प्रारम्भ किया गया था जिसे त्रैमासान्त जून 2010 तक बनाया गया। बाद में आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित करके इसे जुलाई 2008 से जून 2016 तक लगातार राज्य स्तरीय व आर्थिक क्षेत्र स्तरीय त्रैमासिक ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिसपर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है। इस सूचकांक में ग्रामीण क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक जबकि नगरीय क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक को शामिल किया गया है।

5.2.5 कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकाँक

यह सूचकांक कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक व कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक का अनुपात है। यह सर्वप्रथम 1957–58 आधार वर्ष पर लगातार 1981–82 तक तैयार कराया गया बाद में आधार वर्ष परिवर्तित करके 1970–71 कर दिया गया । इस आधार वर्ष पर 2009–10 तक तथा तत्पश्चात् वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष मानते हुए वार्षिक आधार पर राज्य स्तरीय सूचकांक वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक एवं आधार वर्ष 2011–12 पर 2016–17 से नियमित रूप से तैयार कराया जा रहा है।

5.3 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

5.3.1 विभागीय प्रयोगार्थ भाव संग्रह का कार्य

आलोच्य वर्ष में अब तक विभिन्न भाव श्रृंखलाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित थोक/ फुटकर भाव संग्रह का कार्य किया गया :–

- प्रदेश के 65 मण्डियों से कुल 70 वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक थोक व फुटकर भाव राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से एकत्र कराये गये तथा इनका राज्य आय व जिला आय निर्माण में उपयोग किया गया ।
- राज्य आय तथा जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने के संदर्भ में राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से प्रदेश के 48 प्रमुख मण्डियों से कृषीय 19 वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया ।
- प्रदेश के 57 केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया ।
- प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में चयनित नगरीय बाजार से उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 101 वस्तुओं के नगरीय फुटकर भाव प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया ।
- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित ग्राम बाजार से प्रत्येक माह के प्रथम बाजार दिवस को उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 99 वस्तुओं के ग्रामीण फुटकर भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया ।
- राज्य स्तर पर भाव के उतार चढ़ाव के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से दैनिक उपभोग की 47 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के फुटकर भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर इनमें से 47 वस्तुओं के भावों की प्रवृत्ति पर साप्ताहिक विश्लेषण समीक्षाऍं तैयार कर प्रदेश के मुख्यसचिव, प्रमुखसचिव (खाद्य एवं रसद) एवं अपर मुख्यसचिव नियोजन, विशेष सचिव नियोजन तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (शोध) वाणिज्यकर विभाग को प्रेषित की गई ।

5.3.2 भारत सरकार एवं अन्य विभागों के प्रयोगार्थ भाव संग्रह

- अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता भाव सूचकांक योजनान्तर्गत प्रदेश के पाँच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ) से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक तथा 87 वस्तुओं के मासिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्र के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा एकत्र कराकर सीधे श्रम संघ शिमला को भेजे गये।
- अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, भारत सरकार के उपयोगार्थ प्रदेश के चयनित 20 केन्द्रों से 57 खाद्य एवं 40 अखाद्य आवश्यक वस्तुओं के क्रमशः प्रत्येक शुक्रवार व अन्तिम शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्रों के अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा संग्रह कराकर विश्लेषणात्मक टिप्पणी सहित भेजे गये।
- हापुड़ मंडी से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह एवं संकलित कराकर गत माह के भावों के आधार पर भावान्तर विवरण के साथ प्रमुख सचिव, कृषि विभाग के कार्यालय को भेजे गये ।
- कानपुर नगर केन्द्र से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर ई–मेल के द्वारा भारत सरकार के इलायची बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, गंगटोक, सिक्किम को भेजे गये ।
- प्रदेश के पाँच केन्द्रों यथा वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, झाँसी तथा रायबरेली से कच्चे ऊन के मासिक उत्पादन थोक भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये गये।

5.3.3 मजदूरी दरें

- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को ग्रामीण मजदूरी की दरों के आँकड़ें नियमित रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारी के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इन आँकड़ों के परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य प्रभाग मुख्यालय पर किया गया जिसमें से समस्त 75 जनपदों के विकास खण्डवार मजूदरी की दरों के परिनिरीक्षित ऑकड़ें आर्थिक एवं सॉख्यिकीय सलाहकार भारत सरकार नई दिल्ली को प्रत्येक माह ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गयी । साथ ही साथ कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी उनकी मॉग के अनुरूप सूचना भेजी गईं।
- प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों/नगरपालिकाओं, नगर निगमों के चयनित दो–दो प्रमुख अड्डे/मुहल्ले से प्रथम अड्डे/मुहल्ले से प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार की तथा द्वितीय अड्डे/मुहल्ले से आगामी सोमवार की अकुशल श्रमिक, राज एवं बढ़ई की नगरीय अमानी मजदूरी की दरों का संग्रह कराकर प्रभाग मुख्यालय पर उनके परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य किया गया।

5.3.4 भाव एवं मजदूरी दरों के सूचकाँकों का प्रकाशन

उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 एवं उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 पर त्रैमासान्त मार्च 2019 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2019 का सूचकांक प्रकाशित किया गया ।

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	**त्रैमासान्त मार्च 2019 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त जून 2019 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त सितम्बर 2019 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त दिसम्बर 2019 का औसत सूचकांक**
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य,पेय द्रव्य और तम्बाकू	155.92	159.46	166.60	180.41
2. ईंधन व प्रकाश	193.14	191.13	192.86	204.36
3.आवास	200.06	204.45	207.75	209.09
4.वस्त्र,बिस्तर एवं जूते	166.00	167.92	170.52	172.03
5.विविध	150.65	152.73	155.74	158.75

क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	159.52	161.42	166.34	173.20
मध्य क्षेत्र	159.98	162.85	168.61	177.81
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	161.28	162.42	165.37	170.59
पूर्वी क्षेत्र	159.82	162.91	168.41	181.66
उत्तर प्रदेश	159.78	162.31	167.50	177.29

उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2019 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2019 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2019 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2019 का औसत सूचकांक
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य,पेय द्रव्य और तम्बाकू	147.09	152.91	160.10	168.58
2.ईंधन व प्रकाष	195.37	194.07	191.93	211.63
3.आवास	183.64	190.60	196.31	197.68
4.वस्त्र,बिस्तर एवं जूते	157.97	160.61	163.47	164.14
5.विविध	143.62	145.95	150.47	152.49
क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	155.22	157.80	160.91	166.51
मध्य क्षेत्र	148.12	153.20	162.84	171.08
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	155.07	159.28	163.03	168.39
पूर्वी क्षेत्र	154.14	159.12	163.11	171.24
उत्तर प्रदेश	153.24	156.98	161.94	168.65

उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2019 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2019 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2019 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2019 का औसत सूचकांक
समस्त	146.27	147.42	148.27	149.89
प्राथमिक	171.60	174.63	176.96	182.18
ईंधन व प्रकाश	181.77	184.17	181.24	181.75
विर्निमित	137.31	137.89	138.59	139.33

2–उत्तर प्रदेश का ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12 पर) त्रैमासान्त मार्च 2019 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2019 का सूचकांक प्रकाशित किया गया।

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)					
क्रमांक	क्षेत्र	त्रैमासान्त मार्च 2019 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2019 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2019 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2019 का औसत सूचकांक
1	**पश्चिमी क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	174.30	176.50	179.98	180.20
	(ii) राज	166.77	168.38	171.98	172.40
	(iii) कृषि श्रमिक	182.95	185.52	188.90	189.17
2.	**मध्य क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	184.78	187.51	188.88	193.52
	(ii) राज	181.64	183.32	183.40	184.05
	(iii) कृषि श्रमिक	217.53	219.04	220.29	224.00
3.	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	218.93	223.07	231.58	232.20
	(ii) राज	198.39	199.88	204.79	204.79
	(iii) कृषि श्रमिक	166.39	174.14	181.68	189.87
4	**पूर्वी क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	200.73	203.22	205.71	209.35
	(ii) राज	198.48	200.85	205.79	210.65
	(iii) कृषि श्रमिक	200.72	206.81	205.77	211.07
5	**उत्तर प्रदेश**				
	(i) बढ़ई	188.27	190.73	193.79	195.92
	(ii) राज	181.04	182.92	186.64	188.62
	(iii) कृषि श्रमिक	193.26	197.18	198.95	201.90

उत्तर प्रदेश का नगरीय मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)					
क्रमांक	क्षेत्र	त्रैमासान्त मार्च 2019 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2019 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2019 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2019 का औसत सूचकांक
1.	**पश्चिमी क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	167.41	169.07	170.18	172.05
	(ii) राज	166.60	167.87	169.02	170.41
	(iii) अकुशल श्रमिक	174.11	176.90	179.82	182.19
2.	**मध्य क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	190.12	194.87	197.50	197.74
	(ii) राज	183.06	191.69	194.75	195.04

	(iii) अकुशल श्रमिक	181.76	181.89	183.56	189.53
3.	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	196.30	197.02	199.42	200.01
	(ii) राज	179.98	180.46	181.42	181.42
	(iii) अकुशल श्रमिक	182.85	188.07	186.46	186.46
4.	**पूर्वी क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	195.02	196.37	198.64	200.16
	(ii) राज	186.31	187.53	189.55	190.39
	(iii) अकुशल श्रमिक	194.90	196.45	198.82	200.09
5.	**उत्तर प्रदेश**				
	(i) बढ़ई	175.97	178.10	179.66	181.16
	(ii) राज	173.23	175.90	177.52	178.54
	(iii) अकुशल श्रमिक	180.18	182.29	184.58	187.40

5.3.5. कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक का प्रकाशन

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश का कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12) को कृषि वर्ष 2018–19 के लिए प्रकाशनार्थ अन्तिम रूप दिया गया।

उत्तर प्रदेश का कृषीय क्रय–विक्रय समता सूचकांक
(आधार वर्ष 2011–12)

क्रम संख्या	कृषि वर्ष	कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक	कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक	कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक
1	2	3	4	5
1	2016–17	161.59	146.35	110.41
2	2017–18	170.27	151.94	111.33(अनन्तिम)
3	2018–19	174.66	161.65	108.05(अनन्तिम)

******

अध्याय–6
औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं:–

1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.)
2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ए.एस.आई.)

6.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

सामान्य परिचय

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बनाने का कार्य वर्ष 1976 से आधार वर्ष 1970–71 पर प्रारम्भ किया गया तथा वर्तमान में आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक का निर्माण किया जा रहा है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की समुचित औद्योगिक गतिविधियों को सांख्यिकीय विधि के अनुसार मापन करके एक संख्या प्रस्तुत की जाती है जिसके परिमाण से उस समयावधि में किसी संदर्भ अवधि (आधार वर्ष) की तुलना में हुए औद्योगिक उत्पादन के स्तर का बोध होता है। इस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की गतिशीलता/प्रवृत्ति की जानकारी हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है।
- उपयोग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य की विभिन्न उपयोगी वस्तुओं की प्रवृत्ति का संकेतक है। इसके द्वारा राज्य के उपयोग किये जाने वाले मदों में होने वाले परिवर्तन का आकलन किया जाता है।

राज्य स्तरीय सूचकांक–पृष्ठभूमि व कैलेन्डर

राज्य की औद्योगिक स्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत करने हेतु राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है। राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष 1976 से प्रारम्भ की गयी। राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक एवं वार्षिक तैयार किया जाता है। मासिक सूचकांक माह की समाप्ति के 2 माह के अंदर एवं वार्षिक सूचकांक आगामी वर्ष के नवम्बर माह के अन्त तक तैयार किया जाता है।

आधार वर्ष

औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने हेतु सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली मद तालिका में से पुराने व अप्रसांगिक मदों को छोड़कर नये व प्रचलित मदों को सम्मिलित करते हुए समय–समय पर आधार वर्ष को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के मार्ग निर्देशन में नवीन वर्ष पर परिवर्तित किया जाता है।

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 1976 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1998 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2007 से आधारवर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2011 से आधारवर्ष 2004–05 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2018 से आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक तैयार किया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2015–16 से भी आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक तैयार कराया गया है।
- पूर्व में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्षेत्रवार ही तैयार किया जाता था किन्तु आधार वर्ष 2004–05 पर 2011–12 से उपयोग आधारित सूचकांक उपलब्ध है। वर्तमान में आधार वर्ष 2004–05 को परिवर्तित कर आधार वर्ष 2011–12 कर दिया गया है।

6.1.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित)

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित) भारत सरकार की ही भांति औद्योगिक उत्पादन के तीन मुख्य खण्डों/सेक्टर यथा विनिर्माण, ऊर्जा व खनन में हो रही गतिविधियों के संयोजन पर आधारित है। इसके मुख्य सेक्टर विनिर्माण का सृजन राज्य में विभिन्न औद्योगिक समूहों के उत्पादन संकलन से तैयार किया जाता है जो उन पृथक–पृथक औद्योगिक समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।

- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2004–05 तक एन.आई.सी. 2004 पर आधारित था। वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 एन.आई.सी. 2008 पर आधारित है।
- सूचकांक से सम्बन्धित भारण आरेख एवं मद तालिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

खण्ड	भार		कुल मद /मद समूह की संख्या	
	आधार वर्ष 2004–05	आधार वर्ष 2011–12	आधार वर्ष 2004–05	आधार वर्ष 2011–12
विनिर्माण	740.10	809.35	149	174 (144 मद समूह)
खनन	110.16	118.89	4	02 (02 मद समूह)
ऊर्जा	149.74	71.76	1	01 (01 मद समूह)
योग	1000.00	1000.00	154	177 (147 मद समूह)

6.1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित)

- विभिन्न उपयोग आधारित सूचकांक औद्योगिक मदों के समूहों के संकलन से तैयार किया जाता है। जो पृथक–पृथक उपयोग समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।
- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा उपयोग आधारित सूचकांक आधार वर्ष 2004–05 तक एन.आई.सी. 2004 पर आधारित था। वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 एन.आई.सी. 2008 पर आधारित है।
- सूचकांक से संबंधित भारण आरेख एवं मदतालिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	आधार वर्ष 2004–05			आधार वर्ष 2011–12			
	वर्गीकरण	भार	कुल मदों की संख्या	वर्गीकरण	भार	कुल	
						मद	मद समूह
i	आधारभूत वस्तुएं	483.80	24	i- प्राथमिक वस्तुएं	293.78	10	09
ii	पूँजीगत वस्तुएं	46.65	17	ii- पूँजीगत वस्तुएं	73.19	14	12
iii	मध्यवर्ती वस्तुएं	126.77	42	iii-आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	48.37	12	09
iv	कुल उपभोग की वस्तुएं	342.78	71	iv- मध्यवर्ती वस्तुएं	173.83	46	37
iv-a	टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	70.60	27	v-कुल उपभोग वस्तुएं	410.83	95	80
iv-b	गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	272.18	44	v-a टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	167.08	50	39
		–	–	v-bगैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	243.75	45	41
योग		**1000**	**154**		**1000**	**177**	**147**

प्रयुक्त आँकड़ें एवं उनके स्रोत–

सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त आँकड़ों एवं उनके स्रोत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

मद	आँकड़ों का स्रोत
वनस्पति	निदेशक वनस्पति,भारत सरकार
चीनी,खाण्डसारी	चीनी आयुक्त, उ0प्र0
आबकारी	आबकारी आयुक्त, उ0प्र0
विनिर्माण खण्ड	आधार वर्ष 2004–05 के लिए चयनित 820 कारखानों से तथा आधार वर्ष 2011–12 में चयनित 722 कारखानों से जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित हैं। प्रत्येक मास के उपरान्त 15दिन के पश्चात जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय द्वारा उक्त कारखानों से उत्पादन विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं।
खनिज खण्ड	आई.बी.एम. नागपुर, भारत सरकार
विद्युत खण्ड	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार

रीति विधायन

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये रीति विधायन का प्रयोग किया जाता है।

6.1.3 वार्षिक कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण एवं मूल्य

- कृषि उत्पादन सूचकांक द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की प्रगति का आंकलन किया जाता है। कृषि उत्पादन की प्रगति का अनुमान परिमाण एवं मूल्य पर आधारित है।
- राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन सूचकांक वार्षिक अवधि में नियमित रूप से तैयार किया जा रहा है। सर्वप्रथम यह सूचकांक वर्ष 1978–79 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1997–98 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2004–05 से आधार वर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया। वर्ष 2008–09 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2018–19 में आधार वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष 2011–12 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

6.1.4 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- 2018–19 का वार्षिक औद्योगिक उत्पादन (उद्योग एवं उपयोग आधारित) सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किया गया।
- वर्षान्तर्गत माह फरवरी 2019 (त्वरित) एवं माह जनवरी 2019 (अनन्तिम) से दिसम्बर 2019 (त्वरित) एवं नवम्बर 2019 (अनन्तिम) आधार वर्ष 2011–12 पर कुल 11 महीनों के औद्योगिक उत्पादन (उद्योग एवं उपयोग आधारित) सूचकांक तैयार किये गये। माह जनवरी 2020 (त्वरित) एवं माह दिसम्बर 2019 (अनन्तिम) कोविड–19 महामारी के कारण माह मार्च 2020 में तैयार नहीं किया जा सका जिसे बाद में माह मई 2020 में तैयार किया गया है।
- नवीन आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2018–19 का कृषि उत्पादन सूचकांक (परिमाण एवं मूल्य) तैयार किया गया है।

मुख्य परिणाम (b)–

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग/क्षेत्रवार)
मासिक सूचकांक वर्ष (2018–19)
आधार वर्ष 2011–12

सेक्टर	अप्रैल 18	मई 18	जून 18	जुलाई 18	अगस्त 18	सितम्बर 18	अक्टूबर 18	नवम्बर18	दिसम्बर18	जनवरी 19	फरवरी 19	मार्च 19
खनिज	109.85	99.01	113.34	129.47	125.64	119.33	142.47	140.13	166.77	165.41	129.31	107.37
ऊर्जा	125.62	138.81	137.15	129.40	124.71	127.61	144.93	122.56	123.12	123.05	103.64	118.53
विनिर्माण	121.13	122.58	114.90	115.54	114.47	115.32	121.50	116.16	132.66	137..62	127.98	143.60
सामान्य सूचकांक	120.11	120.94	116.31	118.19	116.53	116.68	125.67	119.47	136.03	139.88	126.39	137.49

वार्षिक सूचकांक
वर्ष 2017–18 के सापेक्ष वर्ष 2018–19 में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि/कमी

सेक्टरवार सूचकांक	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19	गत वर्ष के सापेक्ष %वृद्धि/कमी
खनिज	115.74	129.01	11.47
ऊर्जा	132.54	126.59	–4.49
विनिर्माण	117.15	123.62	5.52
सामान्य सूचकांक	118.08	124.47	5.41

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित)
मासिक सूचकांक (वर्ष 2018–19)
आधार वर्ष (2011–12)

उपयोग आधारित वर्गीकरण	अप्रैल 18	मई 18	जून 18	जुलाई 18	अगस्त18	सित.18	अक्टू. 18	नव.18	दिस.18	जनवरी 19	फरवरी 19	मार्च 19
1.प्राथमिक वस्तुएं	115.71	117.47	122.18	127.43	123.79	118.88	137.52	128.53	143.27	139.90	117.79	115.95
2. पूँजीगत वस्तुएं	201.13	193.87	176.23	157.54	177.30	203.66	185.22	172.07	145.86	230.74	199.14	237.25
3.आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	122.63	131.24	122.30	124.39	106.29	110.30	127.36	111.58	124.01	128.10	117.84	131.90
4.मध्यवर्ती वस्तुएं	125.15	140.39	137.44	136.34	133.37	137.74	148.56	134.37	154.69	155.79	148.56	157.19
5.कुल उपभोग वस्तुएं	106.40	100.99	91.80	96.15	94.60	91.46	96.70	98.24	122.62	118.32	111.21	127.45
5.1टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	84.66	89.39	84.54	84.70	91.44	87.09	90.59	71.34	92.58	92.36	89.04	89.73
5.2गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	121.31	108.94	96.78	104.00	96.76	94..45	100.89	116.68	143.20	136.12	126.40	153.31
सामान्य सूचकांक	120.11	120.94	116.51	118.19	116.53	116.68	125.67	119.47	136.03	139.88	126.39	137.49

वार्षिक सूचकांक
आधार वर्ष 2011–12
वर्ष 2017–18 के सापेक्ष वर्ष 2018–19 में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि/कमी

क्रमांक	उपयोग आधारित वर्गीकरण	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19	गत वर्ष के सापेक्ष %वृद्धि/कमी
1.	प्राथमिक वस्तुएं	118.04	125.70	6.49
2.	पूँजीगत वस्तुएं	191.33	190.00	–0.70
3.	आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	98.29	121.50	23.61
4.	मध्यवर्ती वस्तुएं	134.24	142.47	6.13
5.	कुल उपभोग वस्तुएं	100.56	104.66	4.08
5.1	टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	94.11	87.29	–7.25
5.2	गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	104.98	116.57	11.04
	सामान्य सूचकांक	118.08	124.47	5.41

कृषि उत्पादन से सम्बन्धित सूचकांक (वर्ष 2018–19) आधार वर्ष 2011–12
कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण (volume)

प्रमुख मद	वर्ष 2016–17(अंतिम)	वर्ष 2017–18(अनन्तिम)	वर्ष 2018–19(त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2017–18	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2018–19
अनाज	99.38	101.75	120.60	2.38	18.53
दाल	91.79	91.19	98.52	–0.65	8.04
फल एवं सब्जी	144.51	145.00	145.33	0.34	0.23
गन्ना	130.80	165.21	167.69	26.31	1.50
तिलहन	91.01	97.77	95.70	7.43	–2.12
सामान्य सूचकांक	115.02	122.18	131.21	6.23	7.39

कृषि उत्पादन सूचकांक–मूल्य (value)

प्रमुख मद	वर्ष 2016–17(अंतिम)	वर्ष 2017–18(अनन्तिम)	वर्ष 2018–19(त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2017–18	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2018–19
अनाज	137.22	151.19	192.99	10.18	27.65
दाल	144.17	108.26	140..87	–24.91	30.12
फल एवं सब्जी	211.66	210.05	235.45	–0.76	12.09
गन्ना	169.46	222.42	226.73	31.25	1.94
तिलहन	86.70	109.86	115.55	26.71	5.18
सामान्य सूचकांक	155.50	168.50	194.29	8.36	15.31

6.1.5 कार्यशाला

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष 2011–12 के रिवीज़न के लिए सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली में आयोजित तृतीय वर्किंग ग्रुप की बैठक में 27 दिसम्बर 2019 को श्रीमती शालू गोयल, उप निदेशक, औद्योगिक सांख्यिकी, अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया।

6.2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणः–

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1959 में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में उप महानिदेशक क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को सांख्यिकीय प्राधिकारी (स्टेटिस्टिकल अथॉरिटी) घोषित करके वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जाने लगा। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा भारत सरकार के निर्धारित रूप पत्र एवं दिशा निर्देशन में वर्ष 1960–61 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

6.2.1 मुख्य उद्देश्य एवं फ्रेम

इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक नीति निर्धारकों एवं नियोजकों को औद्योगिक आंकड़े उपलब्ध कराना तथा राज्य/जिला आय के निर्धारण में विनिर्माण समूह के उद्योगों का अनुमान आकलित करना है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का फ्रेम प्रदेश में मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा रखी जा रही पंजीकृत कारखानों तथा बीड़ी एवं सिगार प्रतिष्ठानों एवं विद्युत उपक्रमों के सम्बन्ध में लाईसेन्सिंग प्राधिकरणों द्वारा रखी जा रही सूचियों पर आधारित है। सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 1953 के अन्तर्गत सांख्यिकीय संग्रहण (केन्द्रीय) नियमावली 1959 के आधार पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा–2 एम (i) व 2 एम (ii) में पंजीकृत कारखानों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता था किन्तु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 से एवं उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013–14 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार के सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 के अन्तर्गत कराया जा रहा है। वर्ष 1989–90 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के फ्रेम को प्रति 3 वर्षों में एक बार संशोधन/अद्यतन किया जाता हैं।

6.2.2 अवधि

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के संग्रहीत आंकड़ों का सम्बन्ध सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच किसी भी दिन समाप्त हुए लेखा वर्ष से है।

6.2.3 चयन प्रक्रिया

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की चयन प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2016–17 का फ्रेम दो भागों में वर्गीकृत है केन्द्रीय प्रतिदर्श एवं राज्य प्रतिदर्श तथा केन्द्रीय प्रतिदर्श को भी दो भागो में बॉटा गया है गणना व गैर गणना सेक्टर में वे कारखानों वर्गीकृत होते हैं जिनमें 100 या 100 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं तथा जो संयुक्त रिर्टन भरते हैं। (अर्थात जिनका संचालन एक ही प्रबंधन के अन्तर्गत

आता हो और उसकी कई शाखाएं हों) उक्त के अतिरिक्त स्ट्रेटा के अर्न्तगत किसी जनपद की एन0आई0सी0 में चार या चार से कम इकाइयॉ हों उन सभी को गणना इकाई समझा जायेगा। गणना सक्टेर के समस्त कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया है एवं प्रतिदर्श सेक्टर में केन्द्रीय प्रतिदर्श के कारखानों का सर्वेक्षण भी भारत सरकार द्वारा किया गया है । भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य के प्रतिदर्श कारखानों का सर्वेक्षण अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जाता है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2016–17 के प्रतिदर्श अभिकल्प के ढॉचे का निर्माण जिला स्तर पर 3 अंकीय राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण–2008 (NIC-2008) पर किया गया है।

6.2.4 सर्वेक्षण हेतु अनुसूची

सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये निर्धारित अनुसूची भाग–1 (विवरणी) का प्रयोग राज्य द्वारा किया जाता है जिसमें परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, रोजगार एवं श्रम लागत, प्राप्ति, व्यय, लागत मदें–देशी एवं आयातित, उत्पाद एवं उपोत्पाद, विभाजक व्यय आदि के सम्बन्ध में आंकड़े संग्रह किये जाते है।

6.2.5 उद्योगों का वर्गीकरण

कारखानों के आर्थिक क्रिया कलापों में उद्योगों का वर्गीकरण प्रचलित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन. आई.सी कोड) का अनुसरण किया जाता है। वर्तमान में एन.आई.सी कोड 2008 का प्रयोग किया जा रहा है।

6.2.6 सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट आलेखन

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता द्वारा उपलब्ध करायी हुई राज्य प्रतिदर्श कारखानों की सूची को जनपदवार/मण्डलवार वितरित करके जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रतिदर्श कारखानों केा नोटिस अनुदेश, अनुसूची आदि प्रपत्र भेजकर आँकड़ों के संग्रहण का कार्य कराया जाता है। कारखानों के आँकड़ों की डेटा इन्ट्री/ वैलिडेशन करने हेतु प्रत्येक वर्ष सॉफटवेयर को तैयार/विकसित करके क्षेत्रों के सहायको को प्रशिक्षित किया जाता है। संग्रहित आँकड़ों का मण्डल स्तर पर परिनिरीक्षण व डेटाइन्ट्री/वैलिडेशन करने के उपरान्त प्रभाग को उपलब्ध कराया जाता है। प्रभाग स्तर पर सन्दर्भित वर्ष के राज्य व केन्द्र के आँकड़ों को जनपद के अर्न्तगत उद्योग वर्गानुसार मिलाने के उपरान्त निर्धारित गुणक से उद्योग वर्गानुसार अनुमान प्राप्त कर गणना कारखानों के आँकड़ों को जिलेवार एवं उद्योगवार अनुमानित आँकड़ों के साथ जोड़ कर जनपदवार/मण्डलवार/राज्य स्तरीय अनुमान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार भारत सरकार तथा प्रभाग द्वारा सर्वेक्षित आँकड़ों को आमेलित कर गुणक का उपयोग करते हुए विनियोजित पूँजी, उपभुक्त सामग्री, कुल आगत, कुल निर्गत, उत्पादन का मूल्य, सकल आवर्धित मूल्य, मूल्य हास, शुद्व आवर्धित मूल्य आदि महत्वपूर्ण मदों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है।

6.2.7 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

1. **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2016–17** का सर्वेक्षण सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 की जारी अधिसूचना के अर्न्तगत कराया गया। राज्य के सर्वेक्षित ऑकड़ों के निष्कर्ष के आधार पर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2016–17 के रिपोर्ट लेखन का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायी गयी।
2. **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2017–18** का सर्वेक्षण सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 की जारी अधिसूचना के अर्न्तगत कराया गया। माह मार्च 2020 तक कुल राज्य प्रतिदर्श के 3299 कारखानों के सापेक्ष अवशेष 1161 कारखानों का सर्वेक्षण, 1814 इकाईयो का परिनिरीक्षण व 2505 इकाईयों की डेटा इन्ट्री व वैलिडेशन का कार्य पूर्ण कराया गया। प्रभाग स्तर पर 3299 इकाईयों के सापेक्ष 3299 इकाईयों के जॉच का कार्य पूण्र किया गया। इस प्रकार आलोच्य अवधि में शतप्रतिशत कारखानों का सर्वेक्षण/परिनिरीक्षण/डेटा इन्ट्री व वैलिडेशन तथा प्रभाग स्तर पर ऑकड़ो के जॉच का कार्य पूर्ण किया गया।
3. **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2018–19** का सर्वेक्षण सम्प्रति सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 की जारी अधिसूचना के अर्न्तगत संचालित है। माह मार्च 2020 तक कुल आवंटित 3152 कारखानों के सापेक्ष 2126

कारखानों का सर्वेक्षण, 1198 इकाईयो का परिनिरीक्षण व 1018 इकाईयों की डेटा इन्ट्री व वैलिडेशन व ववैलिडेशन का कार्य पूर्ण कराया गया। प्रभाग स्तर पर 69 इकाईयों के जॉच का कार्य पूर्ण कराया गया।

6.2.8 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2016–17 के मुख्य निष्कर्ष

1. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2016–17 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के प्रतिचयन ढाँचे में कुल 15357 कारखाने पंजीकृत रहे जिसमें 3339 कारखाने गणना के तथा 1929 केन्द्रीय प्रतिदर्श हेतु चयनित थे। 5268 कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया । राज्य के सर्वेक्षण हेतु 3751 कारखाने चयनित किये गये।
2. प्रदेश के प्रतिचयन ढाँचे के अनुसार कुल 15357 पंजीकृत कारखानों में से पश्चिमी क्षेत्र में 11044 कारखाने, केन्द्रीय क्षेत्र में 2806 कारखाने, पूर्वी क्षेत्र में 1384 कारखाने तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 123 कारखाने पंजीकृत पाये गये।
3. NIC-2 अंकीय कोड के अनुसार सबसे अधिक 12.7 प्रतिशत अंश के साथ 1957 कारखाने खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में पंजीकृत पाये गये। फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण (मशीनरी तथा उपस्कर के अतिरिक्त) (NIC-25) अन्य अधात्विक एवं खनिज उत्पादों के विनिर्माण (NIC-23) में क्रमशः 1359 (8.8 प्रतिशत) व 1247 (8.1 प्रतिशत) व कारखानों का पंजीयन दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा।
4. केन्द्र व राज्य के लिये चयनित व सर्वेक्षित 9019 कारखानों के सापेक्ष 7207 कारखाने कार्यरत पाये गये। उक्त के आधार पर राज्य में कुल 13743 कारखानें कार्यरत अनुमानित हुए।
5. प्रदेश के समस्त उद्योगों में कुल आगत 4338894379 हजाऱ रूपये, निर्गत 5473674582 हजाऱ रूपये, सकल आवर्धित मूल्य 1134780203 हजाऱ रूपये, मूल्य ह्रास 113302871 हजाऱ रूपये तथा शुद्ध आवर्धित मूल्य 1021477332 हजाऱ रूपये रहा।
6. आगत व निर्गत मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक योगदान खाद्य उत्पाद के विनिर्माण (NIC-10) में क्रमशः 26.9 व 23.8 प्रतिशत रहा। सकल आवर्धित मूल्य की दृष्टि से सर्वाधिक 23 प्रतिशत का योगदान कोक एवं पेट्रोलियम एवं शोधन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-19) में रहा।
7. शुद्ध आवर्धित मूल्य की दृष्टि से कोक एवं पेट्रोलियम एवं शोधन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-19) में 255454659 हजाऱ रूपये (25.0 प्रतिशत) के साथ प्रथम स्थान पर, खाद्य उत्पाद के विनिर्माण (NIC-10) में 114437163 हजार रु0 (11.2 प्रतिशत) के साथ द्वितीय स्थान पर तथा कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक्स एवं आप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण (NIC-26) में 81109164 हजाऱ रूपये (7.9 प्रतिशत) के साथ तृतीय स्थान पर रहा।
8. राज्य के पंजीकृत कार्यरत कारखानों में कुल 1048471 कार्मिक कार्यरत रहे जिसमें से सर्वाधिक 165708 (15.8 प्रतिशत) कर्मी खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में नियोजित रहे तत्पश्चात पहनने के कपड़ों का विनिर्माण (NIC-14) में 10.8 प्रतिशत, चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद का विनिर्माण (NIC-15) व फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण (मशीनरी तथा उपस्कर के अतिरिक्त) (NIC-25) में 8.0 प्रतिशत कर्मियों का नियोजन रहा। NIC कोड 38, 58, 74, 82, 95 व 96 में कर्मियों के नियोजन का प्रतिशत नगण्य पाया गया।
9. राज्य में प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक परिलब्धि 308.28 हजार रूपये पाया गया जो मोटर वाहन, ट्रेलरों, सेमीट्रेलरों का विनिर्माण (NIC-29) हेतु सर्वाधिक 1491.66 हजार रूपये उसके उपरांत कोक एवं पेट्रोलियम एवं शोधन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-19) हेतु 818.05 हजार रुपये पाया गया।
10. प्रदेश के उद्योगों में **कुल ईंधन** उपभोग की दृष्टि से मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में सर्वाधिक 43442641 हजार रूपये तथा अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में न्यूनतम् 1747 हजार रूपये कुल ईंधन का उपभोग किया गया। **कोयले का** सर्वाधिक उपभोग मूल धातुओं का

विनिर्माण (NIC-24) में 6268333 हजार रूपये एवं न्यूनतम् उपभोग भण्डारण एवं सहयोगी क्रियाकलाप हेतु यातायात (NIC-52) में 146 हजार रूपये का किया गया। **विद्युत** का सर्वाधिक उपभोग मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में 32914960 हजार रूपये तथा न्यूनतम अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 1427 हजार रूपये का उपभोग किया गया। **पेट्रोलियम** पदार्थो का सर्वाधिक उपभोग खाद्य पदार्थो का का विनिर्माण (NIC-10) में 6048374 हजार रूपये तथा न्यूनतम अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 320 हजार रूपये का उपभोग किया गया। **गैस** का सर्वाधिक उपभोग रसायन तथा रसायन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-20) में 10601426 हजार रूपये तथा न्यूनतम मशीनरी तथा उपस्कर का स्थापन एवं मरम्मत (NIC-33) में 01 हजार रूपये का उपभोग किया गया। इसी प्रकार **अन्य ईंधन** का सर्वाधिक उपभोग कोक एवं पेट्रोलियम एवं शोधन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-19) में 10448463 हजार रूपये तथा न्यूनतम् अन्य परिवहनउपस्कर का निर्माण (NIC-30) में 10 हजार रूपये का उपभोग किया गया।

11. प्रदेश में कुल 113302871 हजार रूपये के मूल्य ह्रास में सबसे अधिक खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में 19201709 हजार रूपये तथा सबसे कम न्यूनतम वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 1400 हजार रूपये मूल्य ह्रास पाया गया।
12. प्रदेश में 2222250977 हजार रूपये पूँजी का विनियोजन किया गया जिसमें खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में सर्वाधिक 579069877 हजार रूपये तथा न्यूनतम् अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 9767 हजार रूपये का पूँजी विनियोजन रहा।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की रिपोर्ट के प्रमुख मदों के तुलनात्मक ऑकड़ेंः–

क्र0सं0	मद	राज्य सरकार वा0उ0स0 2015–16 (मू0 हजार रू0 में)	भारत सरकार वा0उ0स0 (उ0प्र0 से सम्बन्धित) 2016–17 (मू0 हजार रू0 में)	राज्य सरकार वा0उ0स0 2016–17 (मू0 हजार रू0 में)	गतवर्ष (2015–16) के सापेक्ष वृद्धि/कमी का प्रतिशत	भारत सरकार के सापेक्ष वृद्धि/कमी का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	पंजीकृत कारखानों की संख्या	**15364**	**15357**	**15357**	**-0.05**	**0**
2	अनुमानित कारखानों की संख्या	**13628**	**12894**	**13743**	**0.84**	**6.58**
3	विनियोजित पूँजी	**2065209144**	**2081333200**	**2222250977**	**7.60**	**6.77**
4	उपभुक्त सामग्री	**3078673515**	**2927064100**	**3369110225**	**9.43**	**15.10**
5	कुल आगत	**3922814222**	**3945159000**	**4338894379**	**10.61**	**9.98**
6	कुल निर्गत	**4740132147**	**4955226800**	**5473674582**	**15.48**	**10.46**
7	उत्पादन का मूल्य	**3987584056**	**4249386800**	**4134231508**	**3.68**	**-2.71**
8	सकल आवर्धित मूल्य GVA	**817317925**	**1010067800**	**1134780203**	**38.84**	**12.35**
9	मूल्य ह्रास	**101027654**	**105112800**	**113302871**	**12.15**	**7.79**
10	शुद्ध आवर्धित मूल्य NVA	**716290271**	**904954900**	**1021477332**	**42.61**	**12.88**
11	**समस्त कर्मचारी (संख्या)**	**1031737**	**108540**	**1048471**	**1.62**	**3.51**
11.1	कर्मी (संख्या)	**795301**	**783541**	**803435**	**1.02**	**2.54**
11.2	पर्यवेक्षकीय एवं प्रबन्धकीय कर्मचारी वर्ग (संख्या)	**98933**	**95567**	**100106**	**1.19**	**52.68**
11.3	अन्य कर्मचारी(संख्या)	**137503**	**129432**	**144930**	**5.40**	**11.97**
12	कुल परिलब्धियॉ कर्मी	**93522593**	**103145300**	**106762975**	**14.16**	**3.51**
13	कुल परिलब्धियॉ समस्त कर्मचारी	**239524466**	**232486600**	**323179141**	**34.93**	**39.01**

14	प्रति कर्मचारी वार्षिक परिलब्धियॉ	**232.2**	**230.52**	**308.2**	**32.73**	**34.29**
15	**कुल ईधन**	**202061478**	**213853752**	**222296075**	**10.01**	**3.95**
15.1	कोयला मूल्य	**15189436**	**16387966**	**18337777**	**20.73**	**11.90**
15.2	विद्युत कय मूल्य	**108342400**	**108086087**	**113818452**	**5.05**	**5.30**
15.3	पेट्रोलियम उत्पाद	**28423590**	**34051761**	**33022237**	**16.18**	**-3.02**
15.4	अन्य ईधन	**50106052**	**55327937**	**57117609**	**13.99**	**3.23**

******

अध्याय –7
आवास सांख्यिकी

7.0 पृष्ठभूमि

आवास एवं भवन निर्माण सांख्यिकी के संग्रहण और प्रसारण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन.बी.ओ.),शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अभिकरण के रुप में नामित किया गया है। आवास साँख्यिकी संग्रहण की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1969) में लागू हुई। योजनान्तर्गत आवास सांख्यिकी राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा एकत्र करायी जाती थी। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा वर्ष 2007–08 से एक नई केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना **"Urban Statistics for HR and Assessments (U.S.H.A)"**प्रारम्भ की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य आवास निर्माण, नगरीय गरीबी, झोपड़पट्टी तथा शहरीकरण से सम्बन्धित सूचना के लिए राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस, सूचना तन्त्र का प्रबन्धन एवं अन्य जानकारियाँ तैयार करना है। जिसकी पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा वांछित आँकड़ें एकत्रित करा कर उपलब्ध कराये जा रहे है जिनका विवरण निम्नवत् है–

• नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड़यूल पार्ट–1:–

वर्ष 2013–14 से अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के स्थान पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड्यूल पार्ट–1 के आंकड़ों का त्रैमासिक संग्रहण किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 35 नगर चयनित किये गये हैं जिनके आंकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

• जारी किये गये भवनो के अनुमति प्रमाण का एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 55 जनपदों के 63 नगर चयनित है। नये आवासीय भवन इकाईयों के अनुमति प्रमाण पत्र एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के आंकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

• Housing Start-up index(HSUI)-

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊषा स्कीम के अन्तर्गत HSUI योजना दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना में प्रदेश के 34 जनपदों के 35 टाउन चयनित हैं। योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दरें, बाजार दरें एवं किराया दरों के आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से त्रुटियों का निराकरण कराकर जनपदों द्वारा सीधे राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को आनॅलाइन अनुमोदित कराया जाता है।

• भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भावः–

प्रभाग के सभी जिलों से 30 सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमासान्त के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर बाजार भाव राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर एकत्रित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रियों के 14 मदों के 76 उपमदों के फुटकर भाव प्रत्येक त्रैमासान्त में एकत्र किये जाते हैं। 14 मदों में ईटें, रेत, पत्थर की रोड़ी, चूना, इमारती लकड़ी, सीमेन्ट, इस्पात, फर्श के लिए पत्थर की स्लैप, ऐस्बेस्टस सीमेंट की चादरें, टाइलें, रोगन व वार्निश, चादर काँच, सफाई पात्र एवं इलेक्ट्रिक फीटिंग सम्मिलित है। भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के

त्रैमासिक फुटकर भाव के आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन इन्ट्री किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरेंः–**

यह कार्य सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमास के अन्त में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग से कुशल मजदूरों यथा राज (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी), बढ़ई (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) तथा अकुशल मजदूर (पुरूष एवं स्त्री)को देय मजदूरी की दरों के आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते थे।माह जून, 2013 से भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें लोक निर्माण विभाग से संग्रहीत न कराकर सीधे जिले(नगर) के खुले बाजार से आंकड़ों का एकत्रीकरण कर ऑनलाइन इन्ट्री किया जाता है। तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **भवन निर्माण लागत सूचकांकः–**

भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 1983 से (1980–81 के आधार वर्ष पर) प्रदेश के 7 जनपदों(कानपुर, बरेली, झॉसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ तथा वाराणसी) के लिये चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों हेतु तैयार किया जाता था।वर्ष 2007–08 से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आधार वर्ष 1999–2000 पर निम्न आय वर्ग कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1(एल.आई.जी.) के लिए सभी जनपदों में लागत सूचकांक तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 से निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 (एल0आई0जी0) के भवन निर्माण लागत सूचकांक आधार वर्ष 1999–2000 के स्थान पर वर्ष 2004–05 किया गया है। वर्ष 2018–19 से अल्प आय समूह हेतु भवन निर्माण लागत सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 किया गया है। त्रैमासान्त जून, 2013 से पूर्व की भांति लागत (कास्ट) आवास विकास परिषद/पी0डब्ल्यू0डी0/अन्य कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर भवन निर्माण लागत सूचकांक को त्रैमासिक के स्थान पर वार्षिक ब्रिक्स साफ्टवेयर पर ऑनलाइन इन्ट्री किया जाता हैतत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचनाः–**

जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचना का एकत्रीकरण वर्ष 2013–14 से प्रारम्भ किया गया है।इसमें प्रदेश के चयनित 35 नगरों के आंकड़ें Munucipal commissioners /District Collectors/City Development Authorities से प्राप्त करने के उपरान्त urban local bodies के Deputy Commissioner के स्तर से सत्यापित कराकर आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह करा कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

7.1 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- 75 जनपदों के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव त्रैमासान्त मार्च 2019, जून 2019, सितम्बर 2019 एवं दिसम्बर 2019 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- 75 जनपदों के भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें त्रैमासान्त मार्च 2019, जून 2019, सितम्बर 2019 एवं दिसम्बर 2019 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- 75 जनपदों के अल्प आय समूह हेतु के भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2018–19 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।

- नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड़यूल पार्ट–1 के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के ऑकड़े त्रैमासान्त मार्च 2019, जून 2019, सितम्बर 2019 एवं दिसम्बर 2019 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- जारी किये गये भवन के अनुमति प्रमाण पत्र एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट चयनित 55 जनपदों के 63 नगरों के आंकड़ें त्रैमासान्त मार्च 2019, जून 2019, सितम्बर 2019 एवं दिसम्बर 2019 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- एच0एस0यू0आई0 योजना के अन्तर्गत चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दर, बाजार दर एवं किराया दर के आंकड़ें त्रैमासान्त मार्च 2019, जून 2019, सितम्बर 2019 एवं दिसम्बर 2019 को ऑनलाइन अनुमोदन करा कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवनों के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के वार्षिक आंकड़े वर्ष 2018–19 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव तथा मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक नामक वार्षिक पत्रिका वर्ष 2018–19 का प्रकाशन किया गया।

7.1.1 भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, तथा मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक वर्ष 2018–19 की प्रकाशित रिर्पोट के मुख्य निष्कर्ष–

(i) आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव

- ईटें श्रेणी (क) का औसत भाव रू0 5514 तथा रेत निम्न रू0 2031, रेत अव्वल रू0 1322, पत्थर की रोड़ी (15 मि.मी. गेज और कम) रू0 2174, इमारती लकड़ी (क) सी.पी. सागौन रू0 91409, (ख) साल की लकड़ी रू0 69056 प्रति घन मीटर रहा एवं चूना अनबुझा का औसत भाव रू0 983 प्रति कुन्तल पाया गया।
- सीमेन्ट साधारण सफेद(क) उच्च शक्तिवाली का औसत भाव रू0 7187 (ख) कम शक्तिवाली रू0 6605, इस्पात (साधारण इस्पात की गोल छड़ें) (क) 10 मि.मी. व्यास रू0 47588 (ख) 12 मि.मी. व्यास रू0 48152, इस्पात (साधारण इस्पात की चपटी छड़ें) 30×12 मि.मी रू0 48008, इस्पात (एंगल आइरन) (क) 25×25×5 मि.मी. रू0 47587, (ख) 45×45×6 मि.मी.रू0 47900 साधारण इस्पात के चैनल (150×75 मि.मी.) रू0 49661 प्रति मी0 टन रहा।
- लकड़ी इस्पात कार्य के लिए विशेष पेंट का औसत भाव रू0 262 प्रति लीटर पाया गया।
- चादर कॉच के औसत भाव रू0 520 प्रति वर्ग मी. पाया गया ।
- सफाई पात्र एस. डब्ल्यू पाइप (150 मि. मी. व्यास) का औसत भाव रू0 102 प्रति अदद पाया गया ।

(ii) विभिन्न प्रकार की दैनिक मजदूरी की दरें

प्रदेश स्तर की राज प्रथम श्रेणी की औसत मजूदरी रू0 515, राज द्वितीय श्रेणी रू0 459, बढ़ई प्रथम श्रेणी रू0 486, बढ़ई द्वितीय श्रेणी रू0 430, अकुशल मजदूर (पुरूष)रू0 311, अकुशल मजदूर (स्त्री) रू0 287 प्रति दिन पाया गया ।

(iii) लागत सूचकांक

वर्ष 2018–19 मे भवन निर्माण लागत सूचकांक सबसे अधिक 214.00 जनपद बिजनौर तथा सबसे कम सूचकांक 124.68 जनपद कानपुर नगर एवं कानपुर देहात का पाया गया।

******

अध्याय–8
संगणक अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एवं विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षण कार्यो के माध्यम से एकत्र कराये जा रहे ऑकडों की डेटा इन्ट्री के लिए साफ्टवेयर विकास एवं उनके क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण, आंकडों की डेटा प्रोसेसिंग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के ऑकडों की पूलिंग संबंधी कार्य, प्रभागीय वेबसाइट का प्रबन्धन, स्थानीय निकाय के आय–व्यय के लेखा संबंधी वर्ष 2018–19 हेतु डाटा इन्ट्री एव रिर्पोटिंग संबंधी साफ्टवेयर के विकास का कार्य, सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रैन्थेनिंग (एस0एस0एस0) योजना के अन्तर्गत ''डेवलेपमेण्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ऑफलाइन एण्ड ऑनलाइन डेटा इन्ट्री'' विषयक परियोजना में आई0आई0पी0 ,वा0उ0स0 एवं भाव सांख्यिकीय मॉड्यूल के अनुरक्षण का कार्य, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों को सम्बन्धित अनुभाग से निस्तारित कराकर अपलोड करने सम्बन्धी कार्य संगणक अनुभाग द्वारा किये जा रहे हैं। वर्तमान में उक्त कार्यो के अतिरिक्त प्रभाग के क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर तैनात कार्मिकों की कम्प्यूटर दक्षता व कुशलता में अभिवृद्धि हेतु अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

8.1 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

8.1.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

1–रा0प्र0स0 77वीं आवृत्ति सम्बन्धी डाटा इन्ट्री सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य किया गया।

2– रा0प्र0स0 74वीं आवृत्ति के विभिन्न अनुसूचियों के सारणीयन हेतु टेक्स्ट डाटा को स्टेटा में परिवर्तित करने का कार्य किया गया।

3–रा0प्र0स0 73वीं आवृत्ति के विभिन्न अनुसूचियों के संशोधित तालिकाओं के निर्माण का कार्य किया गया

8.1.2 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

1– वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित केन्द्र एवं प्रभाग द्वारा एकत्रित आँकड़ों पर आधारित वांछित सारणीयन का कार्य किया गया।

8.1.3 स्थानीय निकाय

1– राज्य आय अनुभाग के उपयोगार्थ स्थानीय निकाय के वर्ष 2018–19 के आय व्यय का लेखा तैयार करने हेतु एकत्रित आंकडों के आधार पर तालिकायें तैयार करने एवं खण्ड वार ग्रैण्ड–शीट तैयार करने का प्राविधान करते हुए रिपोर्टिंग साफ्टवेयर का निर्माण किया गया।

2– स्थानीय निकाय 2018–19 हेतु डाटा इन्ट्री सॉफ्टवेयर का विकास कर क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयोगार्थ क्रियान्वित कराया गया।

8.1.4 सामुदायिक विकास कार्यों से सम्बन्धित

1–सामुदायिक विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन (CD MPR) से सम्बन्धी रिपोर्टिंग साफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया।

8.1.5 State Statistical Strengthening (SSS) योजना

1– वा0उ0स0 मॉड्यूल में वा0उ0स0 वर्ष 2018–19 एवं आई0आई0पी0 हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों से डाटा इन्ट्री कराये जाने हेतु डाटा इन्ट्री फॉर्म में आ रही समस्याओं का निराकरण कराया गया एवं औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग से प्राप्त विसंगतियों का निराकरण कराकर टेस्टिंग सर्वर पर अपलोड कराया गया।

2– भाव सांख्यिकीय मॉड्यूल में व आई0आई0पी0 मॉड्यूल में रिर्पोट संबंधी एवं डाटा इन्ट्री हेतु जनपदों में आ रही समस्याओं का निराकरण कराया गया।

8.1.6 PSMS सम्बन्धी आंकड़ों का सारणीयन

1–PSMS सम्बन्धी आंकड़ों का सारणीयन (using STATA) के अन्तर्गत अनुसूची 11 इससे सम्बन्धित फॉर्मेट पर संशोधित तालिकाओं का निर्माण किया गया।

8.1.7 प्रभाग की वेबसाइट का प्रबन्धन

1–प्रभाग की वेबसाइट **'http://updes.up.nic.in'** पर प्रदर्शित सूचनाओं के अपडेशन हेतु रा0सू0वि0 केन्द्र से user ID एवं password प्राप्त कर प्रभाग स्तर पर अपलोड कार्य किया जाता है। साथ ही प्रभाग की वेबसाइट को समय–समय पर यथाआवश्यकतानुसार user friendly एवं व्यवहारिक बनाये जाने हेतु भी कार्य

किया गया। सम्बन्धित अनुभागों से प्राप्त साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व अन्य प्रकार की सूचनाओं एवं प्रभाग में विकसित किए गये साफ्ट्वेयर व अन्य तत्सम्बन्धी सूचनाएं तथा प्राप्त निविदा व प्रेस रिलीज सम्बन्धी सूचनाओं को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया गया।

8.1.8 समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) सम्बन्धी कार्य–समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को सम्बन्धित अनुभाग से निस्तारित कराकर, निस्तारित सूचनाओं को अपलोड करने सम्बन्धी कार्य किया गया।

****

अध्याय–9
ग्राफ अनुभाग

प्रभाग में स्थापित ग्राफ अनुभाग द्वारा मुख्यालय से प्रकाषित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रकाषनों व प्रतिवेदनों में प्रयुक्त होने वाले आवरण पृष्ठ, मानचित्र, ग्राफ व लेखाचित्र (चार्ट) को मुख्यालय स्तर पर कार्यरत कलाकार व वरिष्ठ कलाकार द्वारा तैयार किया जाता है। प्रभाग में विभिन्न प्रकार के आँकड़ों एवं प्रतिवेदनों को एक दृष्टि में अवलोकन हेतु ग्राफ, आरेख एवं मानचित्र तैयार किये जाते हैं।

9.1 क्षेत्रीय कार्यालयों में सम्पादित कार्य–

वर्तमान में विकास सम्बन्धी आँकड़ों को मण्डल के मानचित्र के अन्तर्गत जनपदों एवं जनपद के मानचित्रों में विकासखण्डो की परस्पर तुलनात्मक स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के उद्देश्य से नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है।

जनपद व मण्डल स्तर पर प्रत्येक वर्ष नियोजन एटलस जी.आई.एस. आर्कव्यू साफ्टवेयर पर नियोजन एटलस को तैयार किया जाता है। नियोजन एटलस की संरचना में प्रयुक्त संकेतकों की सूचना में सांख्यिकीय पत्रिका के आँकड़ो का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकीय पत्रिका के प्रकाशनोपरान्त एक माह के पश्चात जनपदीय नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है तथा जनपदीय नियोजन एटलस के प्रकाशन के एक माह बाद मण्डलीय नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है।

मण्डलीय नियोजन एटलस में 72 मुख्य विकास संकेतकों के आधार पर मानचित्र व तालिकाओं को तैयार किया जाता है तथा जनपदीय नियोजन एटलस को 2 भागों में तैयार किया जाता है। प्रथम भाग में मण्डल के समस्त जनपदों के 30 विकास संकेतको के आधार पर 30 तालिकायें व मानचित्र तथा द्वितीय भाग में विकास खण्डों के 69 मुख्य विकास संकेतकों के आधार पर 69 तालिकायें व मानचित्र को प्रदर्षित किया जाता है।

जनपद व मण्डल स्तर पर होने वाले प्रकाषन जैसे–सांख्यिकीय पत्रिका, सामाजार्थिक समीक्षा, विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका व सामाजार्थिक समीक्षा में आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण को आकर्षक एवं सुस्पष्ट बनाने हेतु लगाये जाने वाले रंगीन ग्राफ, आरेख एवं मानचित्र तैयार किये जाते है।

ग्राफ अनुभाग द्वारा प्रत्येक जनपद व मण्डल की नियोजन एटलस के प्रकाषन हेतु तकनीकी मार्गदर्षन व दिषा निर्देष तथा उनके परिनिरीक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है।

9.2 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

1–पंचम PSMS की अनुसूची 0.25 पर आधारित रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के ''**सरकारी विद्यालयों की स्थिति**'' का आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

2–71वीं आवृत्ति के केन्द्रीय एवं राज्य प्रतिदर्श के आंकड़ों की पूलिंग पर आधारित रिपोर्ट **(A Report on Social Consumption: Education in Uttar Pradesh)** का आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

3–उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूंजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकड़ें, वर्ष 2017–18 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

4–वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, वर्ष 2016–17 के रिपोर्ट में प्रयोगार्थ उत्तर प्रदेश का मानचित्र एवं रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

5–पंचम PSMS वर्ष 2016 पर आधारित रिपोर्ट ''**Monitoring Poverty in Uttar Pradesh & Report on the Fifth Poverty & Social Monitering Survey** (PSMS -Vth) ,** का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

6–रा0प्र0स0 72वीं आवृत्ति के केन्द्रीय एवं राज्य प्रतिदर्श के आंकड़ों की पूलिंग पर रिपोर्ट **(A Report on 'Domestic Tourism Expenditure' in Uttar Pradesh)** का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

7–सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, वर्ष 2019 (हिन्दी/अंग्रेजी) का आवरण पृष्ठ, ग्राफ/चार्ट एवं कैलेण्डर 2020 तैयार किया गया।

8–एक झलक उत्तर प्रदेश, वर्ष 2019 (हिन्दी/अंग्रेजी) का आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

9–उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2018–19 के प्रकाशन हेतु रंगीन आवरण पृष्ठ एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किया गया।

10–उत्तर प्रदेश की आय व्ययक के आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण, वर्ष 2019–20 का रंगीन आवरण एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किया गया।

11–राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश (2011–12 से 2018–19) के प्रकाशन हेतु रंगीन आवरण पृष्ठ एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किया गया।

12–उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2019–20 के प्रकाशन का रंगीन आवरण पृष्ठ एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किया गया।

13– वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018–19 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

14–रा0प्र0स0 73वीं आवृत्ति अनुसूची 2.34 पर आधारित रिपोर्ट (उ0प्र0 में विनिर्माण, विद्युत/व्यापार तथा अन्य सेवा क्षेत्र के असामाविष्ट गैर कृषि उद्यमों (निर्माण को छोडकर) की प्रचालानात्मक एवं आर्थिक विशेषताएँ प्रकाशन हेतु रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

15–सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 के प्रकाशन हेतु रंगीन आवरण पृष्ठ मानचित्र (भारत, उत्तर प्रदेश) एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किया गया।

16–अन्तर्राज्यीय तुल्नात्मक आंकड़ें, वर्ष 2018 का रंगीन आवरण पृष्ठ मानचित्र (भारत,) एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किया गया।

17–जिलेवार विकास संकेतक, वर्ष 2019 के रंगीन आवरण पृष्ठ मानचित्र (उत्तर प्रदेश) एवं ग्राफ/ चार्ट तैयार किया गया।

18–रा0प्र0स0 70वीं आवृत्ति अनुसूची 33 पर आधारित रिपोर्ट 'उत्तर प्रदेश में कृषक परिवारों की अवस्थिति का मूल्यांकन (जनवरी–दिसम्बर 2013) का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

19–जिला घरेलू उत्पाद अनुमान ''उत्तर प्रदेश वर्ष 2018–19'' (अन्तिम) का आवरण पृष्ठ एवं 10 ग्राफों को तैयार किया तैयार किया गया।

20–क्षेत्रीय नियोजन अनुभाग (कालाकांकर) के प्रोजेक्ट के विभिन्न मदों का उत्तर प्रदेश का मानचित्र तैयार किया गया।

21–बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश, सामाजार्थिक परिदृश्य) पत्रिका का रंगीन आवरण पृष्ठ एवं ग्राफ/चार्ट बनाने का कार्य गया।

22–न्यूज लेटर का कार्य (अप्रैल 2019–जून 2019) एवं (जुलाई 2019–सितम्बर 2019) को तैयार किया गया।

23–प्रभाग स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों व ट्रेनिंग कार्यक्रमों में फोटोग्राफी का कार्य भी सम्पादित किया गया।

24–प्रभाग स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों में लगने वाली डेस्क नेम प्लेट बनाने का कार्य किया गया।

******

अध्याय–10
वाहय सहायतित कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण अनुभाग

10.1 पृष्ठभूमि–

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्यों के सांख्यिकीय प्रणाली की क्षमता को विकसित करते हुए भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की क्षमता एवं संचालन में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना "इंडिया स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट" संचालित थी, जो उ0प्र0 में वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित हुई और यह योजना 31.03.2017 तक प्रभावी थी, परन्तु संबंधित योजना भारत सरकार द्वारा "केन्द्रीय सेक्टर" में वर्गीकृत किये जाने पर योजना अवधि मार्च 2020 तक विस्तारित कर दी गयी। वर्तमान में योजना का नाम **Support for Statistical Strengthening (SSS)** है।

10.2 प्रस्तावित कार्य–

दिनांक **03–11–2015** को हस्ताक्षरित MoU के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना 43.86 करोड़ रूपए की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिये 6.00 करोड रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजना अवधि मार्च 2020 तक विस्तारित हो जाने व योजना के स्वरुप में परिवर्तन हो जाने के कारण संशोधित कार्य योजना का अनुमोदन राज्य व केन्द्र सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त पुनः दिनांक **30.06.2018** को MoU हस्ताक्षरित किया गया। हस्ताक्षरित संशोधित MoU में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत कार्य प्रस्तावित है–

क्र०स०	मद	आबंटन (धनराशि करोड़ में)
1	साँख्यिकीय अनुप्रयोग	4.082
2	डेटा गैप्स की पूर्ति हेतु विभिन्न चिन्हित विषयों पर अध्ययनोपरान्त तकनीकी समूह/संसथाओं की संस्तुतियों का क्रियान्वयन।	7.8927
3	मानव संसाधन विकास संबंधी गतिविधियां	7.50
4	सांख्यिकीय प्रक्रिया एवं परिचालन की दक्षता में सुधार हेतु नवोन्मेष तकनीकी एवं रीति विधान का प्रयोग।	0.68
5	हितधारकों से विचार विमर्श तथा आकड़े के प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को चिन्हित कर तदनुरुप सर्वेक्षण कार्य करना।	1.61
6	राज्य सांख्यिकीय प्रणाली के निष्पादन पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदनों को सर्वसाधारण को सुलभ कराने सहित लागत में सुधार संबंधी गतिविधियां।	0.75
7	आकंड़ों की गुणवत्ता एवं तत्सम्बन्धी सुधार हेतु उपाय।	17.0627
8	सांख्यिकीय उत्पादों एवं सेवाओं के प्रयोग में सुधार हेतु सूचना शिक्षा व संचार के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार।	2.49
	योग	**42.0674**

10.3 योजनान्तर्गत सम्पादित कार्य–

10.3.1 साँख्यिकीय अनुप्रयोग –

GIS आधारित State Statistical Portal के विकास का कार्य रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश के माध्यम से केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा निर्धारित 20 core statististics से सम्बन्धित ऑकड़ो/सूचनाओं को आनलाइन प्राप्त करने एवं सम्बन्धित सूचना के त्वरित आकलन के साथ सॉख्यिकीय कार्यो हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के लिये 93 विभागों के लिए एक पोर्टल विकसित कराया जा रहा है।

10.3.2. डेटा गैप्स की पूर्ति हेतु विभिन्न चिन्हित विषयों पर अध्ययनोपरान्त तकनीकी समूह/संस्थाओं की संस्तुतियों का क्रियान्वयन– इसके अन्तर्गत 4 चयनित विषयों पर गिरि विकास अध्ययन संस्थान द्वारा अध्ययन कार्य सम्पादित किया गया–

i.Study on interstate trade-to identify and estimate value of commodities being imported/exported to/from U.P.GIDS

ii. Study to assess the intra-household variations in consumption, educational and economic attainments in different categories of households.

iii. Preparation of Input-Output transaction tables for U.P.

iv. Study to estimate rent of dwellings-Rural and Urban in U.P.

10.3.3 मानव संसाधन विकास–

1. नवनियुक्त सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों का एक Induction Training का आयोजन राजकीय प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के माध्यम से सम्पन्न कराया गया।

2. प्रभाग में सम्पादित होने वाले सॉख्यिकीय कार्यो हेतु विभागीय क्षेत्रीय कार्मिको की अनुपलब्धता व आकस्मिक रुप से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सर्वेक्षण कार्य के सम्पादन हेतु प्रशिक्षित सर्वेक्षकों का एक समूह तैयार किये जाने हेतु 7 कौशल विकास प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के माध्यम से सम्पन्न कराया गया।

3 .प्रभाग एवं अन्य विभागों के सॉख्यिकीय सम्वर्ग के अधिकारियों को नवीनतम सॉख्यिकीय पद्वतियों, विधियों एवं अनुप्रयोगों से भिज्ञ एवं उसके प्रयोग में दक्ष होने के उद्देश्य से DES के अधिकारियों को Advanced Statistical Analysis of Survey Data विषय पर IRMA, Gujarat, 'Basic Statistical Analysis Using R विषय पर IIPHD, Gurgaon rFkk 'Construction of Input, output transaction table' विषय पर Pune में प्रशिक्षित किया गया।

10.3. 4 सांख्यिकीय प्रक्रिया एवं परिचालन की दक्षता में सुधार हेतु नवोन्मेष तकनीकी एवं रीति विधान का प्रयोग–

1. रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश के माध्यम से Mapping and Acreage Estimation of Horticultural Crops at Block Level using remote sensing & GIS तकनीक विषयक परियोजना कार्य में horticulture व mentha crops के लिए database के आधार पर संस्थान द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

2. गिरि विकास अध्ययन संस्थान के माध्यम से Estimation of sub-state level estimates by using small area estimation technique विषय पर अध्ययन कार्य सम्पादित किया गया।

10.3.5. आकंड़ों की गुणवत्ता एवं तत्सम्बन्धी सुधार हेतु उपाय –

1. पंचम पॉवर्टी एवं सोशल मॉनिटिरिंग सर्वेः–इसके अन्तर्गत प्रदेश की समस्त जनपदों से घरेलू उपभोक्ता व्यय, रोजगार–बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सरकारी कार्यक्रमों आदि से सम्बन्धित आकड़ों के एकत्रीकरण हेतु प्रतिदर्श निधि का प्रयोग करते हुए 2432 इकाईयों का सर्वेक्षण का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया।

2. गिरि विकास अध्ययन संस्थान से Benchmark survey for area and production estimation of Horticultural Crops विषय पर तथा RAK Management Consultants संस्थान द्वारा Study on the plywood/khair to know the percentage and value of the raw material, sourced through U.P. Forests विषय पर अध्ययन कार्य सम्पादित किया गया।

10.4 आर्थिक गणना देश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित समस्त उद्यमीय इकाईयों की राष्ट्रव्यापी सम्पूर्ण गणना है। आर्थिक विकास को स्थायी गति व दिशा देने, योजनाओं की वैज्ञानिक आधार पर संरचना करने, राज्य आय के आगणन, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के नव उद्यमियों के लिए समुचित नीति निर्धारण, वास्तविक नियोजन हेतु विश्वसनीय सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराने, वर्तमान व भावी पीढ़ी हेतु नीति निर्धारण तथा विकास कार्यक्रमों में आर्थिक गणना का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है।

आर्थिक गणना के अन्तर्गत देश/प्रदेश में संचालित प्रत्येक वह उद्यम अर्थात उपक्रम जो किसी वस्तु के उत्पादन या वितरण या किसी प्रकार की ऐसी सेवा में लगा हो, जो केवल अपने परिवार के उपभोग के लिए न हो, की गणना की जाती है। किसी उद्यम में काम करने वाले, परिवार के सदस्य अथवा भाड़े के श्रमिक अथवा दोनों हो सकते है। उद्यम का कार्य–कलाप एक या एक से अधिक स्थानों पर चलाया जा सकता है। गणना के समय उपलब्ध समस्त बारहमासी व मौसमी रूप में संचालित उद्यमों को सूचीबद्ध किया जाता है। उद्यमों की गणना करते समय बारहमासी उद्यमों के लिए पिछला कैलेण्डर वर्ष एवं मौसमी उद्यमों के लिए पिछले कार्यकारी मौसम को सन्दर्भ अवधि माना जाता है। वे उद्यम जिन्हें हाल ही में प्रारम्भ किया गया हो, की जानकारी गणना के दिनांक की स्थिति के अनुसार की जाती है।

आर्थिक गणना, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग निर्देशन में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रथम बार वर्ष 1977 में करायी गयी थी। इसके उपरान्त वर्ष 1980 व 1990 में जनगणना के प्रथम चरण के साथ ही क्रमशः द्वितीय व तृतीय आर्थिक गणना के आँकड़े एकत्रित कराये गये। चतुर्थ आर्थिक गणना वर्ष 1998, पंचम आर्थिक गणना वर्ष 2005 तथा छठी आर्थिक गणना वर्ष 2012–13 में स्वतन्त्र रूप से सम्पन्न करायी गयी।

छठी आर्थिक गणना वर्ष 2012–13 में जनगणना–2011 के लिये बनाये गये प्रगणन खण्डों को ही आर्थिक गणना 2012–13 के सर्वेक्षण/गणना कार्य हेतु आधार बनाया गया। तद्नुसार ही प्रगणन खण्डों की Framing जनगणना–2011 में प्रयुक्त की गयी Abridged House List, Layout Map & Charge Register के अनुसार चिन्हित कर सर्वेक्षण/गणना कार्य सम्पन्न कराया गया है। उक्त आधार पर प्रदेश में 1,598 चार्जों के अन्तर्गत 3,95,223 प्रगणन खण्डों की गणना की गयी जिसमें 1,25,917 प्रगणक, 59,018 पर्यवेक्षक तथा 1,598 चार्ज अधिकारी लगाये गये। छठी आर्थिक गणना 2012–13 के मुख्य निष्कर्ष निम्नवत् हैं –

प्रदेश में छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अनुसार समस्त प्रकार के उद्यमों की संख्या 66,83,905 है जिनमें 14,45,337 कृषीय उद्यम में तथा 52,38,568 अकृषीय उद्यम पाये गये तथा इन संचालित उद्यमों में सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 1,41,18,052 पायी गयी है। छठी आर्थिक गणना 2012–13 एवं 5वीं आर्थिक गणना 2005 के आँकड़ों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :–

उद्यमों का विवरण

उद्यमों का प्रकार	उद्यमों की संख्या (प्रतिशत)		प्रतिशत वृद्धि
	2005	**2013**	**(2005-2013)**
ग्रामीण	2204893 (54.84)	4158955 (62.22)	88.62
नगरीय	1815717 (45.16)	2524950 (37.78)	39.06
कृषीय	257150 (06.40)	1445337 (21.62)	462.06
अकृषीय	3763460 (93.60)	5238568 (78.38)	39.20
कृषीय स्व–कार्यरत उद्यम	218813 (07.69)	1335658 (26.46)	510.41
गैर–कृषीय स्व–कार्यरत उद्यम	2625791 (92.31)	3712735 (73.54)	41.39
स्व–कार्यरत उद्यम	2844604 (70.75)	5048393 (75.53)	77.47
भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित उद्यम	1176006 (29.25)	1635512 (24.47)	39.07
भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित कृषीय उद्यम	38337 (03.26)	109679 (06.71)	186.09
भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित गैर–कृषीय उद्यम	1137669 (96.74)	1525833 (93.29)	34.12
कुल उद्यम	4020610 (100.00)	6683905 (100.00)	66.24

कार्यरत व्यक्तियों का विवरण

उद्यम के प्रकार के अनुसार कामगार	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या (प्रतिशत)		प्रतिशत वृद्धि (2005-2013)
	2005	2013	
ग्रामीण उद्यमों में कार्यरत कामगार	4082391 (50.12)	7953379 (56.33)	94.82
नगरीय उद्यमों में कार्यरत कामगार	4062698 (49.87)	6164673 (43.67)	51.74
कृषीय उद्यमों में कार्यरत कामगार	521429 (6.40)	2721087 (19.27)	421.85
गैर–कृषीय उद्यमों में कार्यरत कामगार	7623660 (93.59)	11396965 (80.73)	49.49
कृषीय स्व–कार्यरत संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार	409656 (10.80)	2416119 (32.47)	489.79
गैर–कृषीय स्व–कार्यरत संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार	3383834 (89.20)	5026027 (67.53)	48.53
स्व–कार्यरत संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार	3793490 (46.57)	7442146 (52.71)	96.18
भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार	4351599 (53.42)	6675906 (47.29)	53.41
प्रति उद्यम कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	2.03 व्यक्ति	2.11 व्यक्ति	-
प्रति संस्थान भाड़े पर	2.86 व्यक्ति	3.70 व्यक्ति	-
कुल उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	8145089 (100.00)	14118052 (100.00)	73.33

10.4.1 प्रदेश में सम्पन्न करायी गयी आर्थिक गणना 1990, 1998, 2005 एवं 2013 के अनुसार उद्यम एवं रोजगारों में पायी गयी क्रमिक वृद्धि की प्रवृत्तिः

(i) प्रदेश में छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अन्तर्गत ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र में पाये गये उद्यमों की आर्थिक गणना 1998 एवं 2005 से तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। जिसके अन्तर्गत आर्थिक गणना 1998 में 13.60 लाख ग्रामीण, 14.68 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 28.28 लाख उद्यम के सापेक्ष आर्थिक गणना 2005 में 22.05 लाख ग्रामीण, 18.16 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 40.21 लाख उद्यम तथा आर्थिक गणना 2012–13 में 41.59 लाख ग्रामीण, 25.25 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 66.84 लाख उद्यम पाये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रदेश में उद्यमों की संख्या में नगरीय क्षेत्र के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई और समग्र रूप से प्रदेश में उद्यमों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि पायी गयी है। आर्थिक गणना 1998 एवं 2005 में कृषि उत्पादन एवं बागवानी से सम्बन्धित

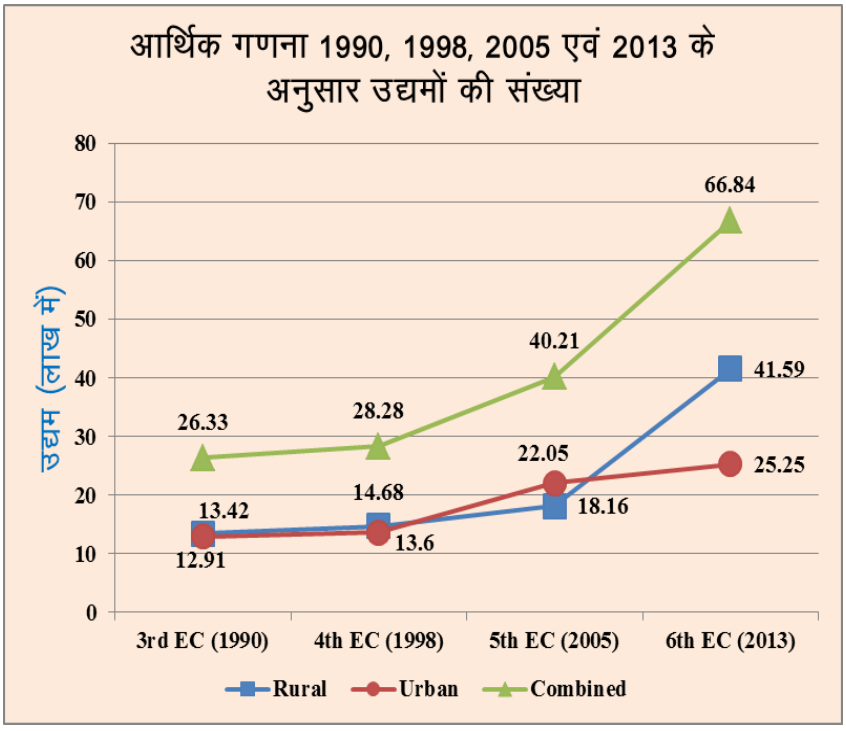

उद्यमों को छोड़कर गणना करायी गयी थी, जबकि छठी आर्थिक गणना 2012–13 में कृषि उत्पादन एवं बागवानी के अतिरिक्त लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियों के उद्यमों को भी गणना में छोड़ा गया है।

(i) प्रदेश में छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अन्तर्गत ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र में पाये गये कामगारों की आर्थिक गणना 1998 एवं 2005 से तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। जिसके अन्तर्गत आर्थिक गणना 1998 में 29.87 लाख ग्रामीण, 39.41 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 69.28 लाख कामगारों के सापेक्ष आर्थिक गणना 2005 में 40.82 लाख ग्रामीण, 40.63 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 81.45 लाख कामगार तथा आर्थिक गणना 2012–13 में 79.53 लाख ग्रामीण, 61.65 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 141.18 लाख कामगार पाये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रदेश में कामगारों की संख्या में नगरीय क्षेत्र के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है और समग्र रूप से प्रदेश में कामगारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि पायी गयी है।

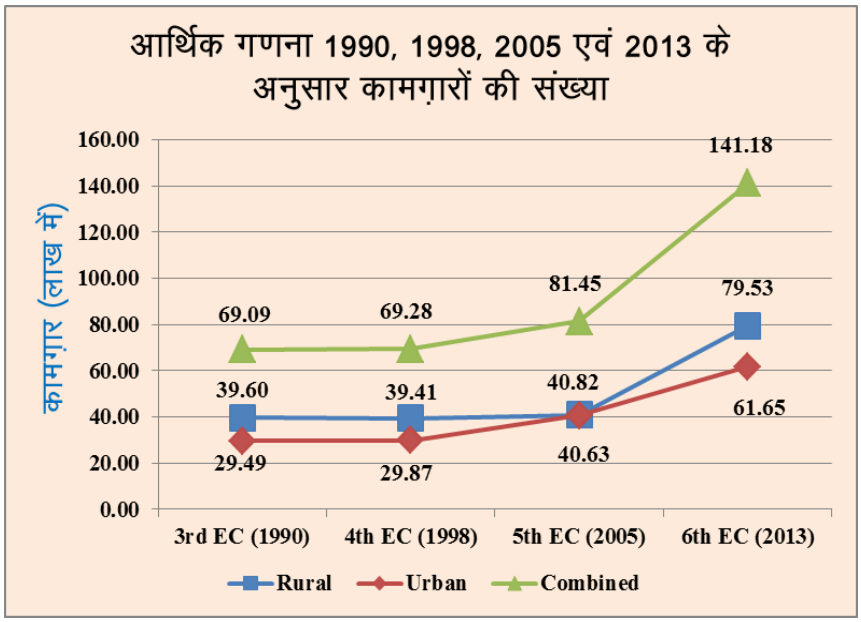

10.4.2 सातवीं आर्थिक गणना–2019

- राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने 7वीं आर्थिक गणना वर्ष 2019 का सर्वेक्षण/गणना कार्य कॉमन सर्विस सेन्टर, ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि० के माध्यम से सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
- सचिव एवं भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के अर्द्धशा० पत्रांकः P-11012/5/2018/ESD दिनांक 15.10.2018 एवं अर्द्धशा० पत्रांकः P-11012/5/2018/ESD दिनांक 11.12.2018 तथा महानिदेशक (ईएस), भारत सरकार के अर्द्धशा० पत्रांकः P-11012/5/2018/ESD दिनांक 07.03.2019 द्वारा वर्ष 2019 में देशव्यापी 7वीं आर्थिक गणना सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के अन्तर्गत सम्पादित करायी जायेगी।
- जिसमें आँकड़ा संग्रहण एवं प्रथम स्तर का पर्यवेक्षण कार्य CSC के द्वारा नियुक्त प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के माध्यम से मोबाइल ऐप एकत्रित किया जायेगा। यह गणना कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आगामी साढ़े तीन माह में पूर्ण हो जाना निर्धारित है। वर्तमान में प्रदेश की अद्यावधिक भौगोलिक सीमा एवं प्रशासनिक इकाईयों के आधार पर 7वीं आर्थिक गणना प्रदेश के 75 जनपदों के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तथा 18 मण्डलों में सम्पन्न करायी जायेगी। जनपदों के नवसृजन एवं पुनर्गठन होने के कारण भौगोलिक सीमा के अनुसार क्षेत्र समायोजित कराया जायेगा। 7वीं आर्थिक गणना–2019 में ग्राम पंचायत को एक इकाई माना गया है।
- कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) के 2,22,305 प्रगणक व 48,648 VLEs/Supervisor Level-1 को प्रशिक्षित करने हेतु 600 से अधिक उप–जनपद स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं, जिनके द्वारा गणना/पर्यवेक्षकीय कार्य किया जा रहा है।
- कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) द्वारा संग्रहीत आँकड़ों की उच्च गुणवत्ता एवं शत–प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय स्तर के पर्यवेक्षण का कार्य राज्य सरकार के दो विभागों यथा–अर्थ एवं संख्या प्रभाग एवं उद्योग विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा 8 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (FOD), भारत सरकार के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा 2 प्रतिशत सैम्पल के आधार पर किया जा रहा है।

- कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) द्वारा 4 राज्य स्तरीय एवं 5 सुपरवाइजर लेवल–2 का प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके है, जिसमें अर्थ एवं संख्या प्रभाग के 681 एवं उद्योग विभाग के 109 अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (FOD), स्टेट कैपिटल, क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति (SLOC) का गठन किया गया है। जिसकी अब तक 4 बैठकें यथा–दिनांक 06.06. 2019, 25.07.2019, 26.09.2019 एवं दिनांक 08.01.2020 को आयोजित की गयी हैं।
- आर्थिक गणना के कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से **मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में** 7वी आर्थिक गणना के संचालन सम्बन्धी तैयारी, प्रगति एवं आर्थिक गणना के संचालन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने, एकत्रित आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए **राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC)** तथा **जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC)** का गठन किया गया है।
- 7वीं आर्थिक गणना के समग्र क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में **अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उ०प्र० शासन तथा जनपद में जिलाधिकारी को चार्ज अधिकारी** नामित किया गया है।
- 7वीं आर्थिक गणना की तैयारी के सम्बन्ध में SLCC की बैठक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04.12.2019 को तथा DLCC की बैठकें जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में विभिन्न दिनांकों में सम्पादित की गयी हैं।
- माननीय मुख्यमंत्री जी, उ० प्र० के कर कमलों द्वारा दिनांक 26.12.2019 को प्रदेश में 7वीं आर्थिक गणना के कार्य की शुरुआत की जा चुकी है। तत्क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) के द्वारा चयनित/प्रशिक्षित प्रगणकों/पर्यवेक्षकों को आंकड़ा संग्रहण करने की औपचारिक शुरुआत अर्थात् Flag off किया जा चुका है।
- 7वीं आर्थिक गणना 2019 **शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित** है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार 7वीं आर्थिक गणना के क्षेत्रीय कार्य के पर्यवेक्षण में लगे कार्मिकों को मानदेय का भुगतान Public Financial Management System (PFMS) खाता के द्वारा किया जायेगा।
- माह मार्च 2020 तक कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) के प्रगणकों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 3 करोड़ 20 लाख आर्थिक गणना परिवारों से अपेक्षित सूचना सम्बन्धित पोर्टल पर एकत्र की जा चुकी है।

****

अध्याय– 11
प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग

11.1 प्रभाग के महत्वपूर्ण नियमित प्रकाशन

प्रभाग मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा नियमित रूप से निम्नांकित प्रकाशनों की पाण्डुलिपियां प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग को मुद्रण की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

क्र0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1.	सॉख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 (हिन्दी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	1968
2.	उत्तर प्रदेश एक झलक (ऑकड़ों में)	डेटा बैंक	वार्षिक	1991
3.	उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1994–95
4.	राज्य आय अनुमान, उ0प्र0	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1950–51
5.	उ0प्र0 का आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1965–66
6.	राज्य नियोजन संस्थान,उ0प्र0 का कार्य विवरण	क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग के समन्वय से राज्य नियोजन सस्थान के सभी प्रभाग	वार्षिक	
7.	सांख्यिकीय सारांश उ0प्र0	डेटा बैंक	वार्षिक	1961
8.	जिलेवार विकास संकेतक	डेटा बैंक	वार्षिक	1978
9.	अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े	डेटा बैंक	वार्षिक	1976
10	अन्तर्जनपदीय ऑकड़े	डेटा बेंक	वार्षिक	1976
11.	सॉख्यिकीय डायरी उ0प्र0 (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	1968
12.	उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में) (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	2009
13.	जिला घरेलू उत्पाद अनुंमान उ0प्र0	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	2019–20

11.2 प्रभाग के महत्वपूर्ण नियमित प्रकाशनों की सूची

- सॉख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 (हिन्दी संस्करण)
- सॉख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 (अंग्रेजी संस्करण)
- उत्तर प्रदेश एक झलक (हिन्दी संस्करण) (ऑकड़ों में)
- उत्तर प्रदेश एक झलक (अंग्रेजी संस्करण)(ऑकड़ों में)
- उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा
- उ0प्र0 का आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण
- राज्य आय अनुभान, उ0प्र0
- राज्य नियोजन संस्थान,उ0प्र0 का कार्य विवरण
- सॉख्यिकीय सारांश, उ0प्र0

- अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े
- त्रैमासिक न्यूज लेटर
- आर्थिक गणना (प्रत्येक 5 वर्ष में)
- वार्षिक प्रतिवेदन
- जिलेवार विकास संकेतक
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक
- उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय,व्यय,पॅजी,स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी ऑकड़े
- अन्तर्जनपदीय ऑकड़े
- जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उ0प्र0

11.3 वर्ष 2019–20 के प्रकाशित प्रकाशन

1	सांख्यिकीय डायरी उ0प्र0 (हिन्दी) 2019	वार्षिक
2	उ0प्र0 एक झलक (ऑकड़ों में) 2019	वार्षिक
3	उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा 2019–20	वार्षिक
4	जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उ0प्र0 2018–19	वार्षिक
5	उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण 2019–20	वार्षिक
6	राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 का कार्य विवरण 2019–20	वार्षिक
7	अन्तर्जनपदीय ऑकड़े 2016	वार्षिक
8	अन्तर्जनपदीय ऑकड़े 2017	वार्षिक
9	जिलेवार विकास संकेतक 2018	वार्षिक
10	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2015–16	वार्षिक
11	सांख्यिकीय सारांश 2017	वार्षिक
12	सांख्यिकीय डायरी उ0प्र0(अंग्रेजी) 2018	वार्षिक
13	UP AT A GLANCE (in figure) 2018	वार्षिक
14	त्रैमासिक न्यूज लेटर, अक्टूबर–दिसम्बर 2018	त्रैमासिक
15	त्रैमासिक न्यूज लेटर, जनवरी–मार्च 2019	त्रैमासिक
16	त्रैमासिक न्यूज लेटर, अप्रैल–जून 2019	त्रैमासिक
17	भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक बस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक 2017–18	वार्षिक

******

अध्याय–12
समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेष अनुभाग की स्थापना अनुसंधान अनुभाग नाम से की गयी थी। इस अनुभाग में सम्पादित किये जा रहे कार्यो को देखते हुये इसे अनुसंधान अनुभाग से परिवर्तित कर समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग किया गया। 13 अगस्त, 2007 को समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग से ही सम्बद्ध एक रिसर्च सेल की स्थापना की गयी जिसके द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों पर पेपर/प्रस्तुतीकरण तैयार किये गये। दिनांकः 06.10.2008 को इस अनुभाग का नाम पुनः संशोधित करते हुये समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग रख दिया गया। सम्यक विचारोपरान्त इस रिसर्च सेल को दिनांक 12.08.2009 को समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग में विलीन कर दिया गया।

12.1 मुख्य उद्देश्य

इस अनुभाग का मुख्य उद्देश्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के साथ प्रभाग के विभिन्न अनुभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, प्रस्तुतिकरण तथा शोध सम्बंधी कार्य करना एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाना है।

12.2 सम्पादित कार्यों का विवरण

- समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग द्वारा भारत सरकार, उ0 प्र0 शासन, प्रदेश के अन्य विभागों, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के मण्डलों एवं जनपदीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भारत सरकार एवं शासन को सूचना का प्रेषण।
- मण्डल एवं जनपदों के समग्र कार्यो की सूचना प्राप्त कर मण्डलीय उपनिदेशकों एवं जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारियों की जनपद एवं मण्डल के कार्यो की समीक्षा कराना।
- मण्डलीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यालय निरीक्षण की समीक्षा कराना।
- शासन की मांग के अनुसार प्रभाग की कार्य योजना (टास्क सेटिंग) तथा माहवार प्रगति रिपोर्ट, प्रभाग द्वारा किये जा रहे प्रत्येक माह महत्वपूर्ण कार्य की रिपोर्ट तथा अधिष्ठान एवं लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना शासन द्वारा निर्धारित रूप पत्रों पर उपलब्ध कराना।
- समय–समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/ सेमिनार कार्यक्रम में प्रभाग, मण्डल एवं जनपद स्तर के कार्मिकों को नामित कराना।
- विभागीय तकनीकी एवं सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन व अन्य सम्बन्धित कार्य।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहें केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों का सम्मेलन (**COCSSO**) में राज्यों की सांख्यिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत की जा रही संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या प्रदेश के अन्य विभागों व प्रभागों के अन्य अनुभागों से प्राप्त कर संकलित रूप में भारत सरकार को भिजवाने के कार्य को भी सम्पादित किया जाता है।

- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित किये जाने वाले केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलनों (**COCSSO**) हेतु प्रस्तुतीकरण तैयार किये जाते हैं।
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों से सम्बन्धित कार्य।
- वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजना डाक्यूमेन्ट के प्रथम अध्याय ''**An Overview of the State Economy**'' का लेखन कार्य एवं वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजना डाक्यूमेन्ट के प्रभाग से सम्बन्धित अनुलग्नकों को तैयार किया जाता है।
- प्रभाग का त्रैमासिक **News Letter ESR, UP.** का प्रकाशन प्रभाग द्वारा दिसम्बर 2008 से किया जा रहा है। इस News Letter का उद्देश्य प्रभाग के समस्त कार्य कलापों, अधुनान्त सूचकांक व प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य अंश तथा अन्य सांख्यिकीय कार्यो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है।
- भारत सरकार के निर्देश के क्रम में स्व० प्रो0पी0सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष दिनांक 29 जून को सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। सांख्यिकी दिवस हेतु विषय का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से सम्बन्धित आख्या (फोटो सहित) प्रकाशन हेतु **CSO** भारत सरकार को भेजी जाती है।

12.3 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- प्रभाग द्वारा प्रत्येक माह किये गये महत्वपूर्ण कार्यो की प्रगति प्रमुख समन्वय अधिकारी एवं शासन को प्रेषित की गयी।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहे केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों (**COCSSO**) के दिनांक 11, 12 नवम्बर 2019 को कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में आयोजित हुए 27वां सम्मेलन में श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, निदेशक तथा श्री गोपाल शर्मा, संयुक्त निदेशक द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस सम्मेलन की संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या तैयार कर भारत सरकार को जा रही है।
- स्व० प्रो0पी0सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर 13वां सांख्यिकी दिवस दिनांक 29–06–2019 का आयोजन अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष का विषय **Sustainable Development Goals** निर्धारित किया गया।
- राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के 99 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों द्वारा भेजे गये 05 अंतःप्रशिक्षुओं को प्रभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन अंतःप्रशिक्षुता करायी गयी।
- शासन /भारत सरकार से प्राप्त विविध प्रकरणों से संबधित कार्य भी किये जाते हैं।

*****

अध्याय–13
स्थापना अनुभाग

वर्ष 1931 में प्रभाग के अस्तित्व में आते ही स्थापना अनुभाग की स्थापना की गयी तत्समय से ही निम्न प्रकार के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा हैः–

- प्रशासनिक व्यवस्था–मण्डल/जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।
- नियुक्ति–शासन द्वारा प्रभाग में सृजित पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- पदोन्नति–संवर्ग की प्रख्यापित सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति के पदों पर कार्मिकों की पदोन्नति हेतु कार्यवाही सुनिश्वित करना।
- स्थायीकरण–प्रभाग में नियुक्ति कार्मिकों का नियमानुसार स्थाईकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- ज्येष्ठता–प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों का नियमानुसार ज्येष्ठता की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन–शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्मिकों को लाभ दिये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- सेवा संबंधी अन्य प्रकरण।
- शासन द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।
- स्थापना संबंधी सूचनाओं का प्रेषण।

13.1 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

नियुक्ति :–

- कनिष्ठ सहायक के पद पर 57 अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
- सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी के पद पर 129 अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

पदोन्नति :–

- 01 संयुक्त निदेशक को अपर निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 02 उप निदेशकों को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 115 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों को अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 04 वरिष्ठ सहायकों को प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 14 कनिष्ठ सहायकों केा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 06 चपरासियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया।

समयमान वेतनमान /वित्तीय स्तरोन्नयन

- **24** कनिष्ठ सहायकों को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।
- **01** अपर सांख्यिकीय अधिकारी, **06** वरिष्ठ कलाकारों, **24** वरिष्ठ सहायकों एवं **28** कनिष्ठ सहायकों को 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।

स्थानांतरण :–

124 अपर सांख्यिकीय अधिकारी, 03 आशुलिपिक, 04 वरिष्ठ सहायक एवं 04 चालक के स्थानांतरण किये गये।

सेवा निवृत्तिः–वर्ष में 01 अपर निदेशक 01 अर्थ एवं संख्याधिकारी, 10 अपर सॉख्यिकीय अधिकारी, 01 सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी, 02 प्रशासनिक अधिकारी, 05 वरिष्ठ सहायक, 02 चालक एवं 04 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कुल 26 कार्मिकों की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यः–

- प्रत्येक त्रैमासिक न्यूज लेटर की सूचना तैयार कराकर समन्वय प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग प्रेषित की गयी।

- शासन द्वारा समय –समय पर स्थापना अनुभाग से संबंधित चाही गयी सूचनाओं का प्रेषण किया गया।
- शासन से प्राप्त मल्टी प्रपत्रीय चेक लिस्ट की सूचना प्रत्येक माह ससमय तैयार कर प्राप्त करायी गयी।
- प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में स्थापना अनुभाग के कार्यो के कार्यवृत्त की परिपालन आख्या सहित प्रस्तुत की गयी।
- अराजपत्रित कार्मिकों की लम्बित वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को प्राप्त करने हेतु नियमित अनुश्रवण कराया गया।
- मृतक आश्रितों की भर्ती की कार्यवाही तथा चतुंर्थ श्रेणी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु परीक्षाओ का आयोजन कराया गया।
- प्रत्येक माह टास्क सेटिंग की सूचना तैयार कर समन्वय प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग प्रेषित की गयी।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट के प्रकरणों में सहयोग किया गया।
- स्थापना संबंधी लम्बित प्रकरणों की समीक्षा/ निस्तारण हेतु जनपद कार्यालयों में निरीक्षण किया गया।

******

अध्याय–14
लेखा अनुभाग

प्रभाग के लेखा अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य के सम्पादन हेतु मुख्यालय पर दो अनुभाग हैं।

- लेखा अनुभाग–1
- लेखा अनुभाग–2

14.1 लेखा अनुभाग–1 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- प्रभाग मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, मण्डलीय उप निदेशकों एवं जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के वार्षिक सेवा सत्यापन एवं अवकाश लेखे का रख–रखाव।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति देयकों के निस्तारण।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों वेतन निर्धारण का कार्य।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख–रखाव।
- कर्मचारियों/अधिकारियों की पूर्व विभाग में की गयी सेवा को वर्तमान विभाग की सेवा में जोड़ने का कार्य।
- दिनांक 1.1.2016 से पूर्व से0नि0 अधिकारियो/कर्मचारियों का प्रकल्पित वेतन निर्धारण कर पेंशन पुनरीक्षण का कार्य।
- मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा क्षेत्र के कार्यालयाध्यक्षों की पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी कार्य।
- मुख्यालय/मण्डलों/जनपदों के समस्त प्रकार के कालातीत देयकों को कालातीत से मुक्त करने सम्बन्धी कार्यवाही।
- जनपदों/मण्डलों के सरकारी वाहनो को निष्प्रयोज्य कराने सम्बन्धी कार्यवाही करना।
- निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग से वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन प्राप्त करना।
- अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय का आंतरिक लेखा परीक्षण संबंधी कार्य।
- जनपदो से प्राप्त आंतरिक लेखा परीक्षण की अनुपालन आख्या मंगाकर परीक्षण करना तथा अनिस्तारित प्रस्तरों का निस्तारण कराना।
- आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य की त्रैमासिक/वार्षिक रिर्पोट तैयार कर निदेशक, आंतरिक परीक्षा विभाग को भेजने संबंधी कार्य।

- लेखा परीक्षा समिति/उप समिति की बैठक आडिट एवं लेखा कैडर के गठन की स्थिति एवं आडिट की गुणवत्ता आदि से सम्बन्धित समीक्षा बैठक की सूचना तैयार कर निदेशक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को भेजने का कार्य।
- प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को बजट आवंटन।
- विभिन्न प्रभागीय योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु शासन को आय–व्ययक प्रेषित करना।
- एस0एन0डी0 के माध्यम से नयी योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना।
- निष्प्रयोज्य वाहन के पुर्नस्थापना की कार्यवाही।
- अतिरिक्त अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग/अनुपूरक मांग के प्रस्ताव प्रेषित करना।
- प्रभाग में प्रचलित परियोनाओं के अन्तर्गत हुए अन्तिम व्यय/बचत की सूचना ससमय शासन को प्रेषित करना।
- भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट प्रस्तरों का निस्तारण करना।
- विनियोग लेखा तैयार कर महालेखाकार कार्यालय का प्रेषण।
- प्रभाग मुख्यालय का बी.एम.–8 तैयार करना एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त बी.एम.–8 संकलित कर कार्यालय महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद को प्रत्येक माह भेजना।
- वर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकर कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से प्रभागीय व्यय के आंकड़ों का मिलान।

14.2 लेखा अनुभाग–2 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- वेतन का आहरण/भुगतान।
- प्रभाग मुख्यालय के राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि पासबुकों को अद्युनान्त कर रख–रखाव।
- समय–समय पर प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष राशि का आहरण/भुगतान।
- प्रभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि से 90 प्रतिशत स्वीकृति/भुगतान की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना यथा महालेखाकार से मिलान/जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी की संस्तुतियां प्राप्त किया जाना।
- समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों की किश्तों का आहरण/भुगतान।
- सेवानिवृत्त कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का आहरण तथा सेवानिवृत्त उपरान्त देय सामूहिक बीमे की राशि के आहरण हेतु समुचित कार्यवाही उपरान्त भुगतान करना।
- चिकित्सा दावों की स्वीकृति/भुगतान की कार्यवाही सहित सक्षम जांचकर्ता प्राधिकारी की संस्तुति प्राप्त किया जाना।
- प्रभाग के कार्मिकों द्वारा आवेदित भवन निर्माण, भवन मरम्मत, वाहन अग्रिम हेतु शासन से अग्रिम स्वीकृति हेतु धनराशि की मांग करना, स्वीकृति, आहरण/भुगतान।

- प्रभाग की सामान्य व्यवस्था के संचालन हेतु आकस्मिक व्यय बिलों आदि के आहरण/भुगतान की कार्यवाही।

- प्रभाग मुख्यालय के अतिरिक्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों के जी0पी0एफ0 90 प्रतिशत की स्वीकृति, राजपत्रित अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के अग्रिमों की स्वीकृति संबंधी कार्यो का सम्पादन।

- रूपया 5,00,000/– तक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति प्रभाग से प्रदान किया जाना तथा रूपया 5,00,000/– से अधिक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति हेतु शासन को यथोचित प्रस्ताव भेजे जाने संबंधी कार्य तथा उपचार समाप्ति के तीन माह के पश्चात् प्राप्त चिकित्सा दावे की स्वीकृति पूर्व प्रशासनिक विभाग से विलम्बमर्षण की अनुमति प्राप्त किया जाना।

******

अध्याय–15

प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

15.1 भाव एवं मजदूरी दरों का एकत्रण

जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के भावों एवं दरों का एकत्रण निर्धारित दिवस पर किया जाता है जिनका विवरण निम्नवत् है, जो कि ''√'' से प्रदर्षित हैं :–

भाव/मजदूरी दरों का प्रकार

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सहारनपुर	√	√	√	√	√
2	मुजफ्फर नगर	√	√	√	√	√
3	शामली		√	√	√	√
4	बिजनौर	√	√	√	√	√
5	मुरादाबाद	√	√	√	√	√
6	रामपुर	√	√	√	√	√
7	ज्योतिबाफूले नगर		√	√	√	√
8	सम्भल		√	√	√	√
9	मेरठ	√	√	√	√	√
10	बागपत		√	√	√	√
11	गाजियाबाद	√	√	√	√	√
12	गौतमबुद्व नगर	√	√	√	√	√
13	बुलन्दशहर	√	√	√	√	√
14	हापुड़		√	√	√	√
15	अलीगढ़	√	√	√	√	√
16	हाथरस	√	√	√	√	√
17	एटा	√	√	√	√	√
18	कासगंज	√	√	√	√	√
19	मथुरा	√	√	√	√	√
20	आगरा	√	√	√	√	√
21	फिरोजाबाद	√	√	√	√	√
22	मैनपुरी		√	√	√	√
23	बदायूँ	√	√	√	√	√
24	बरेली	√	√	√	√	√
25	पीलीभीत		√	√	√	√
26	शाहजहाँपुर	√	√	√	√	√
27	खीरी	√	√	√	√	√

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	सीतापुर	√	√	√	√	√
29	हरदोई	√	√	√	√	√
30	उन्नाव	√	√	√	√	√
31	लखनऊ	√	√	√	√	√
32	रायबरेली	√	√	√	√	√
33	फर्रूखाबाद	√	√	√	√	√
34	कन्नौज	√	√	√	√	√
35	इटावा	√	√	√	√	√
36	औरैया		√	√	√	√
37	कानपुर देहात		√	√	√	√
38	कानपुर नगर	√	√	√	√	√
39	जालौन	√	√	√	√	√
40	झाँसी	√	√	√	√	√
41	ललितपुर	√	√	√	√	√
42	हमीरपुर	√	√	√	√	√
43	महोबा	√	√	√	√	√
44	बाँदा	√	√	√	√	√
45	चित्रकूट	√	√	√	√	√
46	फतेहपुर	√	√	√	√	√
47	प्रतापगढ़		√	√	√	√
48	कौशाम्बी	√	√	√	√	√
49	प्रयागराज	√	√	√	√	√
50	बाराबंकी	√	√	√	√	√
51	अयोध्या		√	√	√	√
52	अम्बेदकर नगर	√	√	√	√	√
53	सुल्तानपुर	√	√	√	√	√
54	अमेठी		√	√	√	√
55	बहराइच	√	√	√	√	√
56	श्रावस्ती	√	√	√	√	√
57	बलरामपुर		√	√	√	√
58	गोण्डा	√	√	√	√	√
59	सिद्वार्थनगर	√	√	√	√	√
60	बस्ती		√	√	√	√
61	संतकबीर नगर		√	√	√	√
62	महराजगंज		√	√	√	√

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63	गोरखपुर	√	√	√	√	√
64	कुशीनगर		√	√	√	√
65	देवरिया	√	√	√	√	√
66	आजमगढ़	√	√	√	√	√
67	मऊ		√	√	√	√
68	बलिया	√	√	√	√	√
69	जौनपुर	√	√	√	√	√
70	गाजीपुर	√	√	√	√	√
71	चन्दौली	√	√	√	√	√
72	वाराणसी	√	√	√	√	√
73	संतरविदास नगर	√	√	√	√	√
74	मिर्जापुर	√	√	√	√	√
75	सोनभद्र	√	√	√	√	√

इसके अतिरिक्त कच्चे ऊन के थोक भाव 5 केन्द्रों झांसी, इलाहाबाद, सन्तरविदास नगर, जौनपुर एवं रायबरेली से संग्रहित किये जाते हैं । 67 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं । हापुड़ मण्डी के 11 आवश्यक वस्तुओं के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं । कानपुर केन्द्र के बड़ी इलायची के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं ।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा ग्रामीण फुटकर भाव/दरों का 6 से कम विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रतिमाह एक निरीक्षण एवं 6 या उससे ऊपर की स्थिति में प्रतिमाह 2 निरीक्षण किये जाते हैं । उपनिदेशक द्वारा इन मदों का विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह कम से कम 2 निरीक्षण किये जाते हैं ।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा नगरीय फुटकर भाव/मजदूरी दरों का प्रत्येक दो माह में कम से कम 1 बार तथा उपनिदेशक द्वारा प्रतिमाह विभिन्न जनपदों में दो निरीक्षण किये जाते है ।

15.2 मण्डलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या)/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा भाव एवं मजदूरी दरों के किये गये निरीक्षणों की संख्या वर्ष 2019–20

क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	भाव एवं मजदूरी दरों के निरीक्षणों की संख्या
1	**2**	**3**
1	सहारनपुर	39
2	मुजफ्फरनगर	20
3	शामली	8
(I)	सहारनपुर मण्डल	88
	योग सहारनपुर (मण्डल एवं जनपद)	**155**
4	बिजनौर	40
5	मुरादाबाद	54

6	रामपुर	20
7	ज्योतिबाफूले नगर	14
8	सम्भल	32
(II)	मुरादाबाद मण्डल	80
	योग मुरादाबाद (मण्डल एवं जनपद)	**240**
9	मेरठ	24
10	बागपत	42
11	गाजियाबाद	11
12	गौतमबुद्व नगर	20
13	बुलन्दशहर	24
14	हापुड़	28
(III)	मेरठ मण्डल	9
	योग मेरठ (मण्डल एवं जनपद)	**158**
15	अलीगढ़	23
16	हाथरस	35
17	एटा	36
18	कासगंज	36
(IV)	अलीगढ़ मण्डल	25
	योग अलीगढ (मण्डल एवं जनपद)	**155**
19	मथुरा	33
20	आगरा	30
21	फिरोजाबाद	35
22	मैनपुरी	22
(V)	आगरा मण्डल	60
	योग आगरा (मण्डल एवं जनपद)	**180**
23	बदायूँ	8
24	बरेली	21
25	पीलीभीत	41
26	शाहजहाँपुर	15
(VI)	बरेली मण्डल	18
	योग बरेली (मण्डल एवं जनपद)	**103**
27	खीरी	76
28	सीतापुर	26
29	हरदोई	16
30	उन्नाव	29
31	लखनऊ	46
32	रायबरेली	20
(VII)	लखनऊ मण्डल	86
	योग लखनऊ (मण्डल एवं जनपद)	**299**
33	फर्रूखाबाद	14
34	कन्नौज	12

35	इटावा	80
36	औरैया	28
37	कानपुर देहात	29
38	कानपुर नगर	38
(VIII)	कानपुर मण्डल	33
	योग कानपुर (मण्डल एवं जनपद)	**234**
39	जालौन	21
40	झाँसी	30
41	ललितपुर	48
(IX)	झांसी मण्डल	16
	योग झांसी (मण्डल एवं जनपद)	**115**
42	हमीरपुर	-
43	महोबा	47
44	बाँदा	44
45	चित्रकूट	19
(X)	चित्रकूटधाम मण्डल	83
	योग चित्रकूटधाम (मण्डल एवं जनपद)	**193**
46	फतेहपुर	51
47	प्रतापगढ़	39
48	कौशाम्बी	54
49	प्रयागराज	18
(XI)	प्रयागराज मण्डल	33
	योग प्रयागराज (मण्डल एवं जनपद)	**195**
50	बाराबंकी	39
51	अयोध्या	44
52	अम्बेदकर नगर	48
53	सुल्तानपुर	65
54	अमेठी	28
(XII)	अयोध्या मण्डल	-
	योग अयोध्या (मण्डल एवं जनपद)	**224**
55	बहराइच	35
56	श्रावस्ती	30
57	बलरामपुर	36
58	गोण्डा	11
(XIII)	देवीपाटन मण्डल	34
	योग देवीपाटन (मण्डल एवं जनपद)	**146**
59	सिद्वार्थनगर	77
60	बस्ती	56
61	संतकबीर नगर	48
(XIV)	बस्ती मण्डल	91
	योग बस्ती (मण्डल एवं जनपद)	**272**

62	महराजगंज	26
63	गोरखपुर	53
64	कुशीनगर	39
65	देवरिया	13
(XV)	गोरखपुर मण्डल	23
	योग गोरखपुर (मण्डल एवं जनपद)	**154**
66	आजमगढ़	52
67	मऊ	22
68	बलिया	13
(XVI)	आजमगढ मण्डल	-
	योग आजमगढ (मण्डल एवं जनपद)	**87**
69	जौनपुर	55
70	गाजीपुर	29
71	चन्दौली	44
72	वाराणसी	16
(XVII)	वाराणसी मण्डल	14
	योग वाराणसी (मण्डल एवं जनपद)	**158**
73	संतरविदास नगर	18
74	मिर्जापुर	48
75	सोनभद्र	12
(XVIII)	विन्ध्याचल मण्डल	-
	योग विन्ध्याचल (मण्डल एवं जनपद)	**78**

नोट– (–) का अभिप्राय जनपद/मण्डल में पद रिक्त है।

*****

फोटो सेक्शन

प्रभाग पर 13वें सांख्यिकी दिवस का आयोजन

प्रभाग पर 13वें सांख्यिकी दिवस का आयोजन